ISSN-0971-8397

योजना

मई 2017 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

बदलता भारत

गाथा नये भारत की
एम वेंकैया नायडू

जीविका से जीवन परिवर्तन
अमरजीत सिन्हा

लोक वित्त में डिजिटल नवाचार
लेखा चक्रवर्ती
समीक्षा अग्रवाल

कौशल विकास व युवा सशक्तीकरण
जतिंदर सिंह

फोकस

स्वच्छ व पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर
एम एस भानुमति
रोहित देव झा

विशेष आलेख

स्वच्छ भारत मिशनः साझा दायित्व
परमेश्वरन अय्यर

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
मेरा खाता भाग्य विधाता

My Mobile.... My Bank... My Wallet...
BHIM
BHARAT INTERFACE FOR MONEY

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

GST

Digital India
Power To Empower

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

Smart City
MISSION TRANSFORM-NATION

Housing for all
प्रधानमंत्री आवास योजना

#startupindia

प्रधानमंत्री ने किया भारत की

योजना

वर्ष:61 • अंक 05 • मई 2017 • बैशाख-ज्येष्ठ, शक संवत 1939 • कुल पृष्ठ:60

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)
ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनी. ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महा. निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही www.publicationsdivision.nic.in तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस अंक में

- संपादकीय 7
- गाथा नये भारत की
  एम वेंकैया नायडू..... 9
- विशेष आलेख
  स्वच्छ भारत मिशन: साझा दायित्व
  परमेश्वरन अय्यर..... 13
- आजीविका के माध्यम से ग्रामीण जीवन की कायापलट
  अमरजीत सिन्हा..... 15
- सही दिशा में बढ़ता कृषि उत्पादन
  अश्विनी महाजन 19
- फोकस
  स्वच्छ एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर
  एम वी भानुमति
  रोहित देव झा..... 21
- सशक्त डिजिटल समाज बनता भारत
  ओंकार राय..... 27
- लोक वित्त में डिजिटल नवाचा
  लेखा चक्रवर्ती, समीक्षा अग्रवाल... 31
- कौशल विकास व युवा सशक्तीकरण
  जतिंदर सिंह 35
- विकास योजनाओं के केंद्र में महिलाएं
  पद्मा यादव, स्वाती ठाकुर..... 39
- मानव विकास के पथ पर भारत
  एम सलीम मीर, नंदलाल मिश्र.... 43
- वंचित वर्गों के लिए खुला पिटारा
  आशीष कुमार 'अंशु'..... 47
- अल्पसंख्यक कल्याण: दिल खोलकर समर्थन
  रिज़वान रजा, वर्षा तिवारी..... 49
- क्या आप जानते हैं? 55
- विकास पथ 57

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	50080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	061-22683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	079-26588669
गुवाहाटी	मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी	781003	030-2665090

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

आपकी राय

ज्ञानवर्द्धक बजट अंक

मार्च 2017 का विशेषांक 'बजट 2017-18' पर केंद्रित एवं आर्थिक जगत से संबंधित अंक विशेष रूप से मानव को उसके पूरे जीवन के लिए 'परिवर्तन' की ओर ले जाती है। 'संपादकीय' पढ़कर ऐसा लगा कि हमें 'बजट' को समझना चाहिए जोकि गरीबों, ग्रामीणों, तथा किसानों से जुड़ी उनकी प्राथमिकताओं के अनुकूल हों। अरुणेन्द्र कुमार जी ने रेल बजट का आम-बजट के साथ समन्वय एवं ऐतिहासिक पहलुओं को, वर्तमान परिदृश्य में जोड़ने का भरसक प्रयास जारी है। 'भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रवीन्द्र एच. ढोलकिया' जी ने सभी राष्ट्रों को भारत में व्यापार एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के साथ तालमेल रखना, आवश्यक हो सकता है। 'केंद्रीय बजट 2017-18' प्रतियोगी एवं ज्ञानपयोगी दृष्टिकोण के साथ संलग्न हैं।

–देवेश त्रिपाठी, प्रौढ, सतत एवं प्रसार शिक्ष विभाग, दी.द.उ. गौरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ.प्र.

उम्दा बजट

केंद्रीय बजट पर आधारित योजना का मार्च, 2017 का अंक पढ़ा, जो अत्यंत ज्ञानोपयोगी जानकारियों से परिपूर्ण रहा। यह बजट राष्ट्र को समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट हैं। जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भारतीय संविधान में बजट शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वर्ष का बजट ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि पुरानी परंपराओं को तोड़कर नयी परम्परा अपनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया हैं। आम बजट 2017-18 में 3500 किमी लंबी रेल लाइनों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस बार के बजट का एजेंडा भारत का रूप परिवर्तन करना, ऊर्जावान और स्वच्छ बनाना है। बजट प्रस्तावों को विभिन्न विषय में प्रस्तुत किया गया है, जिससे किसान, ग्रामीण जनसंख्या, युवा वर्ग, निर्धन और वंचित वर्ग, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कर प्रशासन शामिल हैं। साथ ही इस बजट में कृषि, ग्रामीण और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है, जो निवेश बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर सृजित करने में सहायक होंगे। इसके अलावा, व्यवस्था को स्वच्छ करने और भ्रष्टाचार व कालेधन के उन्मूलन हेतु डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

-खुशबू कुमारी, राजनारायण महाविद्यलय, हाजीपुर, वैशाली, बिहार

संग्रहणीय आलेख

योजना पत्रिका के मार्च 2017 के बजट विशेषांक पर प्रकाशित रहीस सिंह के आलेख की शुभकामनाएं। आपका आलेख सूचनापरक ज्ञानवर्द्धक एवं संग्रहणीय है। उत्तम आलेख हेतु हृदय से शुभकामनाएं।

–रजनीश कुमार यादव, प्रबंधक राजभाषा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, (कोटा)

दूरदर्शी बजट

बजट पर केंद्रित योजना का मार्च, 2017 पढ़ा। अंक के समस्त आलेख विचारणीय, तथ्यपरक एवं ज्ञानपयोगी रहे। मैं 'भारतीय मानवाधिकार संस्थान', नई दिल्ली में मानवाधिकार का छात्र हूं और प्रकाशन मंत्रालय की इस पत्रिका का विगत 8 वर्षों से नियमित पाठक हूं। बजट शब्द का विकास फ्रांसीसी शब्द 'बुजेट' से हुआ है, जिसका अर्थ 'चमड़े का थैला' होता है। वर्ष 1773 में ब्रिटिश संसद का प्रथम व निम्न सदन 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में वहां के वित्त मंत्री ने सरकार के आय-व्यय

का विवरण प्रस्तुत किया। वे सरकार के आय-व्यय के विवरण संबंधी कागजात चमड़े के थैले में लेकर आए थे। उन्होंने थैले निकालकर जब कागजात को सदन के पटल पर रखा तो वहां उपस्थित सदस्यों ने 'ऑपेंड दि बुजेट' कहा। उसी समय से सरकारी आय-व्यय के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है।

भारतीय संविधान में 'बजट' शब्द के स्थान पर भाग-5, अध्याय-2 के अंतर्गत अनुच्छेद 112 में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' का प्रयोग किया गया है। बजट के अंतर्गत सरकार के आय-व्यय संबंधी विवरण के साथ सरकार की भावी नीतियों एवं लक्ष्यों को शामिल किया जाता है। संघ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017 के बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, कौशल विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया है। सरकार ने मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गावों में बिजली पहुंचाने, खुले में शौच से मुक्त (डीओएफ) गांवों को पाइप के जरिए जल पहुंचाने एवं प्रतिदिन 133 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। निष्कर्षतः यह एक संतुलित बजट है।

–अमित कुमार गुप्ता, रामपुर नौसहन, हाजीपुर वैशाली, बिहार

गागर में सागर

मार्च 2017 का अंक *गागर में सागर* था। *योजना* के इस अंक में बजट की बारीकियों को आम जनता के लिए सरल व सुस्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया। एक ओर इस अंक में शिक्षा सुधार की बात हुई तो वही कृषकों के पक्ष को भी दूसरी ओर अनदेखा नहीं किया गया। विज्ञान विषय पर लिखा गया श्री मनीष मोहन गोरे का लेख प्रशंसनीय था। केंद्रीय बजट 2017-18 प्रमुख तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण व सुस्पष्ट थे। अक्सर आम जन बजट को लेकर समझ नहीं बना पाते लेकिन जिस प्रकार योजना में लेखों द्वारा बजट का प्रस्तुतीकरण किया गया है। उससे आम जन के लिए बजट को समझना सरल होगा।

–मीनाक्षी, सहायक संपादक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, दिल्ली

लेखकों से अनुरोध

(1) 'योजना' विकास संबंधी विषयों पर केंद्रित मासिक है। पत्रिका में हर माह आगामी अंक का केंद्रीय विषय प्रकाशित किया जाता है। लेखकों से अनुरोध है कि प्रकाशन हेतु केंद्रीय विषय के अनुसार ही रचनाएं भेजें।

(2) रचनाएं भेजते समय रचना की प्रति अपने पास अवश्य रखें। सामान्यतः रचनाएं वापस नहीं भेजी जातीं। रचना की वापसी के लिए यथाउचित मूल्य के टिकट और पता लिखा लिफाफा भेजें।

(3) ई-मेल से भेजी जाने वाली रचनाएं Microsoft Word में Kruti Dev Font 010 में टाइप करके yojanahindi@gmail.com पर भेजी जा सकती है। हस्तलिखित रचनाओं का भी स्वागत है।

(4) संपादकीय पत्र व्यवहार का पता है: संपादक (योजना), प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 648, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स टुडे

वर्ष 2 | अंक 11 | कुल अंक 23 | मई 2017 | ₹ 100

सुपरफास्ट रिवीज़न

पाँचवी कड़ी: भारतीय अर्थव्यवस्था

और

भारतीय
कला-संस्कृति

प्रमुख आकर्षण

- महत्त्वपूर्ण लेख
- टू द पॉइंट
- टॉपर्स की डायरी
- मॉक इंटरव्यू
- द जिस्ट

प्रारंभिक परीक्षा के लिये क्या करें?

IAS टॉपर टीना डाबी से सीधी बातचीत

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिन्दू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 59

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

संपादकीय

भारत की विकास गाथा

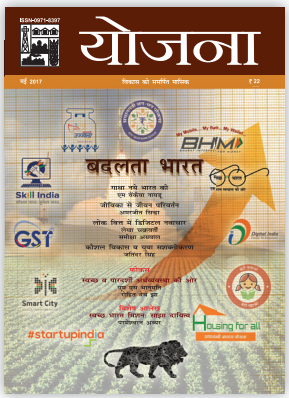

भारत के विभिन्न पारंपरिक ग्रंथों में सुशासन के नियम दिए गए हैं, चाहे वे वैदिक ग्रंथ हों या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने राष्ट्र के विकास के लिए शासन द्वारा उठाए जाने वाले कल्याणकारी उपायों की महत्ता पर सदैव ही बल दिया है।

हाल के वर्षों में भारत की विकास गाथा विभिन्न क्षेत्रों में अद्भुत उपलब्धियों से भरी रही है, चाहे राजकोष को सुदृढ़ करना हो, वित्तीय समावेश हो, बुनियादी ढांचा हो या कृषि हो। सर्वांगीण विकास पर सरकार के जोर से विकास का प्रत्येक क्षेत्र चर्चा में आ गया है। जीएसटी जैसी अच्छी आर्थिक नीतियों और राजकोषीय सुदृढ़ता के उपायों ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक परिदृश्य सतत वृद्धि की ओर अग्रसर रहे। *एक कर, एक राष्ट्र* की अवधारणा के पीछे कर प्रणाली को सरल बनाने, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार तैयार करने एवं विनिर्माण को अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने का उद्देश्य है।

विमुद्रीकरण का ऐतिहासिक अभियान और आय घोषणा योजना, एसआईटी का गठन आदि जैसे अन्य भ्रष्टाचार निरोधक उपाय भ्रष्टाचार एवं कालेधन के उन्मूलन की दिशा में उठाए गए सशक्त कदम हैं। इन उपायों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को कालेधन एवं भ्रष्टाचार के अभिशाप से मुक्ति दिलाना और इस प्रकार निवेश को बढ़ावा देना एवं अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाना है। विमुद्रीकरण डिजिटल भुगतान के तंत्र को प्रोत्साहित करने, नकदरहित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने एवं वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता लाने का भी प्रयास है। लोगों को कम से कम नकद वाले लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भुगतान के विभिन्न डिजिटल तरीके जैसे भीम ऐप, रुपे डेबिट कार्ड आरंभ किए गए।

किसी भी नीति के प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि पहले सभी परिवारों का कल्याण किया जाए और सभी नागरिकों को न्यूनतम आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाएं। *जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, उज्ज्वला, पहल* जैसे वित्तीय समावेश के उपायों से विकास के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचा दिया गया है।

भारत की अपरिमित जनांकिकीय संपदा का लाभ उठाने एवं युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य के साथ *मेक इन इंडिया* के अंतर्गत भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाने के विभिन्न उपाय आरंभ किए गए। यह स्वप्न पूरा करने के लिए सरकार ने *कौशल भारत, कुशल भारत* के नारे के साथ कौशल विकास के कार्यक्रम आरंभ किए। *स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया* जैसे कार्यक्रमों ने भारतीय युवाओं को भारत में रहने और भारत के साथ विकसित होने की प्रेरणा दी है। डिजिटल प्रशासन एवं कारोबारी सुगमता की सरकारी नीतियों ने भारत में निवेश का आगमन सुनिश्चित किया है।

सरकार के एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम *स्वच्छ भारत अभियान* को पहले ही विपक्षी खेमों से भी सराहना प्राप्त हो रही है। *स्वच्छ भारत अभियान* विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता एवं शौचालय संबंधी अच्छी आदतें अपनाने के लिए चमत्कारिक तरीके से प्रेरित कर रहा है।

किसानों का कल्याण, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रहे हैं। *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना* ने हमारे किसानों के जीवन का कायाकल्प करने में सहायता की है। *सुकन्या समृद्धि* और *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* उन कन्याओं के कल्याण के लिए दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जो अभी तक विकास के हाशिये पर ही रही हैं। *अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना* जैसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं ने हमारे बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता की है।

बुनियादी ढांचे को बजट में लगातार अभूतपूर्व आवंटन प्राप्त हुआ है ताकि विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का सृजन सुनिश्चित हो सके और भारत वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन सके। *स्मार्ट सिटी परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* आदि से बुनियादी ढांचा क्षेत्र को गति मिलनी चाहिए।

समूचा विश्व भारत की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा है। हमारे दर्शन, साहित्य और कला की तो अतीत में भी बहुत सराहना की जाती रही है। किंतु अब भारत की प्रशंसा उसके कौशल भंडार, निवेश के अवसरों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, शांति स्थापना की रणनीतियों के कारण की जा रही है और उसकी नीतियों को अब व्यापक स्वीकार्यता मिल रही है। किसी समय *सपेरों का देश* कहलाने वाला भारत आज अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की विकास गाथा लगातार आगे बढ़ती रहेगी। ❑

PATANJALI IAS

पढ़िये उनसे जिनकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद है तथा जिनसे टॉपरों ने भी पढा है।

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच प्रारंभ

निःशुल्क कार्यशाला

24 April

6:30 pm

मुखर्जी नगर (पोस्ट ऑफिस के ऊपर)

दर्शनशास्त्र

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय

- सबसे छोटा सिलेबस, लाखों तथ्यों को रटने से छुटकारा
- रिवीजन में आसान • अंकदायी एवं सफलतादायी विषय
- G.S और निबंध में बहुत उपयोगी

(ऑडियो-विडियो क्लासेज)

द्वारा – श्री धर्मेन्द्र सर

10 April निःशुल्क कार्यशाला **9:00 AM**

भूगोल

(वैकल्पिक विषय)

श्री जे० शंकर

निःशुल्क कार्यशाला

27 April 6:00 PM

मुखर्जी नगर पोस्ट ऑफिस के ऊपर

RAS Mains

निःशुल्क कार्यशाला

17 April 6:00 PM

Imli Phatak Branch

Ph.: 9571456789

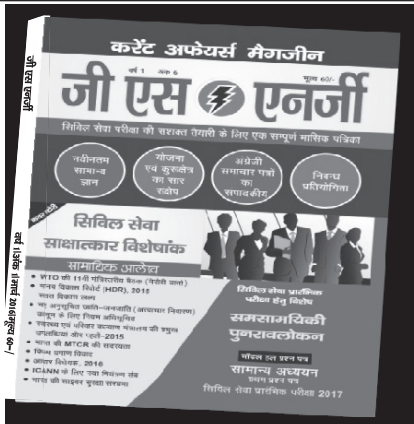

पतंजलि पब्लिकेशंस

की आगामी प्रस्तुती

जी एस एनर्जी

करेंट अफेयर्स मैगजीन

आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर शीघ्र उपलब्ध

DELHI CENTRE

202, 3rd Floor, Bhandari House
(above Post Office)Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Ph.: 011-43557558, 9810172345

JAIPUR CENTRE

31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain
ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 9571456789, 9680677789

GWALIOR CENTRE

G-5, Chaurara Point,
Near Rawal Dass, Phool Bagh Chaurara,
Opp. SBI Bank, Gwalior (M.P.)
Ph:- 0751-4073458, 9584392158

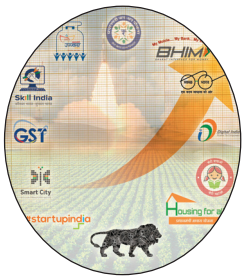

गाथा नये भारत की

एम वेंकैया नायडू

सरकार, विपक्ष, प्रशासन, कॉर्पोरेट तथा नागरिकों का समेकित प्रयास भारत के विकसित राष्ट्र बनने तथा एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के सपने को साकार करने में सहायक हो सकते हैं। यही 'कम्युनिकेटिंग इंडिया' की कहानी है

भारत वैश्विक भू-राजनीतिक आर्थिक फलक पर अपनी वृद्धि की गाथा नये सिरे से लिख रहा है, प्रशासन के अपने ढांचे में नये आयाम गढ़ रहा है और राष्ट्रों के समूह में पूर्वाग्रह के साथ देखी जाने वाली पुरानी छवियों तथा धारणाओं को ध्वस्त करते हुए *न्यू इंडिया* में बदलता जा रहा है।

वास्तव में विश्व को समझना चाहिए कि अमेरिका और चीन के बाद आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का मजबूत और तेजी से बढ़ता बाजार है। भारत का बदलता और यथास्थिति को लगातार चुनौती देता चेहरा, पिछले तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में अपने अग्रणी नेतृत्व के उदाहरणों से भरा पड़ा है। सरकार द्वारा आरंभ की गयी पहलों ने लोगों की मानसिकता एवं व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाला है। समय आ गया है, जब भारत की घिसी-पिटी छवि को खारिज कर दिया जाए तथा संकट और वैश्विक खतरों के बीच नये उत्साह से भरे, उभरते हुए और जगमगाते *न्यू इंडिया* की गाथा पढ़ी जानी चाहिए।

500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की हाल की घोषणा से ही आरंभ करते हैं, जो कालेधन, जाली मुद्रा तथा भ्रष्टाचार के तिहरे अभिशाप पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए सबसे प्रभावी कदमों में से एक है। यह सरकार के पहले ढाई वर्षों में इस दिशा में उठाए गए उन कदमों की तार्किक परिणति ही है, जिनमें स्विस बैंक के अधिकारियों के साथ करीब से काम करना, कर चोरी के व्यक्तिगत मामलों की जांच के लिए एसआईटी की स्थापना और लगभग 65,000 करोड़ रुपये का कर राजस्व जुटाने वाली आय घोषणा योजना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था को विषैले कालेधन से मुक्ति दिलाने के कदम का परिणाम क्षमता में वृद्धि और भ्रष्टाचार में कमी तो होता ही है, इससे सरकार को कर की दरें और केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें घटाने का अवसर भी मिल जाता है, जिससे राजकोषीय घाटे एवं वृद्धि के लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर चलते हुए भी निवेश में बढ़ोतरी की जा सकती है। यह *रिसर्जेंट इंडिया* की कहानी है।

विमुद्रीकरण के उपरांत डिजिटल क्षेत्र में भारत का नेतृत्व स्पष्ट दिखा, जब डिजिटल भुगतान के तंत्र को बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया गया। इसके पीछे असली लक्ष्य था नकदरहित लेनदेन को बढ़ावा देने और भारत को कम नकद वाली अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए व्यवहार में ही परिवर्तन कर देना, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़े। यह देखना सुखद है कि *भीम एप* आने के बाद लगभग 2 महीने में ही 1.5 करोड़ लोगों ने उसे अपना लिया है। डिजिटल लेनदेन में सहायता के लिए सरकार ने 30 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं, जिनमें *जनधन* खाताधारकों को जारी कार्ड भी शामिल हैं। *लकी ग्राहक योजना* के अंतर्गत लगभग 12.5 लाख लोगों ने और डिजिधन व्यापार योजना के अंतर्गत 70,000 व्यापारियों ने पुरस्कार जीते हैं। *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना* ने कर चोरी करने वालों को अपनी आय का खुलासा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया, जिससे मिले धन का उपयोग गरीबों के हित में किया जाएगा। विमुद्रीकरण से हमें इस डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने

लेखक केंद्र सरकार में शहरी विकास आवास, शहरी गरीबी उपशमन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री है।

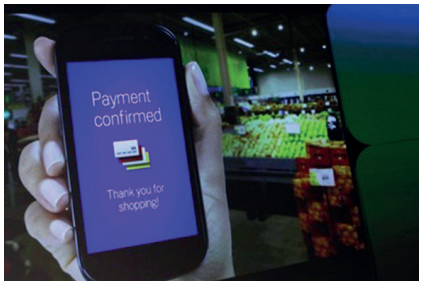

और भ्रष्टाचार तथा कालेधन पर घातक प्रहार करने का अवसर मिलता है। ऑनलाइन माध्यमों से भुगतान के कारण नकद की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है और वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता आती है। भुगतान के डिजिटल माध्यमों के प्रयोग में सिद्धहस्त लोगों का यह दायित्व है कि वे इस मामले में नये लोगों को शिक्षित करें। लोगों का जीवन स्तर सुधारने तथा भ्रष्टाचार और कालेधन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई एक सामूहिक, सामाजिक प्रयास के रूप में होनी चाहिए। यह *डिजिटल इंडिया* की कहानी है।

विमुद्रीकरण तथा आर्थिक क्षेत्र में लिए गए अन्य निर्णय सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने एवं प्रत्येक नागरिक को औपचारिक बैंकिंग तंत्र में लाने के उद्देश्य से तेजी से लागू किए गए हैं। *प्रधानमंत्री जनधन योजना* के अंतर्गत अभी तक लगभग 28.13 करोड़ खाते खोले गए हैं, जो नकदरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने तथा 'वित्तीय अस्पृश्यता' समाप्त करने का स्वप्न साकार करने में बहुत मदद कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलने से रसोई गैस (एलपीजी) की सब्सिडि को *प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)* योजना अथवा पहल के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद मिली। यह सुधार का ऐसा कार्यक्रम है, जो गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने का विश्व स्तर का सर्वश्रेष्ठ उपाय बन सकता है। यह 16 करोड़ से अधिक पंजीकृत लाभार्थियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा *डीबीटी* कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य सब्सिडि सुधार है, जिसमें सब्सिडि समाप्त नहीं की जा रही बल्कि उन्हें अधिक कुशलता के साथ लक्षित किया जा रहा है ताकि वे वांछित लाभार्थियों तक ही पहुंचें, अधिक पारदर्शिता आए और समूची

मूल्य श्रृंखला में लाभ की चोरी तथा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। इस योजना के आरंभ होने के बाद से अभी तक एलपीजी सब्सिडि के मद में सरकार के लगभग 22,000 करोड़ रुपये बच चुके हैं।

विमुद्रीकरण तथा आर्थिक क्षेत्र में लिए गए अन्य निर्णय सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने एवं प्रत्येक नागरिक को औपचारिक बैंकिंग तंत्र में लाने के उद्देश्य से तेजी से लागू किए गए हैं। *प्रधानमंत्री जनधन योजना* के अंतर्गत अभी तक लगभग 28.13 करोड़ खाते खोले गए हैं, जो नकदरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने तथा 'वित्तीय अस्पृश्यता' समाप्त करने का स्वप्न साकार करने में बहुत मदद कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में इतने बैंक खाते खुले हैं, जितने स्वतंत्रता के बाद से अगस्त, 2014 तक नहीं खुल सके थे। यह *इनक्लूसिव इंडिया* की कहानी है।

पहल योजना का दूसरा पक्ष *गिव इट अप* अभियान है। यह योजना उन ग्राहकों को स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडि छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है। बची हुई राशि का प्रयोग उन लोगों को 65 लाख से अधिक नये एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने में किया गया, जो खाना पकाने के लिए अभी तक लकड़ी या केरोसिन चूल्हे का प्रयोग करते हैं। एक करोड़ से अधिक ग्राहकों ने सब्सिडि का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है और इससे सरकारी खजाने को लगभग 5,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह *इनकरप्टिबल इंडिया* की कहानी है।

मेक इन इंडिया अभियान सरकार की प्रमुख योजनाओं में है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और इस तरह बेहतर बुनियादी ढांचे, रोजगार के बेहतर अवसरों जैसे आर्थिक लाभ प्राप्त करना तथा भारत की विशाल जनांकिकीय संपदा का

लाभ उठाना है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की शुद्ध आवक 2017 के आरंभ में 3.35 अरब डॉलर के सर्वकालिक स्तर तक पहुंच चुकी है और उससे चालू खाते का घाटा पूरी तरह भरा जा चुका है। *मेक इन इंडिया* आरंभ होने के बाद से विदेशी निवेश लगभग 46 प्रतिशत बढ़ गया है। यह *इन्वेस्टर-फ्रेंडली इंडिया* की कहानी है।

ऐतिहासिक जीएसटी विधेयक के पारित होने से कर प्रणाली सरल होने वाली है, वस्तुओं एवं सेवाओं का राष्ट्रव्यापी बाजार बनने वाला है और कर आधार बढ़ने वाला है, जिससे आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। सरकार का राजस्व बढ़ेगा; माल की आवाजाही, भंडारण की लागत, कर चोरी में कमी आएगी और विनिर्मित वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। *एक राष्ट्र, एक कर* का स्वप्न अब यथार्थ बन चुका है। इससे सरकार की निर्णय लेने की क्षमता सिद्ध होती है। विनिर्माण अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो जाएगा क्योंकि एक के बाद एक लगने वाले कर, अंतर-राज्यीय कर, माल ढुलाई पर भारी खर्च एवं बंटे हुए बाजार की समस्याएं जीएसटी आने से समाप्त हो जाएंगी। आयात से अधिक सुरक्षा मिलेगी क्योंकि जीएसटी काउंटरवेलिंग शुल्क का काम करेगा। यह *ट्रांसफॉर्मेशनल इंडिया* की कहानी है।

अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था का स्वप्न साकार करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे

***स्वच्छ भारत अभियान* इस सरकार का पर्याय ही बन गया है। इसे कायाकल्प करने वाला अभियान कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत भारत को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों की संख्या के लिहाज से बुनियादी ढांचे में कई गुना वृद्धि हुई है।**

मंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों की नियमित समीक्षा बैठकें और नियमित अंतराल पर देशभर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद नयी पहचान बन गयी है। व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे निर्णयों में दिखने वाली देर तथा प्रशासनिक बाधाएं दूर करना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। यह ट्रांसपेरेंट इंडिया की कहानी है।

को मजबूत करने एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से *डिजिटल इंडिया* अभियान आरंभ किया गया। ई-प्रशासन से कुशलता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और प्रक्रियागत मामलों पर नष्ट होने वाला समय भी बच जाता है। यद्यपि यह योजना अभी आरंभिक चरणों में है, लेकिन इसे बहुभाषी मंचों पर लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंटनरेट कनेक्टिविटी सुधारने से इस अभियान का दायरा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सरकार पर्याप्त बुनियादी ढांचे की महत्ता समझती है। इसी कारण हम 2.5 लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने वाला भारत ब्रॉडबैंड स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। 16,355 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया गया है। यह *डिजिटल इंडिया* की कहानी है।

स्वच्छ भारत अभियान इस सरकार का पर्याय ही बन गया है। इसे कायाकल्प करने वाला अभियान कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत भारत को 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों की संख्या के लिहाज से बुनियादी ढांचे में कई गुना वृद्धि हुई है। सरकार का अगला जोर लोगों को शौचालयों के प्रयोग से रोकने वाली युगों पुरानी

सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक रीतियों से मुक्त कर व्यवहार में परिवर्तन करना है। इस योजना के आरंभ होने के बाद अभी तक 4 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं और 573 शहर, 1,88,008 गांव तथा 130 जिले खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। यह *क्लीन इंडिया* की कहानी है।

कौशल विकास के मोर्चे पर *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना* सरकार की प्रमुख योजना है, जिसे भारी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग के अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग के उद्देश्य से लाया गया है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद मिलेगी। *कौशल भारत, कुशल भारत* के नारे के साथ वित्त वर्ष 2016 में 19.85 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2.49 लाख को रोजगार मिल गया। 596 जिलों में 8479 प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए हैं। यह *स्किल इंडिया* की कहानी है।

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के सिद्धांत में विश्वास की स्थापना सरकार की काम करने की नीतियों में आये परिवर्तन से झलक रहा है। वर्तमान नेतृत्व की कार्यशैली पेशेवर है और उसने सरकार में नयी कार्य संस्कृति फूंककर प्रशासन को *कॉर्पोरेट जामा* पहना दिया है। मंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों की नियमित समीक्षा बैठकें और नियमित अंतराल पर देशभर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद नयी पहचान बन गयी है। व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे निर्णयों में दिखने वाली देर तथा प्रशासनिक बाधाएं दूर करना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। यह ट्रांसपेरेंट इंडिया की कहानी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीम की परत वाले यूरिया जैसी कृषि क्षेत्र की योजनाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य में

वृद्धि जैसे कदमों ने मानसून की अनिश्चितताओं के बीच भी हमारे देश के किसानों को अच्छी स्थिति में रखा है। 2014 से 2017 के बीच लगभग 15.86 लाख हेक्टेअर भूमि को *लघु सिंचाई की हर बूंद में अधिक उत्पादन (पर ड्रॉप मोर क्रॉप)* के अंतर्गत लाया गया है और अभी तक 6.20 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। बीमा कवरेज के मामले में खरीफ 2016 सत्र के दौरान 23 राज्यों में 390 लाख किसानों तथा 386.75 लाख हेक्टेअर फसल का 1,41,883.30 करोड़ रुपये का बीमा किया गया है। रबी 2016-17 के दौरान अभी तक 167 लाख किसानों की करीब 193.35 लाख हेक्टेअर फसल का 71,728.59 करोड़ रुपये का बीमा किया जा चुका है। ये आंकड़े स्वयं ही देश के अन्नदाताओं के कल्याण के प्रति सरकार के संकल्प की कहानी कहते हैं।

बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर *स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडि स्कीम, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* तथा *रेरा* को मंजूरी दिए जाने जैसे कदमों ने क्षेत्र का प्रदर्शन सुधार दिया है।

कन्या हो, वरिष्ठ नागरिक हों, किसान हों, अल्पसंख्यक हों, शहरी नागरिक हों या ग्रामीण हों, *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, मुद्रा बैंक योजना,*

ब्रिक्स, दक्षेस, बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत की सक्रियता के अच्छे परिणाम मिले हैं। जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता (पेरिस शिखर बैठक में) और डब्ल्यूटीओ में व्यापार वार्ता के दौरान विकासशील देशों के हितों की बात उठाने में भारत ने अगुआई की है।

सुकन्या समृद्धि योजना, नयी मंजिल योजना जैसे कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों का पूर्णतया संतुलित विकास सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। सरकार की योजनाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंची हैं और उनके जीवन को सरल बनाया है। यह गरीब, किसान और महिलाओं की कहानी है, जो *ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया* के लाभ उठा रहे हैं।

भारत की विदेश नीति देखें तो सरकार ने बहुत सक्रियता के साथ प्रयास किए हैं; प्रधानमंत्री ने 2 वर्ष में ही 6 महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों की यात्राएं की हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दक्षेस नेताओं को आमंत्रित करने का पहला निर्णय ही शानदार था, जिससे राजनयिक हलकों में यह स्पष्ट संदेश पहुंच गया कि वर्तमान सरकार के अधीन भारत अपने पड़ोसियों के करीब रहकर काम करना चाहता है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी हुई कि द्विपक्षीय यात्रा के लिए पहला देश भूटान चुना गया और प्रधानमंत्री अभी तक भारत के सभी पड़ोसी देशों का कम से कम एक दौरा कर चुके हैं।

पाकिस्तान से आने वाले आंतकवाद के संबंध में भारत अभी तक सामरिक संयम बरतता था, जिसे बदलकर अधिक दृढ़ता का रुख अपना लिया गया है। विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर और क्षेत्रीय सम्मेलनों (पाकिस्तान में दक्षेस सम्मेलन) का बहिष्कार कर यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि भारत विशुद्ध द्विपक्षीय संबंध चाहता है और अलगाववादियों के साथ पाकिस्तान सरकार की वार्ता उसे स्वीकार नहीं है। भारतीय सेना पर हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक से यह रुख और भी स्पष्ट हो गया। दक्षेस शिखर बैठक का बहिष्कार कर भारत ने इतना कड़ा संदेश भेजा कि प्रमुख वैश्विक शक्तियां पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार के लिए विवश हो गयी।

बहुपक्षीय संबंधों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के भारत के दावे का समर्थन कई देशों ने किया और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के मोर्चे पर काफी प्रगति हुई है। ब्रिक्स, दक्षेस, बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत की सक्रियता के अच्छे परिणाम मिले हैं। जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय वार्ता (पेरिस शिखर बैठक में) और डब्ल्यूटीओ में व्यापार वार्ता के दौरान विकासशील देशों के हितों की बात उठाने में भारत ने अगुआई की है।

वर्तमान नेतृत्व के अधीन भारत-अमेरिका संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण अमेरिकी नेताओं के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के सक्रिय उपाय किए हैं और अपने कार्यकाल के पहले 24 महीनों में ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से 6 बार मुलाकात की तथा तीन बार अमेरिका का दौरा किया। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध बरकरार हैं और प्रगाढ़ता के साथ बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने जापान और रूस जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ ही सक्रिय संपर्क बनाए रखा है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं विफल हुई हैं। तापी, चाबहार बंदरगाह समझौता जैसी परियोजनाएं क्षेत्र में चीन के प्रभाव से बचाने का काम करेंगी।

पारंपरिक सहयोगियों से संपर्क बढ़ाने के साथ ही मध्य एशिया तथा अफ्रीका में नये उभरते देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाने पर भी इस सरकार का जोर है क्योंकि इन देशों के पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं तथा इनका कूटनीतिक महत्व बहुत अधिक है। भारत ने स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह *इमर्जिंग इंडिया* की कहानी है।

नेपाल में भूकंप हो या यमन में फंसे भारतीय हों, कश्मीर में बाढ़ हो या केरल के मंदिर में लगी आग हो, सरकार ने सदैव लोगों को राहत एवं बचाव के साधन प्रदान किए हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे समारोहों को विशाल स्तर पर आयोजित कर भारत ने अपने प्रभाव का पूरा प्रदर्शन किया। यह *केयरिंग इंडिया* की कहानी है।

पिछले 3 वर्षों ने आने वाले वर्षों में राष्ट्र की प्रगति की बुनियाद तैयार कर दी है। इनमें से अधिकतर प्रयासों को संचार के विभिन्न माध्यमों - संवाददाता सम्मेलन, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट एवं सोशल मीडिया में आक्रामक संदेशों के जरिये आगे बढ़ाया गया है। आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम *मन की बात* के जरिये लोगों से संवाद कर प्रधानमंत्री ने स्वयं यह कार्य कर दिखाया है। सरकार, विपक्ष, प्रशासन, कंपनी जगत तथा नागरिकों के सम्मिलित प्रयासों से भारत को विकसित देश के रूप में वैश्विक महाशक्ति बनाने का सपना पूरा करने में सहायता मिल सकती है। यह *कम्युनिकेटिंग इंडिया* की कहानी है।

हमारी कहानी को फिर से कहे जाने की आवश्यकता है- और पश्चिम को पूर्वाग्रह भरे चश्मे से और दुनियाभर में समाजवाद को तिलांजलि दे दिए जाने के लंबे समय बाद भी चले आ रहे उसके जीर्ण ढांचे से भारत को देखना छोड़ना होगा। ऊपर कुछ कहानियां बतायी गयी हैं, जो एक नये भारत की तस्वीर बनाती हैं, जो नयी ऊर्जा से परिपूर्ण है और जिसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह मिशन मोदी *मेकिंग ऑफ डेवलपिंग इंडिया* की कहानी है। ❑

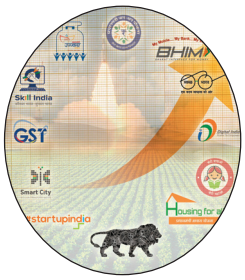

स्वच्छ भारत मिशनः साझा दायित्व

परमेश्वरन अय्यर

व्यवहार में बदलाव और उपयुक्त तकनीकों के इस्तेमाल से आगे, अहम है कि स्वच्छता सबका दायित्व बने। इसके लिए निजी क्षेत्र भी स्वच्छता अभियान ने को तेजी से शामिल हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण टाटा समूह के प्रयास हैं। इसने भारत के प्रत्येक जिले में नियुक्त 600 युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी है, जिससे कि *स्वच्छ भारत मिशन* को लागू करने वाले कलेक्टरों को सहयोग किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत *स्वच्छ पखवाड़ा* मनाने के साथ, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय ने एक *स्वच्छता एक्शन प्लान* बनाया है। इसके लिए एक बजट भी तय किया गया है, जोकि उनके मुख्य धारा के व्यवसाय में स्वच्छता को जोड़ेगा

स्वच्छ *भारत मिशन* (एसबीएम) के क्रियान्वयन का आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं। इसमें काफी गति आयी है और महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से इस अभियान की शुरुआत की थी, तब से अब तक यह धीरे-धीरे एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। 2 अक्तूबर, 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक ग्रामीण स्वच्छता भारत में सफाई व्यवस्था 42 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। ग्रामीण भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ से घटकर 35 करोड़ तक हो गयी है।

1,90,000 गांव, 130 जिले और तीन राज्य पूरी तरह खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) हो चुके हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2 अक्तूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त देश बनाना है।

स्वच्छता को प्राथमिकता देना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। स्वच्छता की कमी ही पांच साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया जैसी समस्या का मुख्य कारण है। इसी के कारण कई बच्चों की जान भी चली जाती है, जिनको बचाया जा सकता है। स्वच्छता महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए भी जरूरी है। भारत जहां आर्थिक शक्ति बनने की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है, वहां खुले में शौच के चलन को खत्म करना बेहद अनिवार्य है।

पहले के समय में चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों की तरह *स्वच्छ भारत अभियान* सिर्फ शौचालय निर्माण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक रूप से जनता में बदलाव लाने वाला आंदोलन है। सड़क, पुल या एयरपोर्ट बनाना फिर भी आसान है, लेकिन इंसान के व्यवहार को बदलना काफी मुश्किल और जटिल मुद्दा है। अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की खुले में शौच की इस आदत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो वर्षों से उनके साथ है, तो यह एक बहुत बड़ा कार्य है।

हालांकि जनसंचार अभियान उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इस व्यावहारिक बदलाव को लाने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। ये लोग गांवों में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करके साफ-सफाई और शौचलाओं की अहमियत के बारे में बता सकते हैं। देशभर के राज्यों और जिलों में इस तरह के प्रशिक्षित प्रोत्साहनकर्ताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की जरूरत है।

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय क्षमता निर्माण, मानव संसाधन, व्यवहार परिवर्तन संचार, ज्ञान साझाकरण, निगरानी और मूल्यांकन जैसे क्रियाकलापों के जरिए राज्यों को *स्वच्छ भारत मिशन* के क्रियान्वयन में सहयोग करता है। जिलों और राज्यों में बेहतर प्रयास को साझा करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम 'स्वच्छ संग्रह' (स्वच्छ भारत मिशन का

लेखक वर्तमान में भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत हैं। ये *स्वच्छ भारत मिशन* और *राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन* जैसी योजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इनको जलापूर्ति और सफाई क्षेत्र में 20 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वाशिंगटन डीसी स्थित वर्ल्ड बैंक में जल प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनको 'स्वजन्न' जैसी महती योजना की शुरुआत और क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है। ईमेलः param.iyer@gov.in

जानकारी पोर्टल) और अलग-अलग स्थानों पर सैकड़ों प्रोत्सहनकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए वर्चुअल क्लासरूम जैसे कार्यक्रम इस अभियान में प्रौद्योगिकी के व्यवस्थित एकीकरण का उदाहरण हैं। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय कार्यशाला और कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित होते हैं। इनके जरिये समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को साथ आकर एक-दूसरे से कुछ सीखने और प्रेरित करने का मौका मिलता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेतृत्वकर्ता, खासतौर पर महिलाएं इस प्रगति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। गत 9 मार्च के दिन हुए *स्वच्छ शक्ति* समारोह में देशभर से 6000 महिला सरपंचों ने हिस्सा लिया और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी सफलता का जश्न मनाया।

गांधीनगर में हुए इस आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने *स्वच्छ भारत मिशन* और *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने उन महिला स्वच्छता विजेताओं को पुरस्कृत भी किया, जो समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए प्रेरणा रही हैं। इस मिशन को लोगों का आंदोलन बनाने के अतिरिक्त, शौचालय तकनीक और प्रथाओं में बदलाव करना भी महत्वपूर्ण है। लागत, स्थिरता और पुनः उपयोग के संबंध में देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है *ट्वीन-पिट मॉडल*। हालांकि ग्रामीण भारत में यह मॉडल काफी प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। यह कई संदर्भों में प्रभावशाली भी है। फिर भी ग्रामीण परिवारों को इसके इस्तेमाल के लिए राजी करने के लिए और भी प्रयास करने की जरूरत है। शौचालय के दो पिट्स में से एक को साफ करना आसान, सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से उपयुक्त है। इससे मिलने वाली ऑर्गेनिक खाद को खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख हस्तियां टॉयलेट पिट्स को साफ करके दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा वह दूसरे लोगों के लिए उदाहरण पेश करेंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण परिवार ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे ट्वीन पिट, टेक्नोलॉजी का तेजी से प्रसार और इस्तेमाल होगा।

व्यवहार में बदलाव और उपयुक्त तकनीकों के इस्तेमाल से आगे, यह भी अहम है कि स्वच्छता सबका दायित्व बने। इसके लिए निजी क्षेत्र भी अपने कार्य के साथ स्वच्छता अभियान को तेजी से शामिल कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण टाटा समूह के प्रयास हैं। इसने भारत के प्रत्येक जिले में नियुक्त 600 युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद दी है, जिससे कि *स्वच्छ भारत मिशन* को लागू करने वाले कलेक्टरों को सहयोग किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत *स्वच्छ पखवाड़ा* मनाने के साथ, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय ने एक *स्वच्छता एक्शन प्लान* बनाया है। इसके लिए एक बजट भी तय किया गया है, जोकि उनके मुख्यधारा के व्यवसाय में स्वच्छता को जोड़ेगा।

लागत, स्थिरता और पुनः उपयोग के संबंध में देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है *ट्वीन-पिट मॉडल*। हालांकि ग्रामीण भारत में यह मॉडल काफी प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। यह कई संदर्भों में प्रभावशाली भी है। फिर भी ग्रामीण परिवारों को इसके इस्तेमाल के लिए राजी करने के लिए और भी प्रयास करने की जरूरत है। दो टॉयलेट (ट्वीन) पिट्स में एक को साफ करना आसान, सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से उपयुक्त है। इससे मिलने वाली ऑर्गेनिक खाद को खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

2017-18 में स्वच्छता से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए सभी मंत्रालयों द्वारा 5000 करोड़ रुपये अनुमानित रूप से तय किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर के साथ-साथ गंगा की सफाई भी अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता को मुख्यधारा का विषय बनाने के अन्य उदाहरण हैं।

स्वच्छ भारत मिशन का एक अहम तत्व नतीजों का प्रमाणीकरण भी है। यह इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है। वर्तमान में जिला-स्तर, राज्य-स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पक्ष सत्यापन के साथ एक बहुस्तरीय प्रक्रिया चल रही है। इन प्रयासों को और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है और आने वाले दिनों में मुख्यधारा में शामिल करने की जरूरत है।

इसके अलावा खुले में शौच से मुक्ति का इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसकी उपलब्धि अन्य सरकारी कार्यक्रमों की तरह किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं है। ओडीएफ का दर्जा पाना एक मसला है, लेकिन स्थानीय संरचनाओं के जरिये बनाए रखना दूसरा मसला है। मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ एक संपोषणीयता प्रोटोकॉल विकसित किया गया है और इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की जरूरत है। मंत्रालय के पास भी एक मज़बूत सूचना प्रबंधन तंत्र (एमआईएस) है, जोकि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक परिवार की प्रगति का ब्यौरा रखता है। *स्वच्छ एप* के साथ एमआईएस भी सार्वजनिक है। प्रभावी ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन भी इस अभियान का अहम हिस्सा है। देश के विभिन्न गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन पर काम शुरू किया जा चुका है। इनमें उन गांवों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो पहले ही खुले में शौच से मुक्त स्तर प्राप्त कर चुके हैं। *ग्रामीण स्वच्छता इंडेक्स* सरकार द्वारा विकसित किया जा चुका है। इसमें गांव खुद को ही संपूर्ण स्वच्छता के अनुसार अंक देते हैं और स्वच्छता की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन करते हैं। ओडीएफ स्तर, अपशिष्ट प्रबंधन स्तर और सामान्य स्वच्छता सूचकांक किसी भी गांव को ओडीएफ तक पहुंचने में मदद करता है, जोकि ओडीएफ स्तर हासिल करने के बाद का चरण है। स्वच्छ भारत मिशन अच्छी प्रगति कर रहा है, और केंद्र और राज्य दोनों की टीमें आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर पूरी तरह सजग हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों में राजनीतिक नेताओं, प्रशासनिक नौकरशाही, जमीनी स्तर पर सरपंच खासतौर पर महिलाओं के सहयोग, से यह बात तो साफ है कि देशभर में यह आंदोलन सफल होगा। ❑

शब्द संक्षेप

- ओडीएफ: ओपन डेफिकेशन फ्री
- एमआईएस: मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम

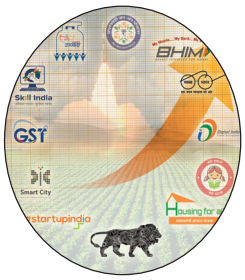

आजीविका के माध्यम से ग्रामीण जीवन की कायापलट

अमरजीत सिन्हा

ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सरकार के पिछले 3 वर्षों में उठाये गए कदम उसकी सफलता को बयान करती है। सतत् एवं सर्वांगीण ग्रामीण विकास के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण विकास की राह को सुगम बनाया जा रहा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बेघरों एवं जरूरतमंदों को आशियाने उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वहीं मनरेगा दीन दयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीण को समुचित रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

ग्रामीण विकास सतत आर्थिक वृद्धि और मानव विकास का मूलमंत्र है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आती है तो गरीबी का उन्मूलन होता है और कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आजीविका के अवसर प्राप्त होते हैं। विश्वव्यापी शक्ति के रूप में भारत का उद्भव ग्रामीण गरीबी और विकास की चुनौती से निपटने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने और परिवारों के कल्याण हेतु बुनियादी ढांचे में सुधार करने को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। ऐसा ग्रामीण विकास जिसमें सभी को साथ लेकर चला जाए, उसी के माध्यम से स्थायी प्रगति संभव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कई पहलू हैं। अब सभी पहलुओं पर काम किए जाने का महत्व समझा जा रहा है। अगर कोई बेघर है तो वह गरीब हो सकता है, अगर कोई अशिक्षित है और उसके पास कोई दक्षता नहीं तो वह गरीब हो सकता है, अगर उसके पास कोई संपत्ति नहीं है तो वह गरीब हो सकता है, किसी की सेहत अच्छी नहीं तो वह गरीब हो सकता है। ऐसे विभिन्न पहलू हो सकते हैं जिनके कारण किसी व्यक्ति को अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने का मौका न मिले। ग्रामीण विकास की असली चुनौती यह है कि हर ग्रामीण परिवार को मानवीय और आर्थिक विकास से जुड़ी सेवाएं मुहैया करायी जाएं जिससे उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने का अवसर मिले।

ग्रामीण विकास विभाग एक लाख करोड़ रुपये के सालाना बजट के साथ गरीबी के विभिन्न पहलुओं को लक्षित करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आजीविका और गरीब परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है। अगर हम सभी विभागों और राज्य सरकारों के बजटों को जोड़कर देखें तो इन क्षेत्रों में सालाना 3-4 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाते हैं।

सूखे की स्थिति में जल संरक्षण पर जोर देते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि गैर-कृषि रोजगार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त एकीकृत कृषि प्रणाली के विकास पर ध्यान दिया जाए जिसमें फसल, बागवानी और पशुपालन शामिल हैं। साथ ही *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)* के तहत संसाधनों को आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है और परिवारों को वैविध्यपूर्ण आजीविका प्रदान करने के लिए उनका इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मिशन कन्वर्जेंस के जिन दिशानिर्देशों को स्वीकृत किया गया है, उनके तहत मनरेगा के संसाधनों को पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर उपयोग किया जाएगा ताकि रिज टू वैली सिद्धांत के आधार पर वॉटरशेड क्षेत्रों को सूखे से बचाया जा सके।

दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत सूक्ष्म ऋण योजना- महिलाओं के स्वसहायता समूहों (एसएचजी) के साथ कार्य करते हुए *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)* आर्थिक गतिविधियों के लिए परिवारों को संस्थागत ऋण प्रदान करता है। 31 लाख से अधिक महिला स्वसहायता समूह और लगभग 3.6 करोड़ महिलाएं इस मिशन से जुड़ी हुई हैं। स्वसहायता

लेखक वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में सचिव हैं। यहां व्यक्त विचार निजी हैं और विभाग सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सर्वशिक्षा अभियान को डिजाइन करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब तक इनकी 7 पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाओं में असंख्य लेख प्रकाशित हो चुके हैं। ईमेल: secyrd@nic.in

समूहों (एसएचजी), ग्राम संगठन (वीओ), सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के माध्यम से प्रभावी सामाजिक संपत्ति विकसित करने के बाद अब जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों वाले इन समूहों को बैंकों से जोड़ा जाए। महिला स्वसहायता समूहों ने पिछले तीन वर्षों में 85,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया है। इसमें से एक बड़ी रकम का उपयोग गरीब परिवारों की आय को सुधारने और विविधापूर्ण रोजगार करने के लिए किया गया है। मनरेगा के संसाधनों का उपयोग बकरियों, मुर्गियों के लिए शेड्स और डेयरी शेड्स बनाने के लिए किया गया है। लोगों के लिए तालाब और कुएं बनाए गए हैं ताकि अधिक आय अर्जित करने के लिए विविध प्रकार के रोजगार किए जा सकें।

2016-17 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की स्थिति

2016-2017 में अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुईं। यह इसी से पता चलता है कि *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)* के तहत 2011-2014 में प्रति दिन 73.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ तो 2014-15 में प्रति दिन 100 किलोमीटर सड़कें बनी। 2016-2017 में यह आंकड़ा 130 किलोमीटर प्रति दिन का था। इसी प्रकार, *ग्रामीण आवास (आरएच)* कार्यक्रम के तहत, जहां सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया था कि *इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)* के सभी अधूरे घरों के निर्माण के काम को पूरा किया जाए और 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गयी *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण)* के तहत निर्माण शुरू किए जाए, राज्यों ने 32.14 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया। 2011-2014 के दौरान घरों के औसत निर्माण की तुलना में यह संख्या दो से तीन गुना अधिक है। ऐसे ही *मनरेगा* के तहत जहां सामान्यत: 25 लाख से 30 लाख काम पूरे होते हैं, 2016-2017 में 52 लाख काम पूरे किए गए। मनरेगा के तहत पहली बार 88 लाख परिसंपत्तियां जियोटैग की गईं। 2016-2017 में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कुछ प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा यहां दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

2016-17 के दौरान 47,350 किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़क का निर्माण किया गया। पिछले 7 वर्षों के दौरान एक वर्ष में यह सबसे अधिक सड़क निर्माण है। 2016-17 के दौरान 47,350 किलोमीटर *पीएमजीएसवाई* सड़क निर्माण से 11,614 बस्तियों को जोड़ा गया (औसतन 32 बस्तियां को प्रत्येक दिन जोड़ा गया)। *पीएमजीएसवाई* सड़कों से कितनी बस्तियों को कनेक्टिविटी मिली, अगर इसकी संख्या से लिहाज से देखा जाए तो पिछले 7 वर्षों में 11,606 का आंकड़ा सबसे अधिक है।

2016-17 के दौरान ग्रामीण सड़कों से कार्बन उत्सर्जन एवं पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने तथा वर्किंग सीजन को बढ़ाने एवं उन्हें लागत प्रभावी बनाने के लिए *पीएमजीएसवाई* ग्रामीण के तहत सड़कों में हरित तकनीक और गैर परंपरागत सामग्रियों, जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो टेक्सटाइल, फ्लाई ऐश, लोहे और तांबे के मल के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। 2016-17 में हरित तकनीक का का उपयोग करके 4,113.13 किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण किया गया।

ग्रामीण आवास (आरएच) कार्यक्रम के तहत, जहां सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया था कि _इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)_ के सभी अधूरे घरों के निर्माण के काम को पूरा किया जाए और 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गयी _प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण)_ के तहत निर्माण शुरू किए जाए, राज्यों ने 32.14 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया। 2011-2014 के दौरान घरों के औसत निर्माण की तुलना में यह संख्या दो से तीन गुना अधिक है।

मनरेगा- 2016-17 में प्रशासनिक परिवर्तन और जल संरक्षण पर जोर

वित्तीय वर्ष 2016-17 में जल संरक्षण पर जोर देने के साथ-साथ मनरेगा में अभूतपूर्व प्रशासनिक परिवर्तन देखा गया। नरेगा सॉफ्ट में आधार सीडिंग के साथ 82 प्रतिशत से अधिक सक्रिय श्रमिक (9.1 करोड़) हैं, आधार आधारित पेमेंट ब्रिज पर 4.6 करोड़ श्रमिक हैं, बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से 96 प्रतिशत मजदूरी का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया गया है, 89 लाख से अधिक परिसंपत्तियां को अब तक जियोटैग किया जा चुका है, 93 लाख से अधिक जॉब कार्ड्स को उचित सत्यापन न होने के कारण समाप्त किया जा चुका है, कम बारिश वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सूखा रोधी जल संरक्षण कार्य किए गए हैं। इस प्रकार *मनरेगा* को न केवल उचित रूप से संचालित किया जा रहा है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित आजीविका के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन कर रहा है और मांग आधारित रोजगार भी प्रदान कर रहा है। *मनरेगा* ने 230 करोड़ दिन के बराबर रोजगार पैदा किया जोकि संशोधित श्रम बजट से अधिक है। 58,056 करोड़ रुपए का कुल प्रस्तावित व्यय (केंद्रीय और राज्य) किसी भी एक वर्ष में सबसे अधिक है। वैतनिक रोजगार में 56 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी भी सबसे अधिक है।

सूखा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जल संरक्षण पर माननीय प्रधानमंत्री की बैठकों के बाद जल संरक्षण के अभियान को गति मिली। राज्यों ने *मनरेगा* संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र विशिष्ट में जल संरक्षण की पहल की। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना ने 3,200 गांवों को सूखे से बचाने के लिए 92,000 जल संरक्षण संरचनाएं बनायी। झारखंड के हर राजस्व गांवों में दोभा या खेतों में तालाब बनाए गए। आंध्र प्रदेश में खेतों में तालाब बनाने के कार्यक्रम *नीरू चेटू* को शुरू किया गया। तेलंगाना में *मिशन कार्तिकेय* शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में *कपिलधारा* के तहत कुएं खोदने का काम किया गया। महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर लगाए गए और जल संरक्षण के दूसरे उपाय किए गए। इन सभी कार्यक्रमों में आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए मनरेगा संसाधनों का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पानी से संबंधित 15.47 लाख काम पूरे किए गए जिनमें 5.66 लाख कृषि तालाब शामिल हैं। *मनरेगा* की वार्षिक प्रदर्शन परिणाम रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान यह जानकारी भी मिली कि वित्तीय

वर्ष 2015-16 और 2016-17 में *मनरेगा* के माध्यम से लगभग 90 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है।

मनरेगा ने बड़ी संख्या में लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया है (इसमें लगभग 14.61 लाख से अधिक लाभार्थी हैं) और उनकी आजीविका सुरक्षित की है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान उनके लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन और डेयरी कामों के लिए शेड्स का निर्माण किया गया है। तालाब और कुएं खोदे गए हैं। घर और व्यक्तिगत परिवार के लिए शौचालय (आईएचएचएल) बनाने में सहयोग दिया गया है। तमिलनाडु के 11,000 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभिनव पहल की गई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य कई राज्यों में तरल कचरा प्रबंधन के लिए 4 लाख से अधिक *मैजिक पिट्स* का निर्माण किया गया है। *मनरेगा* के अकुशल श्रमिकों को कौशल प्रदान करने के लिए भी काम किया गया है। 29,094 लोगों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 3,812 लोगों को बेयरफुट तकनीशियन बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही *डीडीयूजीकेवाई* के तहत 3,000 से अधिक श्रमिकों के लिए प्लेसमेंट आधारित वैतनिक रोजगार का प्रावधान किया गया है और *पीएमएवाई* ग्रामीण के तहत ग्रामीण मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

पीएमएवाई ग्रामीण: सिर्फ मकान नहीं, घरों का निर्माण

माननीय प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को *प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण)* का शुभारंभ किया था। इस नए ग्रामीण आवास कार्यक्रम को लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। उच्च लागत के साथ यह कार्यक्रम स्थानीय सामग्री और डिजाइनों का उपयोग करता है। इसके तहत बने घरों में रसोई, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और पानी की आपूर्ति होगी, और लाभार्थी अपनी जरूरत के मुताबिक अपने घरों की योजना बना सकते हैं। घरों को अच्छा बनाने के लिए ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ, वे एक दक्ष श्रमिक भी बनेंगे।

2016-17 में इस बात पर जोर दिया गया कि लाभार्थियों के चयन, आईटी/डीबीटी प्लेटफॉर्म तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, ग्रामीण राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, घरों की डिजाइनिंग को अंतिम रूप देने इत्यादि से संबंधित सभी कामों को पूरा करने के साथ *पीएमएवाई-ग्रामीण* का शुभारंभ किया जाए। एक बात और भी है। यह लक्ष्य भी था कि पिछले एक से चार वर्षों के दौरान लंबित पड़े *इंदिरा आवास योजना* के 36 लाख अधूरे मकानों को भी पूरा किया जाए।

पहले जहां ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए हर जिले में 2 से 20 बैंक खाते थे, वहीं राज्य स्तर पर अब सिंगल नोडल एकाउंट है।

2016-17 में इस बात पर जोर दिया गया कि लाभार्थियों के चयन, आईटी/डीबीटी प्लेटफॉर्म तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग, ग्रामीण राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, घरों की डिजाइनिंग को अंतिम रूप देने इत्यादि से संबंधित सभी कामों को पूरा करने के साथ पीएमएवाई-ग्रामीण का शुभारंभ किया जाए।

यह प्रशासकीय सुधार ही कहा जाएगा कि अब आवास-सॉफ्ट पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में फंड्स प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं।

प्राथमिकता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से *पीएमएवाई ग्रामीण* के तहत लाभार्थियों को 2022 तक के लिए चुना गया है। तीन फिल्टरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि वास्तव में बेघर लोगों और टूटे-फूटे घरों में रहने वाले परिवारों को चुना जाए। संवेदनशील समूहों और बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। घरों की डिजाइनिंग इस प्रकार की गयी है कि वे आपदाओं को झेल सकें। कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों ने *पीएमएवाई-ग्रामीण* के कार्यान्वयन में अगुवाई की है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अधूरी इंदिरा आवास योजनाओं को पूरा करने का उल्लेखनीय कार्य किया है।

ग्रामीण विकास विभाग को उम्मीद है कि 2017-18 में 51 लाख घरों का निर्माण पूरा हो जाएगा। 2017-18 के लिए अतिरिक्त 33 लाख मकान मंजूर किए जाएंगे। 2018-19 के दौरान भी इतनी ही संख्या में घरों का निर्माण पूरा होना प्रस्तावित है। इस प्रकार 2016-2019 के दौरान 1.35 करोड़ घरों के निर्माण का आंकड़ा पूरा होगा। हमें 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य जो पूरा करना है।

डीएवाई-एनआरएलएम: आजीविका से जीवन की कायापलट

दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएयू-एनआरएलएम) 3.6 करोड़ से अधिक परिवारों के जीवन और आजीविका की कायापलट कर रहा है, जहां महिलाएं स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल हुई हैं। एसएचजी, ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय परिसंघों (सीएलएफ) के तहत महिला समूहों ने परिवर्तनकारी सामाजिक संपत्तियां विकसित की हैं और इससे लैंगिक संबंधों में भी बदलाव आया है, सेवाओं तक उनकी पहुंच बनी है और ग्राम सभा एवं पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। समुदाय संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) के माध्यम से महिलाएं कौशल और दक्षता प्राप्त कर रही हैं और इस कार्यक्रम के जरिए उनमें आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक से ऋण लेने का आत्मविश्वास जागा है। ऐसी 1.50 लाख महिलाएं हैं जो खुद गरीबी से उठकर अब सीआरपी बन गई हैं और सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। स्थायी कृषि को बढ़ावा देने, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, पशु देखभाल के लिए पैरा वेट्स का कैडर तैयार करने जैसे कामों के अलावा वे महिला समूहों के लिए बुक कीपिंग और एकाउंट्स संभालने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। इस प्रकार मानो गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल रही है।

2011 में कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद से अब तक महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों ने बैंक ऋण के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। 2014-15 में 20,000 करोड़ रुपये के बैंक लिंकेज के

साथ समूहों ने 2015-16 में 30,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया। फरवरी 2017 तक 29,000 करोड़ रुपये का ऋण संवितरित किया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 35,000 से 38,000 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जाने का अनुमान है। 2016-17 में बैंक लिंकेज के विश्लेषण से पता चलता है कि असम, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ऋण लिंकेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला स्वसहायता समूहों के बैंक लिंकेज में हुई वृद्धि से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तरी भारतीय राज्यों में महिला स्वसहायता समूह व्यावसायिक और सशक्त संस्थान के रूप में उभर रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में तो ये पहले से ही मजबूत और पेशेवर हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, कृषि की सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख महिला किसानों को *महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी)* के तहत सहयोग दिया गया है। महिला स्वसहायता समूहों के नेतृत्व वाले कस्टम हायरिंग सेंटरों (सीएचसी), जो कृषि सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं, ने कुछ राज्यों में पावर टिलर इत्यादि उपलब्ध कराए हैं। इन समूहों के प्रयासों से वर्मी कंपोस्ट/एनएडीईपी को तैयार किया गया है। साथ ही भी चारा, खाद्य पदार्थों, जंगल, फलों और फाइबर के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में कीटनाशक मुक्त कृषि और बहुस्तरीय फसलों को बढ़ावा देने का काम भी किया है।

डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम देश के एक तिहाई ग्राम पंचायतों में संचालित किया जा रहा है और कार्यक्रम को अन्य जिलों में संचालित किए जाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। 2017-18 के दौरान, 4.5 लाख नये एसएचजी के माध्यम से 52 लाख परिवारों को *डीएवाई-एनआरएलएम* में जोड़ा गया है। 17 राज्यों के 45 ब्लॉकों में 84,000 लघु उद्यमों को विकसित करने के लिए *स्टार्टअप गांव उद्यमिता कार्यक्रम* (एसवेईपी) प्रारंभ किया गया है। तमिलनाडु के 11,000 गांवों में (लगभग 90 प्रतिशत) कनवर्जेन्स के माध्यम से इन महिला समूहों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में पहल की है। 6 अन्य राज्यों में डीएआई-एनआरएलएम की सफल शुरुआत की गयी है। *डीएआई-एनआरएलएम* ने वैविध्यपूर्ण आजीविका के सफल बिजनेस मॉडल और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर पुस्तकें प्रकाशित की हैं जोकि वर्ष के दौरान सर्वोत्तम एसएचजी को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों और मान्यता पर आधारित है।

वैविध्यपूर्ण आजीविका को सहज बनाने के लिए *डीएआई-एनआरएलएम* के तहत दो योजनाओं ने काम किया है। *दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई)* और *ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)* द्वारा बड़े पैमाने पर क्रमशः वैतनिक रोजगार आधारित प्लेसमेंट और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है। 2016-17 में *डीडीयूजीकेवाईके* तहत 1.60 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 79400 को प्लेसमेंट मिला, जबकि 4 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 585 आरएसईटीआई में प्रशिक्षित किया गया। *डीडीयूजीकेवाई* के तहत उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए 12 नए चैंपियन नियोक्ताओं को चुना गया। इनमें कैफे कॉफी डे, अपोलो मेडिस्किल्स, टीम लीज आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में आरएसईटीआई ड्राइवरों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

एसएचजी, ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय परिसंघों (सीएलएफ) के तहत महिला समूहों ने परिवर्तनकारी सामाजिक संपत्तियां विकसित की हैं और इससे लैंगिक संबंधों में भी बदलाव आया है, सेवाओं तक उनकी पहुंच बनी है और ग्राम सभा एवं पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) में उनकी भागीदारी बढ़ रही है।

डीएआई-एनआरएलएम का पहला *राष्ट्रीय मूल्यांकन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (आईआरएमए)* ने हाल ही पूरा किया है। मसौदा रिपोर्ट में ग्रामीण स्तर पर महिला समूहों के माध्यम से विकसित सामाजिक संपत्ति को मान्यता दी गई। मूल्यांकन से पता चलता है कि *एनआरएलएम* की रणनीति से गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को अपनी मांगें रखने का मौका मिला। इसका कारण न केवल साप्ताहिक बैठकें हैं बल्कि सामूहिक स्तर पर उत्पादन और कई सामाजिक मुद्दे भी हैं। *मिशन अंत्योदय* का लक्ष्य यही है- गांवों को गरीबी से मुक्त करना। बड़े पैमाने पर आजीविका के विविधीकरण और विकास के माध्यम से जन-जीवन की कायापलट करते हुए इस लक्ष्य का संधान किया जा सकता है।

विभिन्न स्तरों पर निर्धनता को दूर करने के लिए प्रशासनिक सुधार करना महत्वपूर्ण है और ऐसा करने के लिए वंचित परिवारों की स्थिति पर नजर रखनी होगा जोकि प्रस्तावित सोशल रजिस्ट्री के जरिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) की बेसलाइन पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत दर्पण के तहत गरीबी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित 35 संकेतकों का उपयोग करते हुए विभाग गरीबी दूर करने के संबंध में ग्राम पंचायतों की प्रगति की निगरानी करेगा। विभाग पहचान स्थापित करने के लिए सहमति के साथ आधार का उपयोग कर रहा है।

अब और नहीं- इस दृष्टिकोण के साथ, मंत्रालय ने गरीबी के विभिन्न पहलुओं को लक्षित करते हुए 50,000 गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों, 5000 ग्रामीण समूहों को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। *सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)* के साथ मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में विकास की स्थिति को समझने के लिए 36 संकेतक विकसित किए हैं। इन संकेतकों में बुनियादी सुविधाएं, कनेक्टिविटी, सामाजिक विकास, सेवाओं और बैंकों तक पहुंच, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूखे से मुक्ति, पोषण इत्यादि को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने गरीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए एक समग्र सूचकांक विकसित करने और बेसलाइन के आधार पर प्रगति की निगरानी करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों, 5,000 ग्रामीण समूहों में सभी परिवारों के लिए स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना चाहता है जिसमें मूलभूत बुनियादी सुविधाओं और सुविधाएं शामिल हैं। जिला स्तर पर दिशा समिति ग्राम पंचायतों की प्रगति की निगरानी करेगी और पता लगाएगी कि वे गरीबी मुक्ति कार्यक्रम किस प्रकार चला रही हैं। ❑

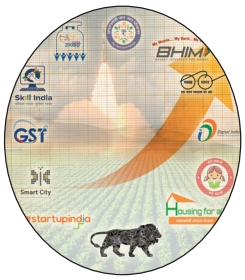

सही दिशा में बढ़ता कृषि उत्पादन

अश्विनी महाजन

इस वर्ष तिलहनों और दालों की बेहतर खेती ने एक आशा की किरण दिखायी है, जिसके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन अभी भी दालों और तिलहनों में देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष उत्पादन बढ़ने से यह सिद्ध होता है कि भारत में दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना संभव है, जरूरत है सरकार द्वारा किसानों को इस हेतु समर्थन मूल्य, बीज की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधाओं, वित्त और भंडारण की सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए

आज़ादी के बाद पिछले लगभग 70 वर्षों में आज यह स्थिति है कि गेहूं, चावल, गन्ना चीनी जैसे खाद्य पदार्थों में देश लगभग आत्मनिर्भर है और कई कृषि वस्तुओं जैसे चाय, काफी, कपास, चावल इत्यादि का तो निर्यात भी देश करता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले काफी समय से दालों और खाद्य तेलों का आयात लगातार बढ़ता भी जा रहा है। हालत यहां तक पहुंच गई कि हमारा दालों का आयात बढ़ता हुआ वर्ष 2015-16 तक लगभग 25,609 करोड़ रुपये और खाद्य तेलों का आयात 68,630 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे भारी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का पलायन तो हुआ ही, साथ ही साथ दालों और खाद्य तेलों में महंगाई भी बढ़ती चली गई। दालों की कीमतें 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई और आम आदमी की थाली से दाल गायब होने लगी। उधर खाद्य तेलों पर तो हमारी निर्भरता विदेशों पर जरूरत से ज़्यादा होने लगी। दालों का आयात इसलिए बढ़ा क्योंकि देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1960 में 70 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से घटती हुई 2013-14 तक आते-आते मात्र 40 ग्राम ही रह गई। खाद्य तेलों में स्थिति यह है कि एक ओर तो हमारे तिलहनों का उत्पादन घट रहा था, तो दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या और बदलते खानपान के तरीकों के कारण हमारी खाद्य तेलों की मांग 3 से 4 प्रतिशत हर वर्ष बढ़ रही है। इसके कारण आयातों पर हमारी निर्भरता हर वर्ष 6 से 8 लाख टन बढ़ जाती है।

इस वर्ष बदली है स्थिति

वर्ष 2015-16 में दालों का उत्पादन मात्र 163.5 लाख टन ही था, जो 2016-17 में बढ़कर 221.4 लाख टन तक पहुंच रहा है। 2016 के खरीफ मौसम में तो यह उत्पादन 2015-16 के खरीफ मौसम के उत्पादन (57 लाख टन) से 57 प्रतिशत ज्यादा (87 लाख टन) था। उसी प्रकार तिलहनों का उत्पादन भी इस वर्ष 336 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 83.6 लाख टन ज्यादा है। जिसके चलते लगातार बढ़ती मांग के बावजूद हमारे खाद्य तेल आयात खासा कम होने की उम्मीद है।

खरीफ और रबी दोनों में दालों का भरपूर उत्पादन का असर यह है कि दालें जो थौक बाजार में पिछले वर्ष 150 से 200 रुपये प्रति किलो की कीमत पर बिक रही थी, वह अब मात्र 60-70 रुपये प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध है। गरीब की थाली से गायब दाल वापिस उसकी थाली में लौट चुकी है। देश में खाद्य तेलों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है।

कुछ खास है यह वृद्धि

पिछले वर्ष के उत्पादन की प्रवृत्ति को देखा जाए तो पता चलता है कि अपने देश में दालों का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है। दालों के संदर्भ में बढ़ती महंगाई का फायदा कभी किसान को नहीं हुआ, बल्कि इसका लाभ सट्टेबाजों को ज़्यादा मिला। सरकार ने हाल ही में देश में दालों की पूर्ति बढ़ाने के लिए मोजांबिक समेत अफ्रीकी देशों से भी कुछ समझौते किए हैं। उधर तिलहनों के उत्पादन

लेखक पीजीडीएवी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अपने इकोनोमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकोनोमेट्रिक्स, एन्वायमेंटल इकोनोमेट्रिक्स आदि पुस्तकें लिखी हैं। प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में आर्थिक विषयों पर लेखन के साथ ही वह जर्नल ऑफ कंटेम्परारी इंडियन पॉलिटी एंड इकनॉमी के मुख्य संपादक भी हैं। ईमेल: ashwanimahajan@rediffmail.com

दालों पर चूंकि आयात शुल्क शून्य चल रहा था, किसानों की मांग पर अब सरकार ने दालों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। घरेलू कीमतें कम होने और आयात शुल्क लगाये जाने के कारण दालों का आयात भी काफी कम होने वाला है।

में वृद्धि से एक आशा की किरण दिखाई दी है कि इससे देश में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।

घटेगी आयातों पर निर्भरता

देश में एक तरफ बढ़ती जनसंख्या और दूसरी तरफ दालों और तिलहनों के लगभग स्थिर उत्पादन के कारण देश का घरेलू उत्पादन देश की बढ़ती जरूरतों के मुकाबले बहुत कम रह गया। जहां तक खाद्यान्नों का प्रश्न है, गेहूं और चावल की लगातार बढ़ती हुई प्रति हेक्टेयर उत्पादकता और बढ़ते क्षेत्रफल के चलते देश खाद्यान्नों में लंबे समय से आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि चावल का लगातार बड़ी मात्रा में निर्यात भी कर रहा है। गन्ने के उत्पादन में वृद्धि का असर यह है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता, लेकिन दालों और तिलहनों में स्थिति लगातार बदतर होती गई। खाद्य तेल उद्योग का मानना है कि घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2016-17 में खाद्य तेलों का आयात 6 लाख टन कम होने वाला है। उधर दालों पर चूंकि आयात शुल्क शून्य चल रहा था, किसानों की मांग पर अब सरकार ने दालों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। घरेलू कीमतें कम होने और आयात शुल्क लगाये जाने के कारण दालों का आयात भी काफी कम होने वाला है।

सरकारी उपेक्षा का शिकार हुई थी दालें

यह सही है कि हमारे देश में कृषि योग्य भूमि बढ़ने की बजाय पहले से थोड़ी-बहुत कम ही हुई है। हरित क्रांति के समय से सरकार द्वारा गेहूं और चावल के क्षेत्र में बेहतर बीजों के उपयोग और समर्थन मूल्यों के चलते देश में गेहूं और चावल के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। उधर गन्ने के उत्पादन को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के चलते खासा प्रोत्साहन मिला, हालांकि चीनी मिलों द्वारा गन्ने के भुगतान में देरी से किसान बुरी तरह से प्रभावित भी होता रहा।

लेकिन कृषि उत्पाद में सबसे ज्यादा प्रभावित फसलों में दालें और तिलहन रहे। गौरतलब है कि जहां 1990-91 में गेहूं का उत्पादन मात्र 550 लाख टन था वह बढ़कर 2014-15 में 865 लाख टन हो गया। चावल का उत्पादन इस दौरान 740 लाख टन से बढ़कर 1055 लाख टन हो गया। जबकि दालों का उत्पादन इस दौरान 143 लाख टन से बढ़कर मात्र 163.5 लाख टन ही हुआ। इस बार मात्र एक ही वर्ष में 35 प्रतिशत वृद्धि के साथ दालों का उत्पादन अब 221. 4 लाख टन हो गया है, जो वास्तव में उल्लेखनीय और सराहनीय है। तिलहनों का उत्पादन भी इस दौरान 190 लाख टन से बढ़कर मात्र 275 लाख टन ही हुआ।

2009-10 तक तो यह मात्र 250 लाख टन ही हुआ था। लेकिन इस दौरान आम आदमी की आमदनियों में वृद्धि के चलते प्रोटीन के स्रोत के नाते दालों की मांग में खासी वृद्धि हुई, जिसके चलते देश में दालों का आयात बढ़ता गया। इसी प्रकार खाद्य तेलों की कमी ने विदेशों से आयात बढ़ाया। 2015-16 में दालों और खाद्य तेलों का आयात 94,239 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानि लगभग 14.4 अरब डालर। इस वर्ष यदि दालों और खाद्य तेलों का आयात घटता है तो वास्तव में यह एक सुखद स्थिति होगी।

हम देखते हैं कि एक तरफ कृषि योग्य भूमि में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, सिंचाई की सुविधाओं में थोड़ा बहुत वृद्धि होने से वर्ष में दो या तीन बार खेती होने के कारण खेती का सकल क्षेत्रफल थोड़ा बहुत बढ़ा, लेकिन दालों और तिलहनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल लगातार घटता गया। सरकार की उपेक्षा अथवा प्रोत्साहन के आभाव में हमारे देश में तमाम प्रकार के खाद्य तेल धीरे-धीरे विलुप्त होने लगे। तिल के तेल समेत कई प्रकार के तेलों का उत्पादन घटा और अब कुछ नए प्रकार के तेलों का उत्पादन होने लगा, जिसमें सोयाबीन का प्रमुख स्थान रहा। लेकिन तेल की कमी को पूरा करने के लिए रेप सीड ऑयल, पॉम ऑयल, सोया ऑयल और कनोला ऑयल जैसे घटिया तेलों का भारी मात्रा में आयात शुरू हो गया।

इस वर्ष तिलहनों और दालों की बेहतर खेती ने एक आशा की किरण दिखाई है, जिसके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन अभी भी दालों और तिलहनों में देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष उत्पादन बढ़ने से यह सिद्ध होता है कि भारत में दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना संभव है, जरूरत है सरकार द्वारा किसानों को इस हेतु समर्थन मूल्य, बीज की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधाओं, वित्त और भंडारण की सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। यह सही है कि कीमतों को येन-केन-प्रकारेण नियंत्रित करने के लिए दालों और तेल की कमी होने पर सरकार को आयात करना ही पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से दालें और खाद्य तेल लगातार सरकार की उपेक्षा का शिकार होते रहे और देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अकारण बर्बाद होती रही। अभी सरकार द्वारा थोड़े प्रयास हुए हैं और थोड़ा-बहुत दालों की कीमतों ने भी किसान को अवश्य प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन दीर्घकाल में दालों और तिलहनों के लिए सरकार को सघन प्रयास करने होंगे।

25 वर्षों से ज्यादा समय से दालें और खाद्य तेल लगातार सरकार की उपेक्षा का शिकार होते रहे और देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अकारण बर्बाद होती रही। अभी सरकार द्वारा थोड़े प्रयास हुए हैं और थोड़ा-बहुत दालों की कीमतों ने भी किसान को अवश्य प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन दीर्घकाल में दालों और तिलहनों के लिए सरकार को सघन प्रयास करने होंगे।

वर्तमान में दालों के उत्पादक किसान सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य न मिल पाने के कारण खासे निराश हैं। सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि दालों की खरीद समर्थन मूल्य पर हो और उपयुक्त आयात शुल्क लगाकर बाजार में प्रतिस्पर्द्धी मूल्य उपलब्ध कराते हुए भविष्य में किसानों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाए। ❑

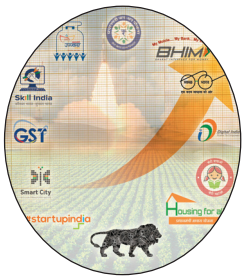

स्वच्छ एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था की ओर

एम वी भानुमति
रोहित देव झा

शासक संपन्न होगा तो राज्य का संचालन सुचारु रूप से करेगा, जन कल्याण की गतिविधियां चलाएगा तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही जनता भी संपन्न हो जाएगी। **–चाणक्य**

विमुद्रीकरण के बाद लगभग पूरी नकदी बैंकिंग प्रणाली में पहुंच गयी है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धन के प्रवाह पर नजर रखने का मौका मिला है। नकद जमाओं की जांच से धोखाधड़ी वाली कई गतिविधियों का पता चला है, जैसे पिछली तिथि में बिक्री, बेनामी जमा, अज्ञात व्यक्तियों को (पैन के बगैर) आभूषण, सोना-चांदी, महंगी वस्तुओं एवं विदेशी मुद्रा की बिक्री, पैन का खुलासा नहीं करने के लिए बिल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना, सहकारी बैंकों (जहां केवाईसी के सख्त नियम नहीं होते) में जमा करना, एक ही पैन के साथ विभिन्न खातों में जमा करना आदि

गत वर्ष भारत ने 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की 25वीं वर्षगांठ मनायी। हालांकि इन सुधारों ने आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ायी, लेकिन सभी वर्गों की वृद्धि नहीं हुई। सुधारों के लाभ मुख्य रूप से धनी वर्ग ने ही उठाए। परिणामस्वरूप, भारत संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) पर काफी नीचे बना हुआ है और गरीब तथा जरूरतमंदों की स्थिति अब भी पहले जैसी ही है। पिछले वर्ष (एचडीआई-16) 188 देशों में उसे 131वां स्थान मिला था।

किंतु, आर्थिक वृद्धि के हाशिये पर रह गए लोगों को लाभ दिलाने के लक्ष्य के साथ सुधारों को अगले स्तर पर ले जाने के गंभीर प्रयास पिछले तीन वर्ष में किए गए हैं। *समावेश, पारदर्शिता एवं विकेंद्रीकरण* इस रणनीति के मुख्य आधार स्तंभ हैं। इन तीन स्तंभों के प्रभावी क्रियान्वयन से पहली बार उस धनी वर्ग, जिसके पास आकर वृद्धि रुक जाती थी, को दरकिनार कर वृद्धि के लाभ सीधे जनता तक पहुंचेंगे। इन तीनों स्तंभों में संभवत: *पारदर्शिता* सभी की आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। निष्पक्ष रहकर देखें तो भ्रष्टाचार ही मुख्य अपराधी दिखेगा, जिसने अच्छी मंशा के साथ आरंभ किए गए प्रत्येक कार्यक्रम को असफल कर दिया।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष जोस उगाज के अनुसार भ्रष्टाचार अथवा घूसखोरी कोई छोटा अपराध नहीं है, यह थाली से भोजन छीन लेता है, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था की राह में बाधा बनता है और अंत में जान भी ले सकता है। भ्रष्टाचार कालेधन को जन्म देता है और दोनों साथ मिलकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बरबाद कर देते हैं। सरकार के पास धन की आवक को रोकते हैं, कार्यक्रम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की उसकी क्षमता को बाधित करते हैं तथा उस विदेशी निवेश को हतोत्साहित करते हैं, जो आर्थिक विकास के लिए धन एवं प्रौद्योगिकी लाता है। अपनी युवा आबादी को रोजगार देने में जूझ रहे राष्ट्र में रोजगार के अवसर तैयार करता है।

कालेधन पर सीबीडीटी द्वारा 2012 में संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र के अनुसार कालाधन ऐसी संपत्तियां अथवा संसाधन होते हैं, जिनकी सूचना सरकारी विभागों को न तो उनके सृजन के समय दी जाती है और न ही बाद में उनका खुलासा किया जाता है।

विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों में भ्रष्टाचार जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है और गरीबों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा रिश्वत में देना पड़ता है। भारत भी अपवाद नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2017 में कराए गए एक सर्वेक्षण में 69 प्रतिशत भारतीयों ने बताया कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी, जो एशिया प्रशांत में सबसे बड़ा आंकड़ा है।

रोचक बात है कि सरकार कालाधन इकट्ठा करने वालों पर सीधा हमला बोल रही है और आपूर्ति की नयी प्रणालियां तैयार कर गरीबों को भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी से बचाने

एम वी भानुमति भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। संप्रति दिल्ली में प्रधान आयकर निदेशक (जांच) के पद पर कार्यरत हैं। वह आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। ईमेल: bhanumathi@incometax.gov.in
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रोहित देव झा दिल्ली में सहायक आयकर निदेशक (जांच) के पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: rohit.d.jha@incometax.gov.in

सरकार ने पिछले तीन वर्ष में कई कदम उठाए हैं और कालेधन के खिलाफ लगभग जंग ही छेड़ दी है। इनमें कानूनी एवं प्रशासनिक कदमों के जरिये नीतिगत स्तर पर सुधार करना, प्रभावी क्रियान्वयन करना, क्षमता निर्माण करना तथा आंकड़ों की मदद से खुफिया जानकारी तैयार करना शामिल है।

के कदम भी उसने उठाए हैं। उनमें से कुछ पहलों की चर्चा इस आलेख में की जा रही है।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर

भारत का कर-जीडीपी अनुपात केवल 16.6 प्रतिशत है और केवल 5.5 करोड़ लोग ही कर चुकाते हैं, जिनमें कंपनियां, व्यक्ति और अन्य कारोबारी प्रारूप शामिल हैं। वित्तवर्ष 2016-17 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में 100 मतदाताओं पर केवल 7 करदाता हैं। कर चोरी इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि पिछले पांच वर्ष में 1.25 करोड़ से अधिक कारें बिकी हैं और केवल 2015 में 2 करोड़ से अधिक लोगों ने विदेश यात्रा की, लेकिन केवल 1.72 लाख लोगों ने 50 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय दिखायी है।

कर चोरी के जरिये इकट्ठा किया गया कालाधन आर्थिक चुनौती तो है ही, सामाजिक बुराई भी है। इससे रिश्वतखोरी, चुनावी भ्रष्टाचार, संगठित अपराधों और फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलता है तथा देश के आर्थिक नियोजन एवं वित्तीय अखंडता को चोट पहुंचती है। कुल मिलाकर इससे आर्थिक विषमता बढ़ती है और राष्ट्र का सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो जाता है। सरकार ने पिछले तीन वर्ष में कई कदम उठाए हैं और कालेधन के खिलाफ लगभग जंग ही छेड़ दी है। इनमें कानूनी एवं प्रशासनिक कदमों के जरिये नीतिगत स्तर पर सुधार करना, प्रभावी क्रियान्वयन करना, क्षमता निर्माण करना तथा आंकड़ों की मदद से खुफिया जानकारी तैयार करना शामिल है।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए कर प्रशासन

कालेधन की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:

- कालेधन की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. एम. शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन।
- विदेश में जमा कालेधन से प्रभावी रूप से निपटने के लिए कालाधन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां) एवं करारोपण अधिनियम, 2015 बनाया गया, जिसमें 3 से 10 वर्ष के सश्रम कारावास समेत कई कठोर दंडात्मक प्रावधान हैं। कर *चोरी को धन शोधन निरोधक अधिनियम* (पीएमएलए) के अंतर्गत गंभीर अपराध बना दिया गया।
- भारतीयों द्वारा अवैध रूप से विदेशी बैंकों में रखे गए 8,186 करोड़ रुपये तमाम बाधाओं के बाद भी कर के दायरे में लाए गए हैं।
- पनामा दस्तावेज लीक के मामलों की समन्वित एवं त्वरित जांच में मदद के लिए विविध एजेंसियों का समूह (एमएजी) गठित।
- अन्य देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए)/कर सूचना आदान-प्रदान संधि (टीआईइए) बहुपक्षीय संधियों आदि पर हस्ताक्षर।
- कालेधन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में मदद करने के लिए सूचना के स्वत: आदान-प्रदान हेतु बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण संधि में शामिल होना।
- विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत अमेरिका के साथ जानकारी साझा करने की संधि पर हस्ताक्षर
- संधि के दुरुपयोग, कर चोरी तथा धन को विदेश से होकर वापस लाने पर रोक लगाने के लिए मॉरीशस, सिंगापुर और साइप्रस के साथ डीटीएए पर पुन: वार्ता
- पार्टिसिपेटरी नोट (पीएन) की सहायता से विदेशी निवेश तो आता है, लेकिन कालेधन पर एसआईटी ने इसे कालेधन को वापस देश में लाने का रास्ता बताया है। सेबी ने धन शोधन पर अंकुश लगाने के लिए पीएन के खुलासे की आवश्यकताएं बढ़ा दीं और उनके हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिए ताकि उनके असली स्वामियों को पहचाना जा सके।
- *बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016* लागू किया गया, जो सरकार को ऐसी बेनामी संपत्तियां (कोई मुआवजा दिए बगैर) जब्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जो किसी अन्य व्यक्ति अथवा काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर हैं। अधिनियम में सात वर्ष तक कारावास का प्रावधान है। राजस्व विभाग के अनुसार 245 से अधिक बेनामी लेनदेन पहले ही पहचाने जा चुके हैं और 124 मामलों में 55 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी हैं।
- 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी (आयकर के 69434 मामले, सीमा शुल्क के 11405, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 13952 और सेवा कर के 42727 मामले) का पता लगाने के लिए 23064 (आयकर से संबंधित 17525, सीमा शुल्क से 2509, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 1913 और सेवा कर से संबंधित 1120) की पड़ताल की गई हैं।
- 2814 मामलों में मुकदमे शुरू हुए, जिनमें 3893 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 519 मामले दर्ज किए गए और 396 तलाशियां लीं, जिससे 79 मामलों में गिरफ्तारियां हुई और 14,933 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गईं।
- 64275 व्यक्तियों ने आय घोषणा योजना (आईडीएस) के अंतर्गत 65,250 करोड़ रुपये का खुलासा किया, जिससे देश में कालाधन रखने वालों को बेदाग होने का अवसर मिला।

बजट 2017-18: रूपांतरित, ऊर्जित एवं स्वच्छ भारत

कालेधन के विरुद्ध युद्ध को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने निम्नलिखित प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव किया:

- कारोबारों में 10,000 रुपये तक के नकद

उद्देश्य नकली मुद्रा का मुकाबला करना, अर्थव्यवस्था का अधिक डिजिटलीकरण करना, बचत का प्रवाह बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक जामा पहनाना भी था, जिनसे जीडीपी में वृद्धि की गति तेज होगी, कर अनुपालन बेहतर होगा और कर राजस्व भी बढ़ जाएगा।

प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 98 प्रतिशत लेनदेन नकद में होते हैं और लेनदेन के कुल मूल्य का 68 प्रतिशत हिस्सा नकद में आता है। विमुद्रीकरण से डिजिटल लेनदेन को कई गुना तेजी मिली है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ तो बहुत अधिक हैं, लेकिन यह साथ में पारदर्शिता भी लाती है।

खर्च की सीमा की अनुमति

- चैरिटेबल ट्रस्ट किसी एक स्रोत से अधिकतम 2,000 रुपये तक का ही नकद चंदा ले सकते हैं।
- एक लेनदेन में नकद व्यय की सीमा 2 लाख रुपये तक सीमित करना और उल्लंघन होने पर उतनी ही राशि का जुर्माना वसूला जाना।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का दुरुपयोग कालाधन इकट्ठा करने के लिए किए जाने का संदेह होता है। इसलिए उनका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा और उन्हें जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से छूट केवल उन्हीं शेयरों को दी जाएगी जिनकी खरीद पर प्रतिभूति लेनदेन कर चुका दिया गया हो (और सार्वजनिक निर्गम जैसे अन्य वास्तविक मामले)। इससे फर्जी लेनदेन के जरिये कर चोरी पर लगाम लगेगी।
- आर्थिक अपराधियों समेत देश से भाग चुके अपराधियों की देश के भीतर स्थित संपत्तियों को तब तक जब्त रखने के कानून का प्रस्ताव, जब तक वे स्वयं को कानून के हवाले नहीं कर देते।
- आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया गया है। इससे कई और फर्जी पैन की समस्या हल हो जाएगी तथा बैंक खाता खोलने समेत विभिन्न प्रकार के लेनदेन के लिए केवाईसी सत्यापन की व्यवस्था मजबूत होगी।

ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन

- सरकार का लक्ष्य कर आधार बढ़ाना है, लेकिन वह प्रत्याशित एवं स्थिर कराधान व्यवस्था भी तैयार करना चाहती है, जो निवेशकों के अनुकूल हो और वृद्धि को गति दे। कर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए किए गए कुछ प्रमुख कदम/नीतिगत परिवर्तन किए गए है।
- पूर्व प्रभावी तिथि से कराधान का कानून लागू करने का अपना संप्रभु अधिकार छोड़े बगैर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह इन कानूनों का प्रयोग बेहद सतर्कता एवं समझदारी के साथ करेगी।
- करदाताओं तथा आयकर विभाग के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम करने एवं खर्च तथा समय बचाने के लिए 7 शहरों में ई-आकलन आरंभ किया गया है।
- जिन करदाताओं के रिटर्न को जांच के लिए चुना गया है, उनके आयकर रिटर्न में विसंगतियों को दूर करने के लिए 2015 में आरंभ की गयी ऑनलाइन प्रणाली 'ई-सहयोग' का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि विशेषकर छोटे करदाताओं का खर्च कम हो सके।
- व्यापार एवं उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार सीबीडीटी और सीबीईसी कर संबंधी कानूनों पर नियमित स्पष्टीकरण जारी करेंगे।
- निवासी करदाता भी निर्धारित सीमा से अधिक आयकर देनदारी के संबंध में अग्रिम आदेश प्राप्त कर सकते हैं। आयकर निपटारा आयोग का दायरा बढ़ा दिया गया ताकि अधिक करदाता इस अवसर का लाभ उठा सकें।
- प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी वाले *केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली* तथा *ई-निवारण* पोर्टल के जरिये शिकायतों का समयबद्ध निराकरण।
- चुनिंदा करदाताओं के लिए एक पृष्ठ का आयकर रिटर्न फॉर्म *सहज*।
- आयकर विभाग *प्रोजेक्ट इनसाइट* पर काम कर रहा है ताकि कर अनुपालन सुधारने एवं तेजी से जांच करने के लिए हस्तक्षेप के बगैर सूचना प्राप्त करने की प्रणाली मजबूत की जा सके।

विमुद्रीकरण

500 और 1,000 रुपये के बड़े नोटों के विमुद्रीकरण से पूरी व्यवस्था ही बदल गयी क्योंकि कर चोरी की लागत बढ़ गयी और भ्रष्टाचार की जड़ पर चोट हुई। इसका उद्देश्य नकली मुद्रा का मुकाबला करना, अर्थव्यवस्था का अधिक डिजिटलीकरण करना, बचत का प्रवाह बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक जामा पहनाना भी था, जिनसे जीडीपी में वृद्धि की गति तेज होगी, कर अनुपालन बेहतर होगा और कर राजस्व भी बढ़ जाएगा।

विमुद्रीकरण के बाद लगभग पूरी नकदी बैंकिंग प्रणाली में पहुंच गयी है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धन के प्रवाह पर नजर रखने का मौका मिला है। नकद जमाओं की जांच से धोखाधड़ी वाली कई गतिविधियों का पता चला है, जैसे पिछली तिथि में बिक्री, बेनामी जमा, अज्ञात व्यक्तियों को (पैन के बगैर) आभूषण, सोना-चांदी, महंगी वस्तुओं एवं विदेशी मुद्रा की बिक्री, पैन का खुलासा नहीं करने के लिए बिल को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना, सहकारी बैंकों (जहां केवाईसी के सख्त नियम नहीं होते) में जमा करना, एक ही पैन के साथ विभिन्न खातों में जमा करना आदि।

आंकड़ों से पता चला है कि विमुद्रीकरण के दौरान 2 लाख रुपये से 80 लाख रुपये तक की राशि में जमाओं के जरिये 1.09 करोड़ खातों में कुल 5.48 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए। 80 लाख रुपये से अधिक की जमा के रूप में 1.48 लाख खातों में कुल 4.89 लाख करोड़ रुपये दर्ज किए गए। *ऑपरेशन क्लीन मनी* के अंतर्गत आयकर विभाग ने पहले चरण में 18 लाख व्यक्तियों को ई-मेल तथा लिखित संदेश भेजे। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 12 लाख खातों

सरकार ने प्वॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों एवं एटीएम को बीसीडी, उत्पाद शुल्क/काउंटरवेलिंग शुल्क तथा एसएडी से छूट दे दी है। सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और अगले कदम के रूप में वह 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन हेतु आधार सत्यापन को अनिवार्य बना सकती है।

से जवाब आ भी गए हैं। इससे विभाग को वास्तविक मामलों को आगे की जांच से बाहर करने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण के बाद चलाए गए 1,100 तलाशी एवं जांच अभियानों में कुल 600 करोड़ की नकदी एवं कीमती वस्तुएं जब्त की हैं।

अपना दामन साफ करने का अवसर देते हुए सरकार ने *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना* की घोषणा की, जिसके अंतर्गत (31 मार्च, 2017 तक) नकद जमा का खुलासा करने वाले घोषित राशि का 50 प्रतिशत बतौर कर दे सकते थे और 25 प्रतिशत रकम ब्याज रहित *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना* में चार वर्ष के लिए जमा कर सकते थे। इस योजना के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। संख्या चाहे जो भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनता को अनजाने में इकट्ठी की गयी नकदी को नियमित बनाने का एक ढांचा मुहैया कराया गया।

डिजिटल अर्थव्यवस्था

बड़े पैमाने पर कर चोरी का प्रमुख कारण है अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभुत्व। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) की 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 98 प्रतिशत लेनदेन नकद में होते हैं और लेनदेन के कुल मूल्य का 68 प्रतिशत हिस्सा नकद में आता है। विमुद्रीकरण से डिजिटल लेनदेन को कई गुना तेजी मिली है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ तो बहुत अधिक हैं, लेकिन यह साथ में पारदर्शिता भी लाती है। *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर बैठे देशों में 10 प्रतिशत से भी कम लेनदेन नकद में हुए हैं। इस रैंकिंग में भारत 79वें स्थान पर है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्लेटफॉर्म का सफल क्रियान्वयन किया है, जिससे भुगतान के विभिन्न तरीके एक-दूसरे के साथ कार्य कर सकते हैं। *भीम एप* (196 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है) और *आधार पे* क्रमशः एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच लेनदेन तथा सामान्य डिजिटल भुगतान में मदद करेंगे। दीर्घकालिक लाभ के अंकुर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में पहले ही दिखने लगे हैं। जो बताते हैं यूपीआई पर आधारित लेनदेन 20 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2017 में 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे और मझौले करदाताओं के नकदरहित लेनदेन के लिए आयकर की अनुमानित दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने प्वॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों एवं एटीएम को बीसीडी, उत्पाद शुल्क/काउंटरवेलिंग शुल्क तथा एसएडी से छूट दे दी है। सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और अगले कदम के रूप में वह 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन हेतु आधार सत्यापन को अनिवार्य बना सकती है।

जीएसटी से संबंधित चार विधेयक संसद में पारित होने के साथ ही जीएसटी एक जुलाई की अपनी लक्षित समयसीमा के और भी करीब आ गया है। अत्याधुनिक जीएसटी सूचना प्रौद्योगिकी प्रारूप के कारण एवं कर चोरी की स्थिति में कठोर दंड एवं अभियोजन के प्रावधान होने के कारण भारत मध्यम से दीर्घ अवधि में कर-जीडीपी अनुपात में वृद्धि देख सकता है। इसके अलावा कारोबारी लेनदेन का सही खुलासा करने से प्रत्यक्ष कर संग्रह में स्वतः ही तेजी आएगी।

वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी

स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़े कर सुधारों में शामिल वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का लक्ष्य अप्रत्यक्ष कर की जटिल प्रणाली का सरलीकरण करना है। इससे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क के अतिरिक्त) समाप्त होने के बाद एकल भारतीय बाजार तैयार होगा, कर प्रशासन दुरुस्त होगा, कर अनुपालन बढ़ेगा, निवेश एवं वृद्धि में बढ़ोतरी होगी तथा अधिक राजस्व संग्रह होगा। जीएसटी से संबंधित चार विधेयक संसद में पारित होने के साथ ही जीएसटी एक जुलाई की अपनी लक्षित समयसीमा के और भी करीब आ गया है। अत्याधुनिक जीएसटी सूचना प्रौद्योगिकी प्रारूप के कारण एवं कर चोरी की स्थिति में कठोर दंड एवं अभियोजन के प्रावधान होने के कारण भारत मध्यम से दीर्घ अवधि में कर-जीडीपी अनुपात में वृद्धि देख सकता है। इसके अलावा कारोबारी लेनदेन का सही खुलासा करने से प्रत्यक्ष कर संग्रह में स्वतः ही तेजी आएगी।

चुनावी चंदे में सुधार

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने 2004-05 से 2014-15 के बीच 7,833 करोड़ रुपये का चंदा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किया, जो उनकी कुल आय का 69 प्रतिशत था। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अज्ञात स्रोत कौन होंगे। औद्योगिक एवं व्यापारिक घरानों से राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा जब गोपनीय रहता है तो निहित स्वार्थों को बढ़ावा मिलता है। इससे राजनीति एवं व्यापार के बीच नापाक गठबंधन तैयार हो जाता है और राजनेता अहसान चुकाने के लिए विवश होकर कारोबारी लोकतंत्र तथा जनता की इच्छा को कुचल देते हैं। इसलिए स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आवश्यक है।

किसी एक स्रोत से राजनीतिक दलों को अधिकतम नकद चंदे की सीमा 2,000 रुपये तक सीमित कर इस दिशा में छोटी सी शुरुआत कर दी गयी है। चुनावी बॉण्ड की अवधारणा लाई गयी है, जिसमें कॉर्पोरेट चंदे को गुप्त रखा जाएगा। इससे चंदा देने वाले के हित सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसका पता लगाया जा सकेगा।

भ्रष्टाचार से बचाव

स्वतंत्रता के बाद से ही कल्याण की योजनाएं इस उद्देश्य के साथ बनायी गयी हैं कि विकास का फल गरीबों एवं जरूरतमंदों को मिले। किंतु वर्षों से इन योजनाओं में फैली भ्रष्टाचार की बीमारी से रिसाव हुआ और अयोग्य लोगों की जेबें भरती गयीं। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2015-16 की आर्थिक समीक्षा में पता चला कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख योजना के अंतर्गत 40-50 प्रतिशत लाभ धांधली के कारण नष्ट

हो जाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार को ताक पर रखकर इस लाभ के बराबर धनराशि सीधे योग्य गरीबों के खाते में डालने के लिए *प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)* की अनूठी प्रणाली का प्रयोग किया है। गरीबों तथा वंचितों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए 2014 में बड़ा अभियान आरंभ किया गया और अब उसी पर डीबीटी का ढांचा खड़ा किया जा रहा है। जनधन (लगभग 25.7 करोड़ खाते खुल चुके), आधार (112 करोड़ से अधिक पंजीकरण) तथा मोबाइल की तिकड़ी से पारदर्शिता एवं समावेश की बुनियाद तैयार हुई है। अभी 17 मंत्रालयों की 84 योजनाएं डीबीटी के अंतर्गत आती हैं, जिनसे पिछले तीन वर्ष में 50,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पारदर्शिता का स्तर बढ़ाने के लिए लाभार्थियों की सूची अपलोड की जा सकती है ताकि कोई भी उनका सत्यापन कर सके।

सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन कर नीलामी को प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र जरिया बनाते हुए तथा सरकारी मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु सरकारी ई-मार्केटप्लेस आरंभ करते हुए भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही समाप्त कर दी है। इन उपायों से भ्रष्टाचार के स्रोत पर हमला होता है और राष्ट्रनिर्माण की गतिविधियों के लिए संसाधनों में वृद्धि हो जाती है।

अधूरा काम

स्वच्छ एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रमुख कदम उठाने के लिए सरकार की सराहना होनी चाहिए। *स्वच्छ भारत* का निर्माण करने के सरकार के साहस एवं संकल्प की प्रशंसा करने के साथ ही सतत् एवं व्यवस्थित समाधान के लिए नीचे दिए गए उपायों की आवश्यकता है, जो व्यापक तो नहीं हैं, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं :

- प्रभावी एवं भ्रष्टाचार मुक्त कर प्रशासन के लिए कर कानूनों एवं प्रणालियों का सरलीकरण अपरिहार्य है। इसमें मनमानी तथा मुकदमेबाजी की कम से कम गुंजाइश बचनी चाहिए। 2016-17 के बजट भाषण से पता चला कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 5.5 लाख करोड़ रुपये के 3 लाख कर संबंधी मामले लंबित हैं।
- कानूनी व्यक्तियों का दुरुपयोग एक अन्य क्षेत्र है, जिसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। सरल कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हुए पिछले कुछ समय में फर्जी (शेल) कंपनियों का जमावड़ा खड़ा हो गया है। एक ही पते पर सैकड़ों कंपनियां पंजीकृत हैं। उनकी पूंजी बहुत कम है, एक ही कर्मचारी है या कोई भी कर्मचारी है और निदेशक ऐसे हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। समय बीतने के साथ इन शेल कंपनियों ने फर्जी बिल तैयार करने, फर्जी शेयर पूंजी, फर्जी ऋण मुहैया कराने की चाक-चौबंद व्यवस्था खड़ी कर ली है और उसके लिए वे कोई भी फर्जी वित्तीय लेन देन दिखाने की आदी हो चुकी हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पता चल भी जाए तो प्रमाण के मौजूदा मापदंडों के तहत उन्हें फर्जी साबित करना बहुत मुश्किल है।
- 2013-14 से 2015-16 के बीच आयकर विभाग की जांच में 1155 से अधिक शेल कंपनियों/संस्थाओं का पता चला, जिनका इस्तेमाल 22,000 से अधिक लाभार्थी कर रहे थे और जिनके जरिए 13,300 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी लेनदेन किए गए थे लेकिन इन कंपनियों के खिलाफ अदालतों में डाली गयी याचिकाओं के मिश्रित परिणाम ही आये हैं। शेल कंपनी चलाने और फर्जी वित्तीय लेनदेन करने जैसे अपराधों को संगठित अपराधों की श्रेणी में डालने तथा उनसे निपटने के लिए दंडात्मक कानून बनाने की दिशा में सोचना ठीक रहेगा।
- कर अधिकारियों और करदाताओं का प्रत्यक्ष संपर्क कम किया जाए। कम से कम संपर्क के मानक बनाए जाने चाहिए और उच्च अधिकारियों को उन पर निगाह रखनी चाहिए। आयकर विभाग द्वारा आरंभ किया गया *ई-आकलन* सही दिशा में उठाया गया कदम है।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) जिसका भारत भी सदस्य है, ने देशों से इस बात पर विचार करने की सिफारिश की है कि वित्तीय संस्थान राजनीतिक दखल रखने वाले व्यक्तियों (पीईपी) (प्रमुख सार्वजनिक कार्य से जुड़े व्यक्तियों) के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को चिह्नित करें एवं सुरक्षात्मक उपाय के रूप में जोखिम प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करें।
- केंद्र एवं राज्य स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुगम समन्वय को बढ़ावा दें।

सतत प्रयास आवश्यक हैं

भ्रष्टाचार से मुकाबला करने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों के सराहनीय परिणाम दिखने लगे हैं। यदि अभियान को इतने ही उत्साह एवं कल्पनाशीलता के साथ आगे भी चलाया जाता है तो ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार हो जाएगा, जिसमें गरीबों से लेकर अमीरों तक सभी को अनगिनत लाभ मिलेंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा और आवश्यक कौशलों का विकास होगा। इस प्रक्रिया में कुछ पीड़ा तो अवश्य होगी, लेकिन कायाकल्प में पीड़ा अपरिहार्य है। गलत तरीका अपनाने अथवा गलती करने के इक्का-दुक्का उदाहरणों के कारण हमें अपने सराहनीय लक्ष्य से बहकना नहीं चाहिए। बलिदान के बगैर कुछ प्राप्त नहीं होता और इस मामले में भी स्वच्छ एवं पारदर्शी अर्थव्यवस्था की छोटी सी कीमत चुकानी होगी। ❑

शब्द संक्षेप

- एचडीआई: मानव विकास सूचकांक
- एसआईटी: स्पेशल इनष्टिवेशन टीम
- सीबीडीटी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
- एफएटीसीए: फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट
- डीटीएए: डब्ल टैक्सेशन अवॉयडेशन एग्रीमेंट
- पीएन: पार्टिसिपेटरी नोट
- जीडीपी: सकल घरेलू उत्पाद
- पैन: स्थायी खाता संख्या
- डीवीटी: डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
- पीएमएलए: प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिग एक्ट
- बीसीडी: बेसिक कस्टम ड्यूटी
- एसएडी: स्पेशल एडिशनल ड्यूटी
- जीएसटी: वस्तु एवं सेवा कर

CHANAKYA IAS ACADEMY®

24 Years of excellence, extraordinary results every year, more than 3000 selections in IAS, IFS, IPS and other civil services

CHANAKYA IAS ACADEMY™
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.

under the direction of Success Guru AK Mishra

IAS 2018

Upgraded Foundation Course™

A Complete solution for Prelims, Mains & Interview

- Special modules on administrative traits by Success Guru AK Mishra & retired civil servants
- Intensive Classes with online support
- Offline/ Online test series for Prelims & Mains
- Pattern based teaching
- Experienced faculty
- Hostel facility available

Separate classes in Hindi & English medium

Batches Starting From

10th MAY, 10th JUNE, 10th JULY - 2017

Weekend Batches & Postal Guidance Also Available

To Reserve your seat - Call: 1800-274-5005 (Toll Free)

www.chanakyaiasacademy.com | enquiry@chanakyaiasacademy.com

HO/ South Delhi Branch: • 124, Satya Niketan, Opp. Venkateshwara College, Near Dhaula Kuan, Delhi-21. Ph.: 011-64504615, 9971989980/ 81

North Delhi Branch: • Near Gate No.1, GTB Nagar Metro Station, 103 & 105 Kingsway Camp, Mall Road, Delhi-09. Ph.:9711494830

Also at

• 1596, Outram Line, Kingsway Camp, Delhi-09. Ph.: 011-27607721, Ph.: 9811671844/ 45

Our Branches - Ahmedabad: 301, Sachet III, 3rd Floor, Mirambika School Road, Naranpura, Ahmedabad-380013. Ph.: 7574824916
Chandigarh: S.C.O :- 47 - 48, Sector 8 C, Madhya Marg, Chandigarh -160009. Ph.: 8288005466
Guwahati: Building No. 101, Maniram Dewan Road, Silpukhuri, Near SBI evening branch, Kamrup, Assam - 781003. Ph.: 8811092481
Hazaribagh: 3rd Floor, Kaushaliya Plaza, Near Old Bus Stand, Hazaribagh (Jharkhand)-825301. Ph.: 9771869233
Jammu: 47 C/C, Opposite Mini Market, Green Belt, Gandi Nagar, Jammu-180001. Ph.: 9419108240
Jaipur: Felicity Tower,1st floor,Plot no- 1, Above Harley Davidson Showroom, Sahakar Marg, Jaipur-30201. Ph.: 9680423137
Pune: 1st Floor, Sunder Plaza, Near Woodland Showroom, Near : 19, M.G.Road, Camp, Pune-411001. Ph.: 9011003040
Ranchi : 1st Floor, Sunrise Form, Near Debuka Nursing Home, Burdhwan Compound, Lalpur, Ranchi-834001. Ph.: 9204950999, 9771463546
Rohtak: DS Plaza, Opp. Inderprasth Colony, Sonipat Road, Rohtak- 124001. Ph.: 8930018881
Patna: 304, 3rd Floor, above Reliance Trends, Navyug Kamla Business park, East Boring Canal Road, Patna, Bihar 800001. Ph.: 8252248158
Allahabad: 10B/1, Data Tower 1st Floor, Tashkand, Patrika Chauraha Allahabad-211001. Ph.: 9721352333

चेतावनी

छात्रों/अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा आगाह किया जाता है कि कुछ असम्बद्ध संस्थाएं ऐसे टेडमार्क/टेडनेम का इस्तेमाल कर रही हैं जो चाणक्य आईएएस एकेडमी/चाणक्य एकेडमी (1993 से सक्सेस गुरु एके मिश्रा के मार्गदर्कान में प्रोन्नत) के टेडमार्क/टेडनेम के समरूप/भ्रामक समान हैं। हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि ये संस्थाएं हमसे सम्बद्ध नहीं हैं तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी गयी है। सभी छात्रों को नामांकन कराने के पूर्व ऐसी एकेडमी/अध्ययन केन्द्र/संस्थान की प्रामाणिकता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और अनुरोध किया जाता है कि समरूप/भ्रामक रूप से समान टेडमार्क/टेडनेम के तहत हो रही ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में 09650299662/3/4 पर फोन कर तथाinfo@chanakyaacademygroup.comपर ईमेल भेजकर हमें सूचित करें।

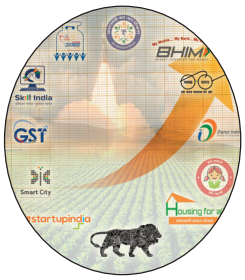

सशक्त डिजिटल समाज बनता भारत

ओंकार राय

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को गति देने के लिए सरकार ने 2017-18 के केंद्रीय बजट में अनेक उपायों की घोषणाएं की हैं। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा सुधारने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मजबूत बनाने के साथ ही देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपायों की घोषणाएं की हैं। सरकार का लक्ष्य यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस तथा डेबिट- क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्मों के जरिये 2017-18 में 2500 करोड़ लेनदेन करना है। इतना ही नहीं, सरकार ने बैंकों के लिए मार्च 2017 तक 10 लाख नये पीओएस टर्मिनल लगाने का भी लक्ष्य रखा है

सहभागितापूर्ण, समावेशी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी सरकार के निर्माण की पृष्ठभूमि में *डिजिटल इंडिया* कार्यक्रम नागरिकों को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाकर सबसे बड़े लोकतंत्र को सुदृढ़ लोकतंत्र में बदलने की दिशा में नयी पारी के आगाज का संकेतक है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की आवश्यकता

हर शुरुआत का कोई न कोई कारण होता है, एक ऐसा कारण जहां समाज के मूलभूत तत्वों के विशेषाधिकारों को आधुनिक परिस्थितियों के अनुरूप तब्दील करने के लिए परिवर्तनकारी विचारों के प्रस्फुटन की आवश्यकता होती है, जो अभूतपूर्व नवीनता का अहसास लिए हो। चूंकि भारत उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए देश के लिए यह जरूरी हो जाता है कि यहां व्यापक सहभागिता वाला लोकतंत्र विकसित हो, यानि एक ऐसी व्यवस्था जहां आर्थिक और सामाजिक मतभेदों से इतर सभी नागरिकों की पहुंच सार्वजनिक सूचनाओं तक हो, सरकारी नीतियों पर बहस में ये हिस्सा ले सकें तथा राष्ट्र के नीति निर्धारण में इनकी भागीदारी हो। शासन अब एकतरफा प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि यह अधिक समावेशी, विचार-विमर्श और सह-सृजन की प्रक्रिया बन गया है। युवाओं की अधिक आबादी वाले भारत जैसे प्रगतिवादी देश में ऐसे राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना करना तर्कसंगत है, जहां सामाजिक-आर्थिक सूचकांक को बेहतर करने के लिए बदलाव जरूरी है।

वैश्विक अनाश्रयता की दृष्टि से हालांकि हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि प्रौद्योगिकी, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का तेजी से विकास हो रहा है, जिसने सरकार को यह सोचने पर विवश किया है कि क्यों न आईटी को ही विकास का प्रमुख जरिया बनाया जाए और इस क्रम में शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों को डिजिटली तौर पर जोड़ा जाये। मौजूदा सरकार नागरिकों को डिजिटली तौर पर सहज बनाने और पारदर्शी स्मार्ट गवर्नेंस से जुड़ी जानकारियों तक उनकी पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। *गरीब और अमीर सभी के लिए सुशासन* के वास्ते डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकार का मुख्य ध्येय है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्यों?

प्रत्येक कार्यक्रम के पीछे कोई न कोई मुख्य उद्देश्य अवश्य होता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का भी उद्देश्य है- सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठाकर शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं की मौजूदा परिस्थितियों में बदलाव लाना। एक नया मुहावरा गढ़ा गया है *इंडियन टैलेंट (आईटी) इंडियन टेक्नोलॉजी (आईटी)= इंडिया टुमॉरो (आईटी)*, जिसके माध्यम से भारत को डिजिटल तकनीक से जुड़ा राष्ट्र बनाने पर बल दिया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए भारत सरकार ने इस कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्यों का स्पष्ट वर्णन किया है। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और नॉजेल इकोनॉमी में तब्दील करना

लेखक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया (एसटीपीआई) में महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इनको आईटी/ईएसडीएम क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग, अकादयिक संस्थानों और अन्य उद्योगों के बीच समुचित संपर्क स्थापित करने में इनकी अहम भूमिका रही है। आलेख में व्यक्त विचार निजी हैं। ईमेल: rai@stpi.in

देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के जरिये जोड़ने की योजना है। इससे ग्रामीण आबादी की पहुंच सरकारी कार्यक्रमों तक आसानी एवं प्रभावी तरीके से हो जायेगी। एनओएफएन को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) की स्थापना की है।

है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन प्रमुख परिकल्पनाओं पर निर्भर है:- प्रमुख उपादेयता के तौर पर प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग आधारित गवर्नेंस एवं सेवाएं तथा नागरिकों का डिजिटली सशक्तीकरण।

प्रमुख उपादेयता के तौर पर प्रत्येक नागरिक को डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराने की परिकल्पना डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने में मदद पहुंचाती है। बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने वाले राष्ट्र की पूर्व प्राथमिकता होती है उस देश का बेहतर तरीके से जुड़ा होना। सरकार का लक्ष्य सुदूर इलाकों के निवासियों को भी ब्रॉडबैंड एवं हाईस्पीड इंटरनेट सेवाओं के जरिये डिजिटली से जोड़ना है। इससे प्रत्येक नागरिक को ई-गवर्नेंस सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित हो सकेगी, सामाजिक लाभ मिलेंगे और वित्तीय समावेशन का काम पूरा हो सकेगा।

मांग आधारित शासन एवं सेवाओं की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य शासन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाना है। हालांकि अनेक राज्य सरकारों ने दशकों से ई-गवर्नेंस की पहल शुरू कर रखी है, लेकिन सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी अब भी दिवास्वप्न है। भारत में ई-गवर्नेंस की प्रक्रिया तब शुरू हो गयी थी जब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने कागजी कामों का कंप्यूटीकरण और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन का कार्य शुरू किया था।

तीसरी है परिकल्पना नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण। डिजिटल कनेक्टिविटी सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान करती है। भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर से इतर भारतवासी आज डिजिटली सहज हैं। इसका श्रेय इंटरनेट और मोबाइल फोन के विकास को जाता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देकर, इससे जुड़े संसाधन विकसित करके तथा सहयोगात्मक डिजिटल मंचों के निर्माण पर ध्यान देकर भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज के रूप में तब्दील करना है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आधार स्तंभ

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए ठोस आर्किटेक्चर की जरूरत होती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सर्वाधिक प्रभावशाली पहल बनाने के क्रम में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के नौ आधार स्तंभों को परिभाषित किया है। प्रत्येक आधार स्तंभ न केवल कार्यक्रम के दायरे को सहयोग करता है, बल्कि इसकी निर्बाध सफलता में भी व्यापक योगदान देता है।

ब्रॉडबैंड हाईवे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पहला आधार स्तंभ है, जिसके तहत देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के जरिये जोड़ने की योजना है। इससे ग्रामीण आबादी की पहुंच सरकारी कार्यक्रमों तक आसानी एवं प्रभावी तरीके से हो जायेगी। एनओएफएन को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) की स्थापना की है। बीबीएनएल को 641 जिलों और 6600 प्रखंडों में फैली करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़कर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करना है। इस परियोजना से पंचायतों के सभी नागरिक व्यापक तौर पर लाभांवित होंगे।

व्यापक मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता इस कार्यक्रम का दूसरा आधार स्तंभ है, जिसका लक्ष्य देश के उन क्षेत्रों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना है जहां इसका अभाव है। आज भारत में मोटे तौर पर 42 हजार गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी का अभाव है। मोबाइल कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के कार्यक्रम के लिए दूरसंचार विभाग नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य कर रहा है। 2014-18 के दौरान इस परियोजना पर 16,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह इस बात का संकेतक है कि 2018 तक भारत में मोबाइल कवरेज पूरा कर लिया जाएगा।

पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का तीसरा आधार स्तंभ है, जिसके अंतर्गत सरकार की योजना ढाई लाख कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) खोलने की है, अर्थात् हर ग्राम पंचायत में एक सीएससी खोला जाएगा। फिलहाल भारत में करीब 1.62 लाख ग्राम पंचायतों में दो लाख 42 हजार सीएससी हैं। ये केंद्र सरकारी एवं कारोबारी सेवाओं की डिलीवरी के लिए अंतिम बिंदु होंगे।

ई-गवर्नेंस- प्रौद्योगिकी के जरिये शासन में सुधार चौथा आधार स्तंभ है, जो आईटी के जरिये सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने में सरकार को सक्षम बनाता है, ताकि विभिन्न विभागों में सरकारी सेवाओं की डिलीवरी आसान और अधिक प्रभावी बने।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का पांचवां आधार स्तम्भ है- *ई-क्रांति- सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी।* देश के नागरिकों के लिए ई-गवर्नेंस और एम-गवर्नेंस को सुशासन में तब्दील करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी को ध्यान में रखते हुए ई-क्रांति का उद्देश्य शासन के तौर-तरीकों में बदलाव के लिए ई-गवर्नेंस में तब्दीली लाना है। ई-क्रांति के तहत पहले से ही 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट निष्पादित किए गए हैं। आज, ई-क्रांति के माध्यम से 3,325 ई-सेवाएं चलायी जा रही हैं, जो इसकी अपार

सरकार ने अगले पांच वर्ष में आईटी सेक्टर की नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गांवों के एक करोड़ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का लक्ष्य *कौशल विकास कार्यक्रम* के तहत तीन लाख सर्विस डिलीवरी एजेंट प्रशिक्षित करने का भी है, ताकि वे आईटी सेवाएं देने वाला कारोबार चला सकें। इस कार्यक्रम के तहत चलायी जाने वाली भारतीय बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) के अंतर्गत देशभर में 48,300 बीपीओ-आईटीईएस केंद्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है,

भारत को डिजिटली-सशक्त समाज तथा नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने कोई भी उपाय नहीं छोड़े हैं। सरकार ने *पब्लिक क्लाउड* पर साझा करने योग्य निजी जगह लेने और सभी सार्वजनिक दस्तावेजों- प्रमाण-पत्रों को इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना *डिजीलॉकर* शुरू की है। परिपक्व ई-गवर्नेंस के विचार को लक्ष्य करके शुरू की गयी इस योजना के तहत डिजिटल दस्तावेज जारी करने और इसके सत्यापन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अब तक 40 लाख से अधिक नागरिकों ने डिजीलॉकर की सेवा ली है।

सफलता का परिचायक है।

सभी को सूचना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का छठा आधार स्तंभ है, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है। ओपन डाटा प्लेटफॉर्म के तहत मंत्रालय विभाग सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए पूर्ण सक्रियता के साथ सूचनाएं जारी करते हैं। सूचनाओं और दस्तावेजों की ऑनलाइन होस्टिंग से सूचनाएं मुक्त रूप से और सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सातवां एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है- *इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग।* सरकार द्वारा कराये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग में 22 प्रतिशत सीएजीआर की बढ़ोतरी हुई है और इसके 2020 तक 400 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के विकास के वास्ते कई पहल की है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में पिछले दो वर्ष में करीब 1.28 लाख करोड़ रुपये के 50 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

डिजिटल इंडिया का आठवां आधार स्तंभ है- *नौकरियों के लिए आईटी।* इसके तहत आईटी- आईटीईएस क्षेत्र में रोजगार के अवसर हासिल करने के लिए छोटे शहरों और गांवों में युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार ने अगले पांच वर्ष में आईटी सेक्टर की नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गांवों के एक करोड़ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का लक्ष्य *कौशल विकास कार्यक्रम* के तहत तीन लाख सर्विस डिलीवरी एजेंट प्रशिक्षित करने का भी है, ताकि वे आईटी सेवाएं देने वाला कारोबार चला सकें। इस कार्यक्रम के तहत चलायी जाने वाली भारतीय बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) के अंतर्गत देशभर में 48,300 बीपीओ-आईटीईएस केंद्र स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण एवं छोटे शहरों में डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। कुल 493 करोड़ रुपये के परियोजना व्यय वाली इस योजना से बुनियादी ढांचा एवं मानव श्रम की दृष्टि से छोटे शहरों एवं गांवों में क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी और इससे देश में आईटी-आईटीईएस आधारित विकास के नये दौर के लिए आधार तैयार होगा। इसी प्रकार, *पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना* (एनईबीपीएस) युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा आईटी-आईटीईएस क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में बीपीओ-आईटीईएस परिचालन को प्रोत्साहित करेगी। पांच हजार केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य वाली एनईबीपीएस योजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15 हजार युवकों को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा सरकार ने दूरसंचार एवं इससे संबंधित सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के पांच लाख कामगारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है।

अंत में *अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम* डिजिटल इंडिया का नौवां आधार स्तंभ है, जिसके तहत ऐसी परियोजनाएं हैं जिन्हें अल्पावधि में क्रियान्वित किया जा सकता हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ परियोजनाओं में संदेश के लिए आईटी प्लेटफॉर्म, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा, सरकार से संबंधित ईमेल की सुरक्षा, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट और एसएमएस आधारित मौसम की जानकारी आदि शामिल हैं।

सुशासन के लिए डिजिटल इंडिया पहल

पारदर्शिता और नागरिकों को सक्षम बनाने से ही सुशासन संभव है। पूरे राष्ट्र के लिए डिजिटल इंडिया को परिवर्तनकारी कार्यक्रम बनाने तथा सुशासन सुनिश्चित करने के वास्ते भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की पहल शुरू करने की बहुआयामी रणनीति अख्तियार की है। इनमें से कुछ इस प्रकार है *डिजीधन अभियान, आधार पे, भीम, सीएससी, डिजीलॉकर, दिशा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)* और *ई-पंचायत*। कालेधन के खिलाफ संघर्ष के तहत नोटबंदी के फैसले और नकदी लेनदेन को कम करने के उद्देश्य से डिजीधन अभियान शुरू किया गया है। जो एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसके तहत नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के मौके पर ही डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं। पूरे देश में डिजीधन मेला आयोजित करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के नागरिक डिजिटल लेनदेन के लिए विभिन्न प्रकार के ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें तथा विभिन्न प्रकार के पेमेंट प्लेटफाम्स का इस्तेमाल करें। इसी क्रम में सरकार ने भी *भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)* जैसा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। भीम ऐप यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के इस्तेमाल से डिजिटल लेनदेन को सरल, सुगम तथा त्वरित बनाता है। गत वर्ष 30 दिसंबर को लांच होने के बाद से भीम ऐप के इस्तेमाल में कई गुना वृद्धि हुई है। हाल ही में किये गये अध्ययन से पता चला है कि दो माह में भीम ऐप को एक करोड़ 70 लाख बार डाउनलोड किया गया और फरवरी के अंत तक 19 लाख 37 हजार बार इससे लेनदेन किये गये हैं। जनवरी और फरवरी 2017 में भीम ऐप से 950 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है।

भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र की वितरण प्रणाली में सुधार, वित्तीय बजट के प्रबंधन, आम आदमी की

पारदर्शिता और नागरिकों को सक्षम बनाने से ही सुशासन संभव है। पूरे राष्ट्र के लिए डिजिटल इंडिया को परिवर्तनकारी कार्यक्रम बनाने तथा सुशासन सुनिश्चित करने के वास्ते भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की पहल शुरू करने की बहुआयामी रणनीति अख्तियार की है। इनमें से कुछ इस प्रकार है *डिजीधन अभियान, आधार पे, भीम, सीएससी, डिजीलॉकर, दिशा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)* और *ई-पंचायत*।

दृष्टि से महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था को निर्बाध बनाने एवं सुविधाएं बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े पहचान तंत्र, आधार, का भरपूर लाभ उठाया है। वर्तमान में करीब एक अरब 13 करोड़ भारतीय नागरिकों के पास आधार कार्ड मौजूद है। आधार कार्ड बैंक खाता खुलवाने और खाते में सीधे लाभ हस्तांतरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया बनकर सामने आया है। बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन प्रक्रिया पर आधारित *आधार पे* आधार नंबर से जुड़े खातों से सभी प्रकार के लेनदेन केवल अंगुठा लगाकर करने में मदद करेगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्लेटफॉर्म एक अरब से अधिक भारतीयों के लिए सर्वाधिक समावेशी भुगतान प्लेटफॉर्म साबित होगा।

अब जबकि भारत सरकार डिजिटल सोसायटी विकसित करने की ओर आक्रामकता से कदम बढ़ा रही है, जमीनी स्तर पर नागरिक-केंद्रित सेवाएं सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है और इस मिशन के तहत ग्राम-पंचायत स्तर के ढाई लाख से अधिक सीएससी केंद्रों को अपने नेटवर्क के जरिये ऐसी सेवाएं देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये केंद्र लेनदेन आधारित और सेवा-आधारित मॉडल के तौर पर कार्य करते हैं और एकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में ई-सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

भारत को डिजिटली-सशक्त समाज तथा नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार ने कोई भी उपाय नहीं छोड़े हैं। सरकार ने *पब्लिक क्लाउड* पर साझा करने योग्य निजी जगह लेने और सभी सार्वजनिक दस्तावेजों-प्रमाण-पत्रों को इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना *डिजीलॉकर* शुरू की है। परिपक्व ई-गवर्नेंस के विचार को लक्ष्य करके शुरू की गयी इस योजना के तहत डिजिटल दस्तावेज जारी करने और इसके सत्यापन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अब तक 40 लाख से अधिक नागरिकों ने डिजीलॉकर की सेवा ली है। सरकार ने अब तक नागरिकों को 20 लाख से अधिक ई-साइन जारी किये हैं। डिजीलॉकर को भी आधार से जोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत को डिजिटली सशक्त समाज बनाने के लिए विभिन्न मंच एवं मसविदे बनाया जा रहा है।

भीम ऐप यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के इस्तेमाल से डिजिटल लेनदेन को सरल, सुगम तथा त्वरित बनाता है। गत वर्ष 30 दिसंबर को लांच होने के बाद से भीम ऐप के इस्तेमाल में कई गुना वृद्धि हुई है। हाल ही में किये गये अध्ययन से पता चला है कि दो माह में भीम ऐप को एक करोड़ 70 लाख बार डाउनलोड किया गया और फरवरी के अंत तक 19 लाख 37 हजार बार इससे लेनदेन किये गये हैं।

बजट 2017-18 में डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को गति देने के लिए सरकार ने 2017-18 के केंद्रीय बजट में अनेक उपायों की घोषणाएं की हैं। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा सुधारने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मजबूत बनाने के साथ ही देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपायों की घोषणाएं की हैं। सरकार का लक्ष्य यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस तथा डेबिट- क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्मों के जरिये 2017-18 में 2500 करोड़ लेनदेन करना है। इतना ही नहीं, सरकार ने बैंकों के लिए मार्च 2017 तक 10 लाख नये पीओएस टर्मिनल लगाने का भी लक्ष्य रखा है। बैंकों को सितंबर 2017 तक आधार कार्ड आधारित 20 लाख पीओएस टर्मिनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बजट में यह व्यवस्था की गयी है कि 2018 तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों में हॉटस्पॉट के साथ ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी तथा कम शुल्क पर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होंगी। भारत नेट के तहत एक लाख 55 हजार किलोमीटर में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी गयी है। भारत नेट परियोजना के तहत इसके लिए बजट में 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं।

निष्कर्ष

सरकार की सकारात्मक पहल एवं अतिरिक्त प्रयास के कारण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम व्यापक सफलता का अपना लक्ष्य हासिल करने वाला है। इस कार्यक्रम में आम जनता ने भी अपनी भागीदारी बढ़ायी है और इस प्रकार दुनिया के सर्वाधिक डिजिटली सशक्त समाज बनने में भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार और देश के नागरिक एकजुट होकर कई लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देश को आने वाले समय में डिजिटल तौर पर विकसित राष्ट्र बना सकेगा। ❑

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 648, सूचना भवन
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

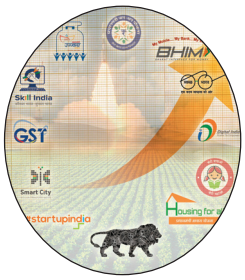

लोक वित्त में डिजिटल नवाचार

लेखा चक्रवर्ती
समीक्षा अग्रवाल

मौजूदा प्रणाली में सुधार के लिए एक कदम और बढ़ाते हुए, अर्थशास्त्रियों द्वारा *सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई)* नीति पर विचार किया जा रहा है। *यूबीआई* सरकार द्वारा लोगों को बिना शर्त, समरूप नकदी अंतरण सुनिश्चित करेगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17 में उल्लेख है कि *यूबीआई* लागू करने के साथ ही, भ्रष्टाचार और रिसाव दूर कर लिए जाएंगे क्योंकि धन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित हो जाएगा और कल्याणकारी नौकरशाही की भूमिका कम हो जाएगी

राजकोषीय नीति में डिजिटल नवाचार समष्टि नीति-निर्माताओं के लिए, खासकर विमुद्रीकरण के बाद के भारत में, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत ने लोक वित्त में डिजिटलीकरण के शुरुआती तीन प्रयोगों, विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को दर्शाया है। यह रेखांकित करता है कि लोक वित्त में डिजिटलीकरण ने सरकार की लाभार्थियों को ठीक-ठीक पहचानने में मदद की है। इसने छद्म लाभार्थियों को हटाने में भी सहायता की है और इस प्रकार रिसावों एवं पहचान-त्रुटियों को दूर किया है। एक प्रारंभिक आंकड़ा बताता है कि भारत में लोक वित्त में डिजिटलीकरण ने *मनरेगा* में 14 प्रतिशत, *पहल (एलपीजी सब्सिडि योजना)* में 37 प्रतिशत, *राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)* में 14 प्रतिशत एवं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में 7 प्रतिशत तक, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभों को हस्तांतरित करने में मदद की है। (भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16)

एक नयी योजना, *प्रधानमंत्री जन-धन योजना*, राजकोषीय नीति के डिजिटलीकरण में एक और सफल प्रयोग है। इस योजना ने जनता द्वारा बचत खाते खोले जाने के जरिये वित्तीय सेवाओं में समावेशन सुनिश्चित किया है ताकि पैसा वास्तविक लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जा सके। इसी से सम्बद्ध एक अन्य प्रयोग आधार कार्डों की शुरुआत है, जो देश में प्रत्येक व्यक्ति की एक अद्वितीय ऑनलाइन पहचान दिलाता है और अंतरणों को आसान बनाने के क्रम में उनके बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से जुड़ा है। पैसा के तीव्रतर अंतरण तथा सुदूरवर्ती इलाकों में बैंकिग समस्याओं के समाधान के लिए मोबाइल बैंकिग के व्यापक उपयोग को भी प्रोत्साहन मिला है। जन-धन खातों, आधार कार्डों और मोबाइल बैंकिग के इस्तेमाल ने भारत को प्रत्याशित डिजिटल क्रांति के और करीब आने में सहायता की है।

वित्त में डिजिटलीकरण के इस तरह के प्रयोग केन्या में हुए हैं, जहां भौगोलिक सर्वेक्षणों का प्रयोग यह समझने के लिए किया गया था कि वित्तीय संस्थानों ने तेजी से डिजिटल होते वातावरण के प्रति कितनी अनुक्रिया दी है। केन्या में जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा *वित्तीय पहुंच स्पर्श बिंदु* के 5 किमी. के दायरे में हैं और केन्या लोगों द्वारा मोबाइल फोन आधारित पैसे के उपयोग के लिए मजबूती से खड़ा है-10 वर्षों से कम समय में व्यस्क आबादी का यह प्रतिशत 0 से 75 प्रतिशत तक बढ़ गया है। (डुंग यू जंगना अर्माण्डो मोरालिस और लिडिया डिरांगु 2016)[1]

वैश्विक अनुभव से सीखते हुए, भारत ने संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए जेएएम त्रिमूर्ति (जन-धन, आधार और मोबाइल) के साथ प्रयोग किया है। मुख्य रूप से, भारत में सब्सिडि अंतरण प्रणाली रिसाव और छद्म या नकली लाभार्थियों जैसी अक्षमताओं से भरी पड़ी है। वास्तविक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से इनके खातों को आधार नंबर एवं मोबाइल से जोड़ा गया है। जिससे लीकेजस पर नियंत्रण किया गया है। उदाहरण के लिए, भारत में पीडीएस वितरण प्रणाली पहचान की त्रुटियों के साथ उलझी हुई हैं, जो मुख्यत: छद्म या नकली लाभार्थियों

लेखा चक्रवर्ती राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान, (वित्त मंत्रालय का एक स्वायत्त शोध संस्थान) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: lekhachakraborty@gmail.com
समीक्षा अग्रवाल राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान, (वित्त मंत्रालय का एक स्वायत्त शोध संस्थान) में प्रशिक्षु हैं। ईमेल: samiksha.agarwal94@gmail.com

के कारण है। इसी प्रकार, ग्रामीण भार के लिए *महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना* में कार्यान्वयन की समस्याएं एवं भारी रिसाव हैं। एलपीजी सब्सिडि के मामले में ये कमियां इतनी थीं कि जनसंख्या के ऊपरी 20 प्रतिशत ने उपयोग व्यय द्वारा कुल प्रत्यक्ष सब्सिडि का आधे निचले हिस्से ने कुल सब्सिडि अंतरण का 10 वें (8 प्रतिशत) से भी कम अंश प्राप्त किया। (आईआईएसी, 2014)[2] इन समस्याओं के प्रत्युत्तर में, प्रणाली का डिजिटलीकरण एक स्पष्ट समाधान था।

नीलेकणी कार्यबल की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। जिसमें एक *आधार-सक्षम एकीकृत भुगतान संरचना* गरीबों को सब्सिडि के हस्तांतरण के लिए एक अधिक कुशल और किफायती प्रणाली को प्रस्तावित करने के लिए नीलकेणी के प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण की सिफारिश की थी[3] और उसके बाद उसे हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी थी। 2012 में *राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)* ने एक अध्ययन में कहा था कि पीडीएस के मामले में, एक बार आधार के जरिए नामांकित हो जाने के बाद, लाभों को ग्रहण करना अधिक आसान हो जाएगा क्योंकि वे प्रमाणित होंगे। मनरेगा के मामले में, यदि वेतन का भुगतान आधार भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, तो यह रिसावों को 5 प्रतिशत तक नियंत्रित कर सकता है। हालांकि सराफ व अन्य (2016) ने उल्लेख किया कि जब पहचान दस्तावेज मजबूत तार्किक ढांचे पर आधारित नहीं होते हैं, तो संगठित अपराध एवं पहचान की धोखाधड़ी आसानी से की जा सकती है।

हाल के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2015 में प्रति सप्ताह 40 लाख कार्ड की दर से 210 मिलियन आधार कार्ड बनाए गए थे। इसके अलावा 97.50 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं, जो कुल आबादी का लगभग 75 प्रतिशत और व्यस्क आबादी का लगभग 95 प्रतिशत है।

तालिका 1 भारत में जनधन योजना की पहुंच को दर्शाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जनता के बचत खातों को खोलने का काम कर रही है ताकि सब्सिडि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचना सुनिश्चित हो जाए।[4]

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की एलपीजी (डीबीटीएल) योजना, पहल (पीएचएएल) को 2014 में एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाने की मंशा से फिर से शुरू किया गया। इस योजना ने बीपीएल के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में जेंडर बजटिंग को एक घटक के रूप में एकीकृत करने का प्रयास किया है। यह घटक प्रासंगिक है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार महिलाएं और बच्चे मलेरिया की तुलना में, लंबी दूरी चलकर एकत्र किए गए घटिया खाना बनाने के ईंधन के उपयोग के कारण इंडोर वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। इस कार्यक्रम ने महिलाओं द्वारा देखभाल की अर्थव्यवस्था में प्रयास की तीव्रता को ध्यान में रखा है और इस ईंधन की लकड़ी का संग्रह करने में बिताए गए समय के ऐसे आंकड़ों को भारत के सांख्यिकी संगठन (चक्रवर्ती, 2016 और 2014) द्वारा आयोजित समय उपयोग अध्ययनों में प्रकट किया गया है। लाहोटी व अन्य (2012) ने उल्लेख किया है कि पहल से पहले एलपीजी का उभार शहरी क्षेत्रों और बेहतर सामाजिक-आर्थिक संकेतकों वाले परिवारों के बीच संकेंद्रित है। अध्ययन में यह पाया गया कि एलपीजी एक स्वच्छ और स्वस्थ ईंधन है, जबकि देश में अधिकांश घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का प्रयोग होता है, जिसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एलपीजी सब्सिडि का उद्देश्य गरीब परिवारों तक पहुंच बढ़ाने और प्रदूषण फैलाने वाले ठोस ईंधन से एलपीजी की तरफ जाना है, जिसे हासिल किया जाना अभी बाकी है (लाहोटी व अन्य, 2012)।

आधार भुगतान तंत्र ने *पहल योजना* को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य पर सिलेंडर मिलते हैं और बीपीएल उपभोक्ताओं को उनके बैंक खातों में सीधे एलपीजी सब्सिडि प्राप्त होती है। सब्सिडि का लाभ उठाने के लिए, या तो उपभोक्ताओं को अपने आधार नंबर को अपने बैंक खातों से जोड़ने की जरुरत होगी या फिर आधार नंबर अनुपलब्ध हो तो, अपने बैंक खाते को अपने 17 अंकों के एलपीजी आईडी से जोड़ना होगा। इस योजना का उद्देश्य देश के 676 जिलों में 15.3 करोड़ उपभोक्ताओं को शामिल करना था और धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया गया (भारत सरकार, 2014)[5] भारत सरकार ने पहल योजना को एक बड़ी सफलता घोषित किया था। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 ने यह भी दावा किया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सब्सिडि वाले एलपीजी सिलेंडरों की खपत में कमी आयी है और इस तरह इसने एलपीजी रिसावों में 24 प्रतिशत की कटौती को वास्तविक लाभार्थियों के सीमित अपवर्जन के साथ कम कर दिया है। (भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16) इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी भी कठिन हो गयी है। अभी तक, पहल के तहत कुल नकद अंतरण राशि 45,412 करोड़ रुपये है और 1,05,46,388 लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडि छोड़ दी है। (भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 2014)[6]

उन क्षेत्रों में *जेएएम त्रिमूर्ति* के उपयोग की काफी संभावनाएं है, जहां केंद्र सरकार के पास महत्वपूर्ण नियंत्रण है और जहां भारी रिसाव हैं, ताकि जेएएम से राजकोषीय बचत भी और अधिक हो सके। उर्वरकों के मामले में, केंद्र

तालिका 1: लोक वित्त में डिजिटलीकरण : वित्तीय सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन (करोड़ में)

बैंक का नाम	ग्रामीण	शहरी	कुल	रूपे कार्डों की संख्या	आधार से जुड़ा	खातों में राशि
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12.32	10.22	22.54	17.58	14.93	49266.04
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3.97	0.66	4.63	3.53	2.76	11708.05
निजी बैंक	0.55	0.37	0.91	0.84	0.44	2127.40
कुल	16.80	11.24	28.08	21.95	18.13	63101.49

नोट : यह प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 22 मार्च 2017 तक खोले गए खातों की संख्या है। सभी आंकड़े करोड़ में हैं।

स्रोत : भारत सरकार (2017), पीएमजेडीवाई

सरकार का नियंत्रण अधिक है और रिसाव लगभग 40 प्रतिशत है, जो उर्वरक सब्सिडि देने में जेएएम का उपयोग करने की पर्याप्त वजह है। साथ ही, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार के साथ व्यापार करने वाले व्यवसाय केंद्र सरकार के हस्तांतरण या भुगतान पर आश्रित हैं, जिन्हें सरकारी सब्सिडि के समान ही उन्हें भेजा जाता है।

जेएएम ने रिसाव, देरी और प्रशासनिक बोझ को कम करके हस्तांतरण की क्षमता में सुधार किया है। अत: जेएएम त्रिमूर्ति का इस्तेमाल सरकार के भीतर धन के हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है जिससे कम लागत और उच्च क्षमता की ओर बढ़ा जा सके। हालांकि, इन अभूतपूर्व सुधारों के बावजूद इन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में ढेरों समस्याएं हैं। यद्यपि इन योजनाओं के तहत पैसे के हस्तांतरण में शामिल किए जाने और बहिष्करण की त्रुटियों को कम किया गया है तथा रिसाव, अपव्यय, और वितरण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से काफी मुस्तैदी से निपटा गया है, फिर भी इन कार्यक्रमों के प्रशासन में काफी संसाधनों और जनशक्ति की खपत होती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 ने भारत में गैर-गरीबों द्वारा सब्सिडि तक पहुंचने के पैटर्न में, विशेष रूप से बिजली सब्सिडि के मामले में, प्रतिगामिता का उल्लेख किया है। इसी प्रकार, एलपीजी उपभोक्ता (बाजार मूल्य के लिए सब्सिडि की मात्रा का अनुपात) लगभग 36 प्रतिशत की सब्सिडि दर का लाभ उठाता है। इसके अलावा गरीब केवल 9 प्रतिशत एलपीजी उपभोग करता है। इससे पता चलता है कि सब्सिडि का 91 प्रतिशत लाभ पैसे वाले लोगों द्वारा उठाया जाता है। (घटक, 2016)[7] मौजूदा प्रणाली में सुधार के लिए एक कदम और बढ़ाते हुए, अर्थशास्त्रियों द्वारा *सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई)* नीति पर विचार किया जा रहा है। *यूबीआई* सरकार द्वारा लोगों को बिना शर्त, समरूप नकदी अंतरण सुनिश्चित करेगा, चाहे वह गरीब हो या अमीर। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17 में उल्लेख है कि *यूबीआई* लागू करने के साथ ही, भ्रष्टाचार और रिसाव दूर कर लिए जाएंगे क्योंकि धन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित हो जाएगा और कल्याणकारी नौकरशाही की भूमिका कम हो जाएगी।

बर्धन (2016) बुनियादी आय को गरीबी रेखा के लगभग 75 प्रतिशत तक मानते हैं, जो कुछ ही कल्याणकारी कार्यक्रमों का स्थान लेगा, सबका नहीं। उनके अनुसार, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल, संतान पोषण कार्यक्रम, और सार्वजनिक कार्य रोजगार गारंटी कार्यक्रम जारी रखना महत्वपूर्ण है। राजकोषीय व्यवहार्यता के बारे में बात करते हुए, अगर यूबीआई की राशि मुद्रास्फीति पर 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, वर्ष 2014-15 के मूल्य पर तय की जाती है, तो वह उस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत होगी। इस राशि को देश में प्रतिगामी सब्सिडि और अक्षम कल्याणकारी कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है।[8]

बनर्जी (2016) और घटक (2016) ने कहा है कि *मनरेगा* और *पीडीएस* जैसी योजना में अभी भी काफी समस्याएं हैं[9] और भारत

भारत सरकार ने पहल योजना को एक बड़ी सफलता घोषित किया था। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 ने यह भी दावा किया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सब्सिडि वाले एलपीजी सिलेंडरों की खपत में कमी आयी है और इस तरह इसने एलपीजी रिसावों में 24 प्रतिशत की कटौती को वास्तविक लाभार्थियों के सीमित अपवर्जन के साथ कम कर दिया है।

सब्सिडि को कम करके और फिजूलखर्च को कम करके तथा कर संहिता में सुधार करके बुनियादी आय जुटा सकता है। रे (2016) ने कहा कि *यूबीआई*, जो नागरिकों को उपलब्ध कराया जाने वाला है, को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान ढांचे, जो भारत में धीरे-धीरे विकसित हो रहा है, को एकीकृत करके देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में तय किया जा सकता है और *आधार बायोमैट्रिक पहचान कार्यक्रम,* यूबीआई भारत को नौकरशाही के तमाम स्तरों से बिना गुजरे गरीबी से लड़ने में मदद कर सकता है।[10] यूबीआई का मुख्य लाभ यह है कि यह लक्षित समस्या से बचकर निकल जाता है क्योंकि हस्तांतरण सार्वभौमिक है। इसे आर्थिक विकास प्रक्रिया में बढ़ती असमानताओं की भरपायी करने वाले हस्तांतरण के रूप में भी देखा गया है।

राजकोषीय समेकन और राजकोषीय नियमों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, भारत को अपने वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से नीचे बनाए रखने की जरूरत है (चक्रवर्ती, 2016)। सब्सिडि प्रबंधन प्रणाली को सरल बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में डिजिटलीकरण की भूमिका स्पष्ट है, जो संसाधनों के कुशल उपयोग की ओर अग्रसर है।

टिप्पणियां

1. डुंग यू जंगना अर्माण्डो मोरालिस और लिडिया डिरांगु ने 2016 में इस तथ्य पर ध्यान दिया कि बैंकों ने दूरसंचार कंपनियों और बीमा क्षेत्र के साथ मिलकर काम किया है, जिसके कारण उन्हें कई अन्य उभरते बाज़ारों की तुलना में एक उच्च बाज़ार उपस्थिति मिली है। केन्या में अनुक्रमिक अनुकूली एवं लचीला नियामक ढांचा, वित्तीय बुनियादी ढांचे में सुधार ओर कौशल एवं क्षमता में तेजी से सुधार ने व्यक्ति से व्यक्ति अंतरण, भुगतान एवं अदायगी के इस विस्तार को सक्षम बनाने में सहायता की है। अध्ययन ने उल्लिखित किया कि इन लेनदेन का मूल्य प्रतिदिन वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत के बराबर पहुंच गया है। केन्या में इस डिजिटलीकरण के बाद आभासी बचत खाते, सीमा पार भुगतान के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाएं और अंतरराष्ट्रीय प्रेषणों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे वित्तीय विकास, लेन-देन की कम लागत, वृहत्तर वित्तीय समावेशन हुआ और इसलिए केन्या समावेशी आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुआ।
2. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट (2014): "सब्सिडि टू लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस इन इंडिया : एन ओवरव्यू ऑफ रीसेन्ट रिफॉर्म्स" आईआईएसडी, मार्च 2014
3. आधार संख्या किसी व्यक्ति का वित्तीय पता था, जिसके आधार पर निधि को सम्बद्ध खाते में हस्तांतरित किया गया था। आधार सेवाओं के विकास ने लाभार्थियों को अपने खाते में सीधे कल्याणकारी भुगतान प्राप्त करने की सहुलियत दी और यह सुनिश्चित किया कि धन का इस्तेमाल इच्छित लाभार्थी द्वारा किया जा रहा है। ठीक उसी समय, आधार से जुड़े बैंक खाता आधारित हस्तांतरण ने छद्म एवं नकली पहचानों को समाप्त करने, धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने एवं सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने में सरकार की सहायता की है। इस तरह की प्रणाली के कार्यान्वयन के पीछे का मकसद वृहत्तर वित्तीय समावेशन भी था। हांलाकि इन लेन-देन के बचाव एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी हैं।
4. भारत में मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग अब दूरस्थ बिंदु को जोड़ने की समस्या के समाधान के लिए किया जा रहा है। बैंक खातों में पैसा आने के बाद, बैंकों से घरों तक पैसा ले आना अभी भी एक चुनौती है। इसके समाधान के रूप में, मोबाइल फोन के माध्यम से धन-हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया जा

रहा है, जिससे तीव्रतर और सुरक्षित भुगतान हो सके। अत: *जेएएम त्रिमूर्ति* का इस्तेमाल प्रभावी रूप से धन के हस्तांतरण के लिए किया गया है। (भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16)

5. पत्र सूचना कार्यालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, 31 दिसम्बर 2014
6. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, 2014
7. मैत्रीश घटक (2016) *इज इंडिया रेडी फॉर अ यूनीवर्सल बेसिक इनकम स्कीम,* आइडियाज फॉर इंडिया, 28 सितंबर, 2016
8. प्रणव बर्धन (2016) *बेसिक इनकम इन क पूअर कन्ट्री* आइडियाज फॉर इंडिया, 26 सितंबर 2016
9. अभिजीत बनर्जी (2016), *यूनीवर्सल बेसिक इनकम,* आइडियाज फॉर इंडिया, 27 सितंबर 2016
10. देवराज रे, 2016, द *यनीवर्सल बेसिक शेयर,* आइडियाज फॉर इंडिया, 29 सितंबर, 2016

सन्दर्भ

- **बनर्जी, अभिजीत (2016) :** *यूनिवर्सल बेसिक इन्कम,* अभिजीत आइडियाज फॉर इंडिया, 27 सितंबर, 2016 http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article_id=1695
- **वर्धन, प्रणब (2016) :** *बेसिक इन्कम इन अ पुअर कंट्री,* आईडियाज़ फॉर इंडिया, 26 सितंबर, 2016 http://ideasforindia.in/profile.aspx?id=32
- **चक्रवर्ती, लेखा 2016a :** *जेंडर बजटिंग इन एशिया: अ सर्वे,* वर्किंग पेपर संख्या 150, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी
- **चक्रवर्ती, लेखा 2016b :** *फिस्कल कंसॉलिडेशन, बजट डेफिसिट्स एंड मैक्रो इकॉनमी,* सेज पब्लिकेशन, यूके
- **चक्रवर्ती, लेखा (2014) :** *इंट्रीगेटिंग टाइम इन पब्लिक पॉलिसी: इम्पेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जेंडर-स्पेसिफिक आउटकम्प एंड बजटिंग,* लेवी इकोनॉमिक्स इंस्टिट्यूट ऑफ बार्ड कॉलेज, वर्किंग पेपर संख्या 785 न्यूयार्क
- **घटक, मैत्रीश (2016) :** *इज़ इंडिया रेडी फॉर अ यूनिवर्सल बेसिक इन्कम स्कीम,* आईडियाज़ फॉर इंडिया 28 सितंबर 2016 http://www.ideasforindia.in/article.aspx?article id=1696
- **भारत सरकार (2017) :** *भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2016-17* वित्त मंत्रालय, नयी दिल्ली
- **भारत सरकार (2016) :** *भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16* वित्त मंत्रालय, नयी दिल्ली
- **नीलकेणी (2012) :** द रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन ऐन आधार-एनेबल्ड यूनीफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फरवरी, 2012
- **एनआईपीएफपी (2012) :** अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ आधार, राष्ट्रीय लोक वित्त अवनीति संस्थान, 9 नवंबर, 2012 नयी दिल्ली
- **भारत सरकार (2014) :** लॉन्च ऑफ *पहल (डीबीटीएल)* स्कीम ऑन फर्स्ट जेनवरी 2015 इन एनटायर कंट्री, पत्र सूचना कार्यालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 31 दिसंबर, 2014 नयी दिल्ली
- **आईडियाज़ (2016) :** आईडियाज़ फॉर इंडिया ई-सिम्पोसियम-द आईडिया ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, 6 नवंबर 2016
- **इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट (2014) :** सब्सिडिज टू लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस इन इंडिया: ऐन ओवरव्यू ऑफ रीसेंट रिफॉर्म्स, आईआईएसडी, मार्च 2014
- **लाहोटि, राहुल व अन्य (2012) :** सब्सिडिज फॉर हूम? द केस ऑफ एलपीजी इन इंडिया, लोक नीति केंद्र, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरु, 2012
- **अर्माण्डो मोरालिस, (2016) :** कैशिंग इन ऑन द डिजिटल रिवोल्यूशन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, आईएमएफ, जून 2016 खंड 53, संख्या 2
- **सराफ, अनुपम व अन्य (2016) :** फ्रेमवर्क फॉर इशुइंग, यूजिंग एंड वैलीडेटिंग आईडेंटीफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, खंड 51, अंक 42, 15 अक्तूबर 2016

शब्द संक्षेप

- एलपीजी: लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
- जेएएस: जनधन आधार मोबाइल
- पीडीएस: जन वितरण प्रणाली
- पीएसजेडीवाई: प्रधानमंत्री जनधन योजना
- यूबीआई: सार्वभौमिक बुनियादी आय

SARVODAYA IAS
सामान्य अध्ययन
भारतीय अर्थव्यवस्था
PRE-CUM-MAINS
by A.K. ARUN
Fee @9500 only
NEW BATCH STARTS
कक्षा जारी 3:30 PM
SPECIAL FOCUS ON
• Current Affairs for Pre Exam
• Budget & Economic Survey
• Daily Answer Writing
216, 2ND FLOOR, VIRAT BHAWAN, MUKHERJEE NAGAR, DELHI
011-47015843, 9015155888, 8130953963

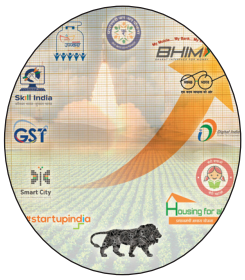

कौशल विकास नवाचार युवा सशक्तीकरण

जतिंदर सिंह

महत्वाकांक्षी युवा वर्ग और गुणवत्तापूर्ण जीवन की क्षुधा एक विकसित देश के लिए उम्मीदों का शंखनाद भी है। आने वाले 20 वर्षों में औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की श्रमशक्ति में जहां 4 प्रतिशत की गिरावट की आशंका जतायी जा रही है, वहीं भारत में इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इन संभावनाशील आयु वर्ग में क्षमता निर्माण करने के लिये केंद्र सरकार ने भी कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं। सरकार देश को विश्वव्यापी मैन्यूफैक्चरिंग हब और कौशल का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। कौशल भारत और स्टार्टअप इंडिया मिशन से युवाओं के लिए पढ़ाई के बाद रोजगार प्राप्त करना सहज होगा। साथ ही नये प्रयोगों के लिए उनका मस्तिष्क तैयार होगा

युवा परिवर्तन के सूत्रधार होते हैं। नये प्रयोगों को अंगीकार करते हैं। नये विचारों और विकास के वाहक होते हैं। साथ ही, हमारे देश के युवा यह सुनिश्चित भी करते हैं कि उनके विचारों को सुना जाए क्योंकि वे न केवल राष्ट्र का भविष्य हैं बल्कि विकास की गाथा के सहभागी भी हैं। यूं अपने देश के युवाओं को कौशल और ज्ञान से सशक्त करना हमारे लिए अनिवार्य है ताकि देश विकास की राह पर अग्रसर हो। भारत के लिए मौजूदा दौर स्वर्णिम कहा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में भारत की लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से भी कम उम्र की है। आंकड़े कहते हैं कि 2020 तक भारत की औसत आयु 29 वर्ष होगी, जिसके परिणामस्वरूप हमारे यहां साढ़े चार करोड़ से भी अधिक जनसंख्या काम करने वाले आयु वर्ग का हिस्सा होगी। यह संख्या ऐतिहासिक है। इसलिए कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में श्रमशील जनसंख्या 2040 तक तेजी से बढ़ेगी जिसके कारण भारत 'विकासशील' से 'विकसित' राष्ट्र बन सकता है।

आर्थिक विकास के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना भी विकास का एक एजेंडा है। औपचारिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में युवाओं की सोच, नये विचारों और उनकी संलग्नता को प्रोत्साहित करने से देश की समृद्धि में भी इजाफा होगा। लेकिन यह हमारे लिए एक चुनौती भी है। क्योंकि रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल बनाने के लिए हमें युवाओं को रोजगार कौशल भी प्रदान करना होगा। वैसे रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतराल को कम करने की पहल केंद्र सरकार की ओर से भी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जैसे *मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया* और *डिजिटल इंडिया*। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।

मेक इन इंडिया

भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम *मेक इन इंडिया* का उद्देश्य निवेश, नवाचार को पोषित करना और बौद्धिक संपदा को सुरक्षा रखना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए 2022 तक 10 करोड़ नये रोजगारों का सृजन किया जाए। *मेक इन इंडिया* मिशन ऐसा जो युवाओं को आजीविका के व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगा। इस मिशन का उद्देश्य विश्व स्तर पर भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में बदलना और 2022 तक देश की जीडीपी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है। मिशन ने निर्माण, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, विमानन, रक्षा उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 25 क्षेत्रों की पहचान की है। इसके अतिरिक्त भारत में विनिर्माण के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर अपने उत्पादों को बेचने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को लचीला बनाया है। *मेक इन इंडिया* से देश

लेखक प्रबंधन में पीएचडी हैं और शिक्षा एवं कौशल पहल में उन्हें 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली के वरिष्ठ सचिव होने के साथ ही वह इस संस्था में शिक्षा विभाग, कौशल विकास, सीएसआर और नवाचार विभाग के प्रमुख हैं। वह हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के संचालक परिषद के सदस्य भी हैं। ईमेल: jatinder@phdcci.in

में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ेगा। इसलिए मौजूदा और भविष्य के नियोक्ताओं को कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। भिन्न-भिन्न कौशल वाले लोगों जैसे शॉप फ्लोर तकनीशियन, डिजाइनर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट प्लानर्स, आदि को रोजगार के असीम अवसर उपलब्ध होंगे। सौर ऊर्जा उत्पादन, ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट शहरों जैसे क्षेत्रों में नये जॉब प्रोफाइल खुलेंगे। इसके साथ ही, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स के व्यापक इकोसिस्टम में भिन्न प्रकार की नौकरियों का सृजन होगा। इससे देश एक प्रतिस्पर्धी बाजार और विश्वव्यापी उत्पादन केंद्र में तब्दील होगा।

स्किल इंडिया

यद्यपि विश्व में भारत की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है लेकिन बाजार से संचालित होने वाले अच्छे कौशल का अभाव अब भी एक चुनौती है। हर वर्ष श्रमशक्ति में प्रवेश करने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों में से केवल 2 प्रतिशत ही ऐसे होते हैं जिन्हें औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक नये मंत्रालय की शुरुआत की है। इससे देश में कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है। *मेक इन इंडिया* पहल और 100 स्मार्ट सिटी मिशन से भी इसे काफी लाभ मिला है। कौशल विकास और उद्यमिता हेतु प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति, 2015 ने उच्च तकनीकी नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने के साथ-साथ सफल कौशल रणनीति के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु रोडमैप बनाया है। यह योजना बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय कौशल के विकास और नवाचार आधारित उद्यमिता के प्रोत्साहन के जरिए ऐसे इकोसिस्टम को तैयार करने की परिकल्पना करती है जो रोजगार का सृजन करे और देश में संपन्नता आए। इससे देश के सभी नागरिकों के लिए स्थायी आजीविका भी सुनिश्चित होगी। इस पहल के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ होंगे जिनका उद्देश्य यह होगा कि युवाओं को अधिक से अधिक प्लेसमेंट मिले यानि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरियां मिल जाएं।

प्रौद्योगिकी और व्यवसायों में आने वाले व्यावधान से रोजगार प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए ब्लू-कॉलर या व्हाइट कॉलर जॉब्स के सृजन का मामला पुराना हो गया है। अब न्यू-कॉलर जॉब्स का दौर आया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स जैसी नयी हाई टेक जॉब्स आ गयी हैं जिनमें कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। कंपनियां भी नये किस्म की योग्यताओं की मांग करेंगी जिसके लिए कौशल को लेकर नये दृष्टिकोण की जरूरत होगी। इसके लिए रोजगार के बदलते पैटर्नों (प्रतिमानों) के हिसाब से युवाओं को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। भारत दुनिया में कौशल का केंद्र बने, इसके लिए हमें अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की तर्ज पर अपने युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा।

वैसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने उद्योग आधारित सेक्टर स्किल काउंसिल्स का गठन किया है। इनका काम राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस) बनाना है। एनओएस ऐसे प्रदर्शन मानकों का संकेत देता है जिन्हें कार्यस्थल पर काम करने के दौरान सभी को हासिल करना होता है। सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को कौशल प्रमाणन के लिए इन एनओएस का पालन करना होगा। भारत का राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा को एकीकृत करता है। यह एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण है जहां हर स्तर पर योग्यता के अपने स्तर हैं। भारतीय युवा विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का मजबूती से मुकाबला करें, इसके लिए यह एक दिशा दिखाता है।

सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक नये मंत्रालय की शुरुआत की है। इससे देश में कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है। *मेक इन इंडिया* पहल और 100 स्मार्ट सिटी मिशन से भी इसे काफी लाभ मिला है। कौशल विकास और उद्यमिता हेतु प्रथम एकीकृत राष्ट्रीय नीति, 2015 ने उच्च तकनीकी नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने के साथ-साथ सफल कौशल रणनीति के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु रोडमैप बनाया है।

स्टार्ट अप और स्टैंड अप इकोसिस्टम

भारत हमेशा से नये प्रयोग की स्थली रहा है। स्वदेशी तौर पर निर्मित मंगलयान की सफलता इसी का प्रमाण है। यह एक मितव्ययी प्रयोग था। मंगलयान ने पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की 6500 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी और इस पर लागत आयी थी सिर्फ 7 रुपए प्रति किलोमीटर। इससे पता चलता है कि भारत में नेतृत्व का कितना गुण है। विविधता नवाचार की जननी होती है और भारत की विविधता ही उसकी पहचान है। भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले हमारे युवा नये विचारों से भरे हुए हैं, उनके विचारों को समर्थन और सहयोग देना हमारा काम है। इसके लिए हमें विद्यालयी स्तर पर ही नये प्रयोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देश में ऐसे अनेक बिजनेस इनक्यूबेटर्स हैं जो अकादमिक संस्थानों और वित्तीय संस्थानों में विकसित हो रहे हैं। उनमें से कुछ बड़े औद्योगिक संगठनों के समर्थन से भी चलाए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस इनक्यूबेटरों को सहायता प्रदान करता है। अब आरएंडडी विभागों को भी ग्रामीण युवाओं और मध्यम-लघु-सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए क्योंकि अधिकतर नये विचार उन्हीं से प्राप्त होते हैं। विभिन्न सरकारी विभाग जैसे डीएसआईआर, सीएसआईआर, डीएसटी, एनएसटीईडीबी, डीबीटी, और निजी क्षेत्र की कई एजेंसियां भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का वित्तपोषण कर रहे हैं। अनेक वेंचर कैपिटल, निजी इक्विटी फंड और निवेशक युवाओं को प्रौद्योगिकी और वित्त की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।

बिजनेस इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स को शुरुआती चरणों में सहारा देते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर अपने परिवार और मित्रों की वित्तीय सहायता से स्थापित किए जाते हैं। बिजनेस इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स को केवल वित्तीय सहायता ही नहीं प्रदान करते, बल्कि उन्हें काम करने की जगह देते हैं और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने की सुविधा भी। वे ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद देते हैं, उत्पादों को कस्टमाइज करने के संबंध में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करते हैं और बाजार की मांग के मुताबिक समाधान देते हैं। साथ ही पूंजी और पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने में भी मदद करते हैं। भारत में अधिकतर बिजनेस इनक्यूबेटर अकादमिक संस्थानों में स्थापित हैं। इनमें

से 118 *इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप इंडिया* स्कीम के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। स्टार्टअप उद्यमिता युवाओं का पसंदीदा रोजगार विकल्प है। भारत में 10,000 से अधिक स्टार्टअप हैं और 2020 तक इनके 11,500 का आंकड़ा पार करने का अनुमान है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।

युवा उद्यमियों में नवप्रवर्तन की संस्कृति व्यापक रूप ले रही है क्योंकि विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों भी इसे बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षण संस्थानों में ई-क्लब और सोसायटीयां बनायी जाती हैं और उनमें से कई को-स्पेस के रूप में काम कर रहे हैं। ये क्लब और को-वर्किंग स्पेस उद्यमशीलता की भावना को उजागर करते हैं और व्यावसायिक कौशल विकसित करते हैं।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस्बिलिटी फंड्स उद्योग और प्रौद्योगिकी बिजनेस इनक्यूबेटरों को जोड़ने की क्षमता रखती है। भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुच्छेद 7 के अनुसार, भारतीय कंपनियां अपने सीएसआर में से 2 प्रतिशत हिस्सा इनक्यूबेटरों के विकास के लिए खर्च कर सकती हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना का एक उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को समर्पित है। इसके तहत इन समूहों को 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए की राशि ऋण के तौर पर दी जाती है जिसे सात वर्षों तक चुकाया जा सकता है। यह योजना युवा उद्यमियों को सेवाओं, ई-मार्केट प्लेसों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण आदि की सूचना प्रदान करती है।

युवाओं की शक्ति को उजागर करना

भारत इस समय दोराहे पर खड़ा है क्योंकि उसे अपने देश की युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। यूं महत्वाकांक्षी युवा वर्ग और गुणवत्तापूर्ण जीवन की क्षुधा एक विकसित देश के लिए उम्मीदों का शंखनाद भी है। आने वाले 20 वर्षों में औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की श्रमशक्ति में जहां 4 प्रतिशत की गिरावट की आशंका जतायी जा रही है, वहीं भारत में इसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। इन संभावनाशील आयु वर्ग में क्षमता निर्माण करने के लिये केंद्र सरकार ने भी कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं। सरकार देश को विश्वव्यापी मैन्यूफैक्चरिंग हब और कौशल का केंद्र बनाने का प्रयास कर रही है। कौशल भारत और स्टार्टअप इंडिया मिशन से युवाओं के लिए पढ़ाई के बाद रोजगार प्राप्त करना सहज होगा। साथ ही नए प्रयोगों के लिए उनका मस्तिष्क तैयार होगा। सतत् विकास के लिए यह जरूरी है कि युवा सिर्फ नौकरियां तलाशने का कौशल हासिल न करें- वे नौकरियां देने की मानसिकता भी विकसित करें। यह समावेशी विकास के लिए भी जरूरी है कि युवाओं में उद्यमशीलता की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए निरंतर प्रयास और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। न केवल सरकार, बल्कि निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे नए भारत का सृजन करना चाहिए जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो और उसमें विश्वव्यापी चुनौतियों से निपटने की क्षमता हो। ❑

शब्द संक्षेप

- पीएचडीसीसीआई: पीएचडी चैंबर्स ऑफ कामर्स इन इंडिया
- एफडीआई: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- एनओएस: राष्ट्रीय व्यवसाय मानक
- एनएसक्यूएफ: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा
- एमएसएमई: मध्य लघु सुक्ष्म उद्यम

सस्ते घर उपलब्ध कराने हेतु निजी निवेश

देश के 17 राज्यों के 53 शहरों में 352 से ज्यादा आवास परियोजनाओं में 2 लाख से ज्यादा घर बनाने के लिए 38 हजार करोड़ रुपये निवेश किए जा रहे हैं। हाल ही में गुजरात के गांधी नगर में यह शुरू किया गया था। कान्फेडेरेशा ऑफ रियल ईस्टेट डेवलेपस एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीआरईडीएआई) के सदस्यों ने इस आवास परियोजना की पहल की है तथा पूरे देश का यह प्रथम बड़ा निजी निवेश है जो लोगों के घर खरीदने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित है। यह समारोह भारत सरकार की पहल से आयोजित था, जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े व मध्यम आर्थिक वर्ग के लोगों को घर खरीदने में सक्षम बनाना तथा आवास क्षेत्र में संरचनात्मक ढांचे की स्थिति को बेहतर करना है।

जून 2015 में *प्रधानमंत्री आवास योजना* (ग्रामीण) प्रारंभ की गई। आवास व ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 17.73 लाख आवास के जो ग्रामीण गरीब लोगों के खरीदने लायक निर्माण की सहमति दे दी है जो इसके लिए 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 95,660 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। परियोजना के लिए 27,879 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी दी गई।

इन स्वीकृत परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकारों की

सहायता से तथा लभार्थी के अंश दान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चार घाटकों के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। इस शहरी आवास मिशन के तहत एक लाख से 2.35 लाख रुपये तक की केंद्रीय सहायता प्रत्येक लाभार्थी को दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून, 2015 में प्रारंभ की गई थी।

भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक के तौर पर मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों को लक्षित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडि स्कीम शुरू की थी जिसके तहत 12 से 18 लाख रुपये लागत के आवासों के लिए आवास ऋण के ब्याज पर 3 से 4 प्रतिशत की सब्सिडि दी जाएगी। ❑

सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान...

IAS PCS

ISO 9001 : 2008 Certified

GS World

Committed to Excellence

Distance Learning Programme

30 Booklets ₹ 12,500/-

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

Niraj Singh
(*Managing Director*)

IAS : 2017-18

Divyasen Singh
(*Co-ordinator*)

सामान्य अध्ययन

दिल्ली केन्द्र

फाउंडेशन बैच

(नि:शुल्क कार्यशाला)

10th APRIL

11:45 AM

जयपुर केन्द्र

IAS/RAS
Foundation Batch

26 APRIL
8 AM/ 5 PM

लखनऊ केन्द्र

सामान्य अध्ययन
Gateway Batch/UP Special

14 APRIL
8 AM/ 6 PM

इलाहाबाद केन्द्र

17 APRIL @ 5:00 PM

Complete prepration forIAS/PCS

GS
Foundation Batch

26 APRIL@ 8:00 AM

DELHI CENTRE	ALLAHABAD CENTRE	LUCKNOW CENTRE	JAIPUR CENTRE
705, 2nd Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi-110009 Ph.: 011-27658013, 7042772062/63	GS World House, Stainly Road, Near Traffic Choraha, Allahabad Ph.: 0532-2266079, 8726027579	A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha Aliganj, Lucknow Ph. : 0522-4003197, 8756450894	Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr, Near Mahesh Ngr Police Station, Jaipur Ph. :7340020323, 7340020324

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

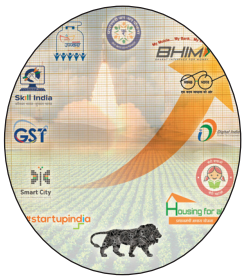

विकास योजनाओं के केंद्र में महिलाएं

पद्मा यादव
स्वाती ठाकुर

जन्म से पूर्व संरक्षण के लिए बेटी बचाओ, जन्म के बाद सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि, गृहणियों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उद्यमिता में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए स्टेप, सामाजिक रूप से सशक्तीकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार, उद्यमियों के लिए महिला ई-हाट, मानव तस्करी की पीड़िताओं के लिए उज्ज्वला इत्यादि कुछ हालिया पहलें हैं जिन्होंने महिला सशक्तीकरण की दिशा में उम्मीद की किरण जगाई हैं। इन योजनाओं के लागू हुए अभी बहुत कम समय बीता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनका क्रियान्वयन प्रभावी व पारदर्शी तरीके से हो ताकि राष्ट्र एक बेहतर कल की ओर बढ़ सके

लड़कियां और लड़के एक-दूसरे से भिन्न हैं, पर इस कारण किसी भी मायने में कम या ज्यादा नहीं हैं, इसका अर्थ समझना और समझाना आसान नहीं है। यदि स्त्री-पुरुष समता के सवाल पर भारत के संविधान में शामिल कानूनी बराबरी का जिक्र एक आम बात की तरह किया जाने लगा है तो इसका यह अर्थ लगाना जल्दबाजी होगा कि इस विचार पर हमारे समाज में आम सहमति बन गई है। यदि कुछ सहमति दिखाई देती है तो उसका आधार सोच-समझ में कम और बात करने के आम तरीके में अधिक है।

निम्न लिंग अनुपात और जन्म ले चुकी बेटियों के जीवन को गर हम समझने की कोशिश करें, तो समझ पाएंगे उस मानसिकता को जिसने इन समस्याओं को इतना विकराल बना दिया है। सवाल यहां सिर्फ लड़की के अस्तित्व का नहीं है वरन समाज में निर्धारित कर दी गयी विभिन्न लैंगिक भूमिकाओं का है। स्त्रीलिंग की परिधि में शामिल और पुल्लिंग की परिधि से इतर मानी जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं व धारणाओं का भी सवाल है यहां क्योंकि उससे ही पता चलता है कि हम मानसिकता में कितना बदले हैं और कितना नहीं।

भारत के संदर्भ में देखें तो नारी एक जटिल सामाजिक रचना है। मानव के रूप में वह पैदा भर होती है, पर जन्म के साथ ही उसकी पुनर्रचना का उपक्रम संस्कृति के कठोर औजारों के बल से आरंभ हो जाता है। बेटियों को पूरा इंसान न मानने की हमारी मानसिकता उस कंडिशनिंग को और बल देती हैं जिसकी बदौलत समाज के लिए वे 'अन्य' बना दी जाती हैं, जबकि वास्तविकता में उनकी स्थिति 'अनन्य' की है।

अतीत के सामाजिक ताने-बाने ने सम्मान और अधिकार के भाव से स्त्रियों को वंचित रखा। इस परिप्रेक्ष्य में समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती है। किसी भी समाज में समानता की यह आवश्यकता बेशक नई नहीं है, परंतु इस समानता को पाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास यकीनन आधुनिक समय की पहचान है। इस आवश्यकता को समझते हुए सरकार द्वारा नए-नए कार्यक्रमों के जरिए इस लैंगिक असमानता की खाई को पाटने व आधी आबादी के लिए एक बेहतर जींदगी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धीरे-धीरे इस समस्या की ओर आधुनिक राष्ट्र और समाज की दृष्टि गई और इस ओर संगठनात्मक तथा राष्ट्र-सरकारों ने भी उचित ध्यान दिया है।

भारत में आजादी के पश्चात् इस विषय पर विशेष ध्यान दिया गया। संविधान ने स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए जिससे मताधिकार, संपत्ति, विवाह और रोजगार संबंधी आदि विषयों में स्त्रियों को बराबरी का स्तर प्राप्त हुआ। किंतु यह समान स्तर अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका है। इसके लिए भारत सरकार अलग-अलग आयामों से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव सामने आ जरूर रहे हैं, पर ये प्रभाव किस मात्रा में हो रहे हैं, इसलिए समुचित मूल्यांकन की आवश्यकता है। समय समय पर इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

पद्मा यादव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली के प्राथमिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं। ईमेल: yadavpadma62@gmail.com
स्वाती ठाकुर दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक, नारी विमर्श आदि विषयों पर अध्ययन-लेखन में रुचि। ईमेल: choti.mailme@gmail.com

इस आलेख का उद्देश्य ऐसी ही योजनाओं और उसके पीछे काम सरकार के दृष्टिकोण और लक्ष्यों को सामने लाना है जो महिलाओं के सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं। इनमें से प्रमुख योजनाओं का बिंदुवार विवरण आगे प्रस्तुत है।

महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना 'उज्ज्वला' का मूल्यांकन सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस योजना की रूपरेखा बहुत अच्छे से तैयार की गई है और इस योजना को भविष्य में जारी रखा जाना चाहिए।

इसी तरह सामाजिक सुरक्षा से जुडे आंकड़ों को देखकर महिला सशक्तीकरण की एक नयी तस्वीर दिखती है। वह यह कि सामाजिक सुरक्षा की तीनों ही सरकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में शहरी महिलाओं के मुकाबले ग्रामीण महिलाएं बढ चढ कर हिस्सा ले रही हैं। बीमा योजनाओं की कामयाबी की एक बड़ी वजह दावों के निबटारे की ऊंची दर भी है। इसका विवरण तालिका 1 में प्रस्तुत है।

आगे हम प्रमुख कल्याण योजनाओं के बारे में प्रमुख तथ्यों पर नजर डालते हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना* का उद्देश्य बच्चियों को समर्थ व सक्षम बनाना है। इस क्रम में सरकार का जोर बच्चियों की शिक्षा पर भी है। बच्चियों में ड्राप आउट की बढ़ती दर भी एक समस्या बनी हुई है। इसी कारण बच्चियों में शिक्षा, कौशल विकास सामाजिक विकास के लिए काफी जरूरी हैं। वर्ष 2011 में प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि शिशु लिंग अनुपात में भारी अंतर आ गया है। 0-6 वर्ष तक के बच्चों में प्रत्येक 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या 918 प्राप्त हुई जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रही थी। यह जन्म से पहले और बाद में महिला सशक्तीकरण का विषय माना गया। इस समस्या को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* कार्यक्रम को तैयार किया। इस कार्यक्रम द्वारा जन्म से पहले भेदभाव से संघर्ष और संरक्षण संबंधी उपाय किये गए। साथ ही जन्म के बाद उसके बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इस योजना का उद्घोष 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत स्थान से किया। इस योजना में सरकार ने एक ओर सामाजिक जागरुकता लाने का लक्ष्य रखा वहीं दूसरी ओर 100 अतिप्रभावित जिलों में तीव्र परिणाम के लिए संगठनात्मक पहल की गई। बेटों के बरक्स बेटियों के सम्मान और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जनसहभागिता और जागरुकता को ही हथियार बनाया गया। यह भारत सरकार के मंत्रालयों का एक त्रि-मंत्रालयी प्रयास है जिसमें महिला बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल हैं। वर्तमान में यह योजना केंद्र सरकार से सीधे जिलाधिकारी के माध्यम से संचालित हो रही है। यह विषय चिंताजनक है कि भारत में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद लिंगानुपात में इतना अंतर आ रहा है। इस कारण ही योजना में शिक्षा व सामाजिक जागरुकता और भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिलों के स्तर पर विभिन्न मदों में जारी की जा रही राशि का विवरण तालिका 2 में प्रस्तुत है।

महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना 'उज्ज्वला' का मूल्यांकन सामाजिक कार्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस योजना की रूपरेखा बहुत अच्छे से तैयार की गई है और इस योजना को भविष्य में जारी रखा जाना चाहिए।

सुकन्या समृद्धि योजना

सरकार द्वारा शुरु की गई यह योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बेहतरीन प्रयास है। वित्तीय समावेशन की ओर मौजूदा सरकार का विशेष ध्यान रहा है। इस दिशा में बीते वर्षों में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, *सुकन्या समृद्धि योजना* उन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* योजना के अंतर्गत की गई। इस योजना के अंतर्गत बच्ची के माता-पिता या विधिक अभिभावक किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक में न्यूनतम रु. 1000 के साथ उक्त खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत् एक परिवार से दो बच्चियों के खाते खोले जा सकते हैं। जुड़वा बच्चियों की स्थिति में तीन खाते भी खोले जा सकते हैं। इस खाते में एक वर्ष के दौरान न्यूनतम रु. 1000 व अधिकतम रु. 1,50,000 जमा किए जा सकते हैं। इस खाते से बालिका एक समय में बड़ी धनराशि प्राप्त कर लेती है जिससे वह अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा अनुभव कर सके। *सुकन्या समृद्धि योजना* की शुरुआत के दो महीने के भीतर ही इस योजना के तहत् देशभर में 1,80,000 खाते खोल लिए गए। सबसे अधिक खाते कर्नाटक, तमिलनाडु

तालिका 1: सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (19 अप्रैल, 2017 तक)

योजना	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिलाएं	शहरी पुरुष	शहरी महिलाएं	कुल*
अटल पेंशन योजना	15,54,787	7,54,526	13,59,374	7,62,143	44,30,530
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	95,14,913	59,20,063	100,40,736	56,65,184	311,40,896
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	317,85,473	212,71,271	296,28,692	174,46,356	1001,31,792
कुल	**428,55,173**	**279,45,860**	**410,28,802**	**238,73,683**	**1357,03,518**

*(गांव/शहर), (पुरुष/महिलाएं)

स्रोतः वित्त मंत्रालय

तालिका 2: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिलों के लिए बजट प्रावधान

बजट की मद	2014-15#	2015-16	2016	कुल##
अंतरक्षेत्रक परामर्श तथा बैठकें	5	3.00	2	10.
प्रशिक्षण व क्षमता विकास: जागरुकता कार्यक्रम	6.00	3.00	2.20	11.2
नवाचार	10.00	6.00	6.00	22
अनुश्रवण व मूल्यांकन	3.10	4.00	3.50	10.60
प्रलेखन	3.00	3	2.50	8.50
जागरुकता सृजन, समुदाय प्रोत्साहन तथा आउटरीच गतिविधियां	22.00	9.40	9.00	40.4
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्षेत्रकवार गतिविधियां	5.00*			
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की क्षेत्रकवार गतिविधि	5*	2.84	2.52	10.36
फ्लेक्सी निधि (10 प्रतिशत)	5.91	2.84	2.52	10.36
कुल (जिला स्तरीय)	65.01	31.24	27.72	123.97

छह माह के आंकड़े ##(राशि लाख रुपये में) *मानव संसाधन विकास व स्वास्थ्य मंत्रालय के योजनाबद्ध पहलों के कार्यान्वयन हेतु प्रति जिला रु. 5 लाख

स्रोत: *http://wed.nic.in/BBBPSchieme/implementationguideline.pdf*

व आन्ध्र प्रदेश में खोले गए। आरंभ में इस योजना के तहत् जमा राशि पर ही कर छूट का प्रावधान था, पर आगे चल कर माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इस योजना के तहत् जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज के साथ-साथ परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि के आहरण पर भी कर छूट का प्रावधान कर दिया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

भारत में रसोई ईंधन की समस्या को ध्यान में रखते हुए 1 मई, 2016 को *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* का आरंभ किया गया। यह योजना धुंआरहित ग्रामीण भारत के सपने की ओर सशक्त कदम है और इसका मूल मंत्र है: *स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन* इस योजना में 2019 तक ग्रामीण भारत में मूलत: गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 5 करोड़ रियायती एल.पी.जी.कनेक्शन देना है।

इस योजना से जहां महिला स्वस्थय पर धुएं के प्रभाव को समाप्त किया जायेगा वहीं वायु प्रदूषण और जंगल कटाई की समस्या का भी निवारण हो सकेगा। इस योजना का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म करना भी है। यह प्रयास महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए ही प्रभावी सिद्ध होगा क्योंकि धुएं का सबसे अधिक असर यही वर्ग सबसे अधिक सहता है।

इस योजना के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 3 वर्ष के लिए 8000 करोड़ धनराशि मंजूर की। वहीं बजट 2016 में भी इस वर्ष के लिए 2000 करोड़ का वित्तीय प्रावधान है। बी.पी.एल. परिवारों के लिए 5 करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1600 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। यह व्यवस्था बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन खरीदने में आर्थिक सहायता के लिए है। यह पहली बार है जब पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है। इस योजना में भारत के मध्य वर्ग की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री के *गिव इट अप* अभियान के तहत 1.13 करोड़ मध्यवर्गीय परिवारों ने सब्सिडि का परित्याग कर बाजार मूल्य को स्वीकार किया।

स्टेप

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने *स्टेप* (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंप्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन) कार्यक्रम आरंभ किया है जिसमें महिलाओं को कौशल और रोजगार संबंधी आर्थिक व संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सहायता समूह निर्मित किये गए हैं और आर्थिक मदद के लिए 1600 करोड़ का आवंटन भी किया गया है जिसे योजना की सफलता के क्रम में बढ़ाये जाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह योजना कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा देते हुए *स्किल इंडिया* कार्यक्रम में महिला भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है।

इस योजना की कार्यविधि कम आयवर्ग की महिलाओं को एकत्रित कर व्यवहार्य समूह में संगठित करना और उन्हें प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना में लाभान्वित इकाई को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना अनिवार्य है भले ही उसका मुख्यालय शहर में हो सकता है।

स्टेप योजना के तहत सहायता रोजगार एवं उद्यमशीलता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध होगी जिसमें कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरीकारी आदि हस्तशिल्प, कंप्यूटर, आईटी समर्थित सेवाएं तथा कार्यस्थल के लिए सॉफ्ट स्किरण एवं अंग्रेजी बोलना, रत्ना एवं जवाहरात, यात्रा एवं पर्यटन, अतिथि सत्कार जैसे कौशल शामिल हैं, परंतु योजना इतने तक ही सीमित नहीं है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों पर कार्यान्वित की जा रही है जिसमें राज्य की संस्तुति के आधार पर सीधे सहायता संगठन को दी जाती है।

नारी शक्ति पुरस्कार एवं स्त्री शक्ति पुरस्कार

वर्ष 2014 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 8 महिला

सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों को देखकर महिला सशक्तीकरण की एक नयी तस्वीर दिखती है। वह यह कि सामाजिक सुरक्षा की तीनों ही सरकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में शहरी महिलाओं के मुकाबले ग्रामीण महिलाएं बढ चढ कर हिस्सा ले रही हैं।

प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्हें *नारी शक्ति पुरस्कार* कहा जाता है। इस पुरस्कार को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रशस्ति पत्र और धनराशि के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष अथवा संस्था को दिए जाते हैं जिसमें 1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों संबंधित मंत्रालयों/विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों/संस्थानों, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित ऐसे लोगों को प्रदान करती है, जिन्होंने महिला सशक्तीकरण, के लिए काम किया है। नारी शक्ति पुरस्कार से पहले 1991 से ही *स्त्री शक्ति पुरस्कार* दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार संस्थान, समूह और व्यक्ति विशेष तीनों स्तरों पर दिया जाता है। मूलत: छह श्रेणियों में स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। यह छह श्रेणियां हैं: रानी गायडिन्ल्यू जेलियांग पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रानी रूद्रम्मा देवी पुरस्कार, माता जीजाबाई पुरस्कार, कण्णगी पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार। इसमें 3,00,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ये सभी पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते हैं। इसी क्रम में 8 मार्च, 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 33 महिलाओं और संगठनों को *नारी शक्ति पुरस्कार 2016* से सम्मानित किया है

महिला ई-हाट

7 मार्च, 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला ई-हाट की योजना आरंभ की। इसका लक्ष्य आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसका मिशन महिला उद्यमियों को अपना सामान सीधे खरीदारों को बेचने के लिए वेब आधारित प्लेटफार्म उपलब्ध करा कर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम *मेक इन इण्डिया* में महिला भागीदारी को बढ़ावा देता है। इस पोर्टल से सवा लाख महिला उद्यमियों को लाभ प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस *महिला ई-हाट* में 16 अलग-अलग खंड हैं। महिलाओं की ओर से बेची जाने वाली तमाम चीजों की सूची है। इस पोर्टल पर कपड़े, जैविक उत्पाद या खिलौने आदि शामिल हो सकते हैं। महिलाओं के बाजार तक पहुंचने में रुकावटों को अप्रभावी बनाने के लिए और ग्रामीण भारत की पहुंच शहरों तक करने के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। यह पूर्णत: शुल्कमुक्त है। *महिला ई-हाट* में बेचे जाने वाले सामान की गुणवत्ता को लेकर भी मंत्रालय सजग है। वह महिलाओं को समय-समय पर कार्यशालाओं के जरिए तथा पोर्टल पर ही सूचना देकर गुणवत्ता और लागत संबंधी सुझाव देता रहता है। कोई भी महिला उद्यमी जो 18 साल से ऊपर है, ई-हाट के जरिए अपना सामान बेच सकती हैं। अपनी सेवाओं का प्रचार कर सकती हैं।

वर्ष 2014 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 8 महिला प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्हें *नारी शक्ति पुरस्कार* कहा जाता है। इस पुरस्कार को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रशस्ति पत्र और धनराशि के रूप में दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्ति विशेष अथवा संस्था को दिए जाते हैं जिसमें 1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है।

उज्ज्वला योजना

भारत सरकार द्वारा मानव तस्कर से पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों के बचाव और उनके पुनर्वास के लिए *उज्ज्वला योजना* का आरंभ किया गया है जिसमें स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित पुनर्वास गृह में उनके रहने, भोजन, चिकित्सा सुविधाओं तथा वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। मूलत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देह व्यापार पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए उज्जवला स्कीम शुरू की है। हमारे भारतीय संविधान के 23वें अनुच्छेद के अनुसार मानव तस्करी अपराध है। पीड़ित वर्ग में अशिक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या अधिक देखी गई है। इस कारण इस स्कीम में पुनर्वास के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। इसके लिए नागरिक समाज के संगठनों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संचेतना के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह सरकार देश में यौन शोषण के लिए अवैध देह व्यापार के निवारण के लिए सतत् प्रयास कर रही है। यह समस्या पूरे देश में मौजूद है इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भारत में मानव तस्करी के व्यापार के निवारण एवं रोकथाम के लिए व्यापक निर्देश जारी किए है।

निष्कर्ष

एक विकसित राष्ट्र उसके सबल नागरिकों से अस्तित्व ग्रहण करता है। इस तरह यह साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार अपने जनकल्याणकारी रूप में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चला कर सामाजिक न्याय और सबल नागरिक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। सरकार यह लक्ष्य संगठनात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता और जनसहभागिता तीनों आयामों से प्राप्त करना चाहती है ताकि भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में सम्मानजनक स्थान मिल सके। आज जरूरी हो चला है कि हम बेटियों को पूर्ण इंसान समझना शुरू करें। उनके जीवन को बोझ न समझें। उनके सपनों को पंख दें। उनके हौसलों को उड़ान दें। फिर खुद-ब-खुद हम समझ पाएंगे कि बेटियां दरअसल जीवन से लबरेज रोशनी हैं, जो समतामूलक समाज के खूबसूरत सपने को सच करने का हौसला रखती हैं। *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* व इस तरह की अन्य योजनाओं के रूप में की गई भारत सरकार की पहल उस खूबसुरत सपने के सच होने का उम्मीद जगाती है। ❑

संदर्भ

- http://wcd.nic.in/schemes&listing/2405
- http://wcd.nic.in/BBBPScheme/main.htm
- http://www.pmujjwalayojana.com/
- http://www.petroleum.nic.in/docs/UJJWALA.pdf
- http://wcd.nic.in/sites/default/files/Mahila%20E&haat%2024012017.pdf
- http://www.wcd.nic.in/BBBP Scheme/02.12.2014%20Final& Guidelines_BBBP.pdf%20¼1½.pdf
- www.pib.nic.in/newsite
- www.wcd.nic.in/BBBPScheme/implementationguideline.pdf

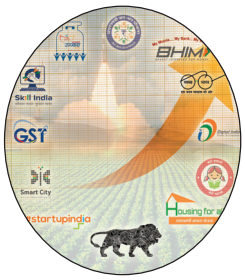

मानव विकास के पथ पर भारत

एम सलीम मीर
नंदलाल मिश्र

वर्ष 2010 से ही लैंगिक विकास और असमानता को दर्शाने के लिए मानव विकास रिपोर्ट में लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) और लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) भी जोड़ा गया। वर्ष 2015 में भारत को जीआईआई में 159 देशों में 125वां स्थान मिला। लैंगिक विकास एवं समानता के मामले में बांग्लादेश (रैंक 119) का प्रदर्शन भारत और पाकिस्तान (रैंक 130) दोनों से बेहतर रहा है। हालांकि वर्ष 2014 की तुलना में भारत की जीआईआई रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार हुआ है। वहीं इस दौरान मातृ-मृत्यु दर में कमी आयी है और श्रम-बल में महिलाओं की भागीदारी में सामान्य बढ़ोतरी हुई है

यूएनडीपी द्वारा हाल में जारी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 2016 में भारत 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। हालांकि 2015 की अपेक्षा एक पायदान का नुकसान हुआ। लेकिन इससे पूर्व 2015 में भारत एकबारगी ही 135वें स्थान से चढ़कर 130वें पायदान पर आ गया था। भारत का एचडीआई मूल्यांकन फिलहाल 0.624 है। यह आंकड़ा भारत को *मध्यम मानव विकास* वाले देशों की श्रेणी डाल देता है। अन्य दक्षिण एशियाई देश भूटान (132), बांग्लादेश (139), नेपाल (144) और पाकिस्तान (147) भी इसी श्रेणी में शामिल हैं। दक्षेस देशों में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त है लेकिन मानव विकास सूचकांक के मामले में श्रीलंका (73) और मालदीव (105) की स्थिति भारत से काफी बेहतर है। इन दोनों देशों को उच्च *मानव विकास* श्रेणी में रखा गया है।

मानव विकास की यह सूची तीन महत्वपूर्ण आयामों (लंबी और स्वस्थ जिंदगी, ज्ञान तक सबकी पहुंच और बेहतर जीवनशैली) के आधार पर तैयार की जाती है। सूचकांक का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष एवं प्रति-व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों की औसत

आरेख 1: भारत की मानव विकास प्रवृत्ति (1990-2015)

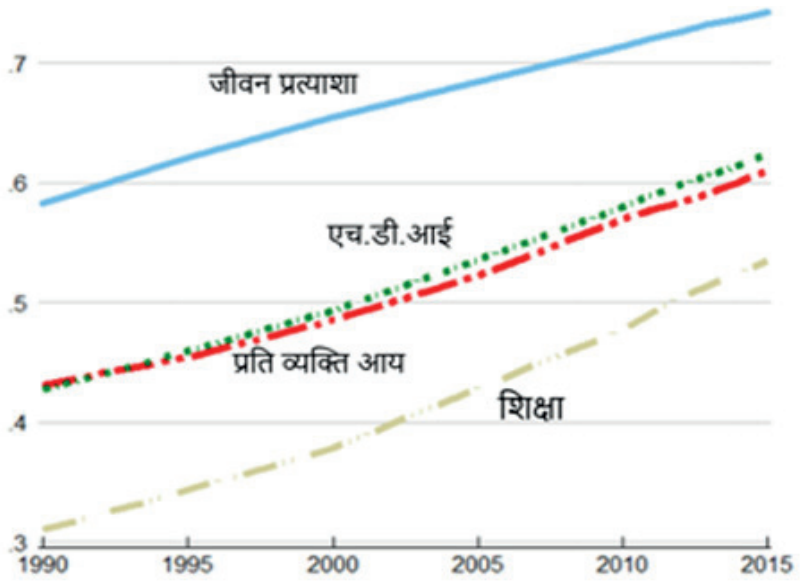

स्रोत: *कंट्री प्रोफाइल: भारत, मानव विकास रिपोर्ट-2016 (http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr-theme/countrynotes/IND.pdf)*

एम सलीम मीर दिल्ली विश्वविद्यालय के *क्लस्टर इनोवेशन सेंटर* में मानव भूगोल और भौगोलिक पर्यटन के सहायक प्राध्यापक हैं। ईमेल: msaleemir@gmail.com
नंदलाल मिश्र अंबेडकर विश्वविद्यालय (दिल्ली) में एमए विकास अध्ययन में अध्ययनरत। सतत-विकास विषयक शोध में रुचि। ईमेल: nandlalsumit@gmail.com

जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष, स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.7 साल जबकि स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.3 साल और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 5663.5 डॉलर है।

इस साल मानव विकास सूचकांक के शुरू हुए 25 वर्ष हो गए। इस अवधि के दौरान भारत ने तमाम चुनौतियों के बावजूद भी उल्लेखनीय तरक्की की है। वर्ष 1990 से अब तक भारत का एचडीआई स्कोर कुल 45.7 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान भारतीयों की औसत जीवन-प्रत्याशा में 10.4 साल, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष में 4.1 साल और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष में 3.3 साल की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 223.4 प्रतिशत का भारी इजाफा हुआ है।

गौरतलब है कि बीते पच्चीस सालों में मानव विकास को मापने के नजरिए और तकनीक में कई बदलाव आए हैं। वर्ष 2011 से मानव विकास सूचकांक का निर्धारण नये फॉर्मूले के हिसाब से किया जा रहा है। इसलिए यहां हाल के कुछ वर्षों में भारत के संदर्भ में मानव विकास की महत्वपूर्ण दशाओं एवं प्रवृत्तियों का उल्लेख करना ही प्रासंगिक होगा।

राष्ट्रीय आय एवं रोजगार

आय मानव विकास का सबसे अहम घटक है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2013 में भारतीयों का औसत सकल राष्ट्रीय आय 5027 डॉलर प्रतिव्यक्ति था जो 2015 में 12.5 प्रतिशत बढ़कर 5663.5 डॉलर प्रतिव्यक्ति हो गया। इस अवधि में प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी 5238 डॉलर से 9 फीसदी बढ़कर 5730 डॉलर हो गया। साल 2013 में कुल श्रम बल की 3.6 फीसदी आबादी बेरोजगार थी जो 2015 में घटकर 3.5 फीसदी हो गई है। हालांकि दीर्घ अवधि बेरोजगारी में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कुल अंतर्वाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह हुआ जो वर्ष 2015 में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया। इसे *मेक इन इंडिया* कार्यक्रम की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। बीते वर्षों में *डिजिटल इंडिया* कार्यक्रम का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला है। वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में इंटरनेट और मोबाइल उपयोगकर्ताओं की तादाद में क्रमशः 44 फीसदी और 6 फीसदी का इजाफा हुआ है लेकिन इस अवधि में रोजगार के नए अवसरों के उत्पादन में कमी आयी है और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक हर पांचवां भारतीय प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम की आमदनी पर गुजर-बसर करता है।

तालिका 1 : आय/रोजगार संबंधी सूचक

सूचक	2013	2015
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (2011)	5027.1	5663.5
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (2011)	5238	5730
बेरोजगारी (श्रम बल का प्रतिशत)	3.6	3.5
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह (जीडीपी का प्रतिशत)	1.5	2.1

स्रोतः मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015, 2016

श्रम ब्यूरो द्वारा चुनिंदा श्रम प्रधान और निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में तिमाही त्वरित रोजगार सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि दिसंबर 2014 की तुलना में दिसंबर 2015 में समग्र रोजगार में 135 हजार तक की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के इन क्षेत्रों में आईटी/बीपीओ सेक्टर, परिधान सहित वस्त्र और धातु सेक्टर शामिल हैं। हालांकि इसी अवधि के दौरान रत्न एवं आभूषण सेक्टर, हैंडलूम/पावरलूम सेक्टर, चमड़ा, ऑटोमोबाइल एवं परिवहन सेक्टर में रोजगार में कमी आई है। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक रोजगार एवं बेरोजगार सर्वेक्षण के मुताबिक रोजगार वृद्धि अभी तक धीमी ही रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 रोजगार बढ़ाने के उपाय के रूप में निरंतर प्रयासों पर विचार किए जाने की जरूरत पर बल देता है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक जन्म के समय भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2013 के 66.4 वर्ष के मुकाबले 2015 में बढ़कर 68.3 साल हो गयी। इस दौरान

तालिका 2 : स्वास्थ्य संबंधी सूचक

सूचक	2013	2015
जीवन प्रत्याशा (वर्ष में)	66.4	68.3
नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	41.4	37.9
शिशु (1-5 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति हजार)	52.7	47.7
मातृ-मृत्यु दर (प्रति लाख)	189*	174
0-5 वर्ष के कुपोषित बच्चे	47.9%	38.7%
टीकाकरण की कमी वाले एक वर्ष से कम उम्र के शिशु		
डीटीपी	12%	10%
चेचक	26%	17%

*डाटा, विश्व बैंक (http://data.worldbank.org/indiacatar/sh.sta.mmart?location=in)

स्रोतः मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015, 2016

प्रति हजार नवजात शिशु मृत्यु दर में 8.5 फीसदी, प्रति लाख मातृ मृत्यु दर में 8 फीसदी जबकि 1-5 साल तक के शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र के कुपोषित बच्चों के अनुपात में 9-9 फीसदी की कमी दर्ज की गयी। वहीं डीटीपी और चेचक के टीके की कमी वाले जन्म से 1 वर्ष तक के शिशु की संख्या में भी क्रमशः 2 और 9 प्रतिशत तक की कमी आयी है। देशभर में मलेरिया और खासकर क्षय रोग से होने वाली मौतों के मामले तेजी से घटे हैं लेकिन एड्स अभी भी अहम चुनौती बना हुआ है।

आजादी के 70 साल बाद भी भारत में अधिकांश आबादी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल करने के लिए जूझ रही है। देश में प्रति 10,000 आबादी पर मात्र 7-8 डॉक्टर हैं। नर्सों की तादाद में लगातार कमी आ रही है और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या एवं गुणवत्ता भी पर्याप्त नहीं है। शोध संस्था *अर्नस्ट एंड यंग* द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 80 फीसदी शहरी जबकि करीब 90 फीसदी ग्रामीण नागरिक अपने सालाना घरेलू खर्च का आधा या उससे अधिक हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कर देते हैं। इस कारण हर साल 4 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे आ जाती है।

हालांकि इस साल मार्च में भारत सरकार ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से सकल घरेलू उत्पाद के ढाई प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तय किए गए हैं। यदि सरकार इस पर प्रतिबद्धता से अमल करती है तो एक दशक में भारत के स्वास्थ्य सूचकों में आमूलचूल सुधार संभव है।

शैक्षिक उपलब्धियां

शिक्षा मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण आयाम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 74 फीसदी आबादी ही साक्षर है। पुरुष 80.9 प्रतिशत जबकि स्त्रियां मात्र 64.6 प्रतिशत। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 2013 के 11.6 वर्ष के मुकाबले वर्ष 2015 में बढ़कर 11.7 वर्ष हो गया। इस दौरान स्कूली शिक्षा का वर्ष औसत 5.8 वर्ष से बढ़कर 6.3 वर्ष हो गया। इस अवधि में युवाओं (15-24 वर्ष) की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। स्त्रियों और पुरुषों की

तालिका 3 : शैक्षिक सूचक

सूचक	2013	2015
स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष	11.6	11.7
स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष	5.8	6.3
साक्षरता (15 से 24 वर्ष)		
स्त्री	74.8%	82.2%
पुरुष	88.4%	91.8%
सकल नामांकन अनुपात* (% में)		
माध्यमिक (14-15 वर्ष)	68.1	78.5
उच्चतर माध्यमिक (16-17)	40.8	54.2
उच्च शिक्षा (18-23)	21.5	24.3

*एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2016 (http://mhrd.gov.in/sites/upload-file/mhrd/files/statisties/ESG 2016-o.pdf)

स्रोत: *मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015, 2016*

युवा साक्षरता दर में क्रमश: 7.5 और 3.5 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गयी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से बीते 4-5 सालों से प्राथमिक (6-14 वर्ष) स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 97 प्रतिशत के इर्द-गिर्द कायम रहा है। वहीं 2013-15 के दरम्यान माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में क्रमश: 10 प्रतिशत, 14 प्रतिशत और 3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद स्त्रियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का अपेक्षाकृत कम सकल नामांकन अनुपात चिंता का विषय है। *सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ* जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं से सकल नामांकन अनुपात में तेजी आयी है। लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था आज भी शिक्षा की खराब गुणवत्ता, स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति या कमी और कुशल व पेशेवर शिक्षकों के अभाव जैसी चुनौतियों से ग्रस्त हैं। हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार ने बीते दो-तीन वर्षों में शिक्षा पर व्यय में पुन: उत्तरोत्तर वृद्धि की है लेकिन गुणवत्ता और व्यय दोनों पैमानों पर कई राज्य सरकारों का रवैया चिंता का विषय है।

जीवन-स्तर संबंधी धारणाएं

प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट *कल्याण की अवधारणा* पर एक पूरक सूचकांक भी जारी करता है। सैंपल-सर्वेक्षण आधारित यह सूचकांक व्यक्तिक खुशहाली एवं समाज और सरकार के प्रति लोगों की धारणा से निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2012 की तुलना में भारतीय नागरिक वर्ष 2015 में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर की गुणवत्ता से अधिक खुश और संतुष्ट थे। लोगों में सामजिक सुरक्षा की भावना और चयन की आजादी बढ़ी है। साथ ही न्यायिक प्रणाली में लोगों का भरोसा बढ़ा है। राष्ट्रीय सरकार पर भरोसे में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि भारतीयों का सकल जीवन संतुष्टि सूचकांक मूल्य मात्र 4.3 (शून्य से दस के स्केल पर) है जो सभी दक्षिण एशियाई देशों में सबसे कम है।

हालांकि भारतीय नागरिक पर्यावरण संरक्षण के उपायों से संतुष्ट नहीं हैं।

तालिका 4 : जीवन स्तर संबंधी धारणाएं

सूचक	2012*	2015*
शिक्षा की गुणवत्ता	69	76
स्वास्थ्य की गुणवत्ता	48	62
जीवनस्तर की गुणवत्ता	47	63
आदर्श नौकरी की गुणवत्ता	67	80
सुरक्षा की भावना	61	69
चयन की आजादी	57	75

*(प्रतिशत संतुष्ट)

स्रोत: *मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015, 2016*

मानव विकास रिपोर्ट सतत विकास और पर्यावरणीय संवहन पर भी प्रकाश डालती है। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों ने वर्ष 2030 तक के लिए विकास एजेंडा के रूप में *सत्रह सतत विकास लक्ष्यों* (एसडीजी) को अपनाया है। एजेंडा 2030 के तहत *पर्यावरणीय सीमा में विकास* सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। भारत वर्ष 2012 में अपने 27 फीसदी ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति अक्षय ऊर्जा स्रोतों से करता था। वर्ष 2015 के आंकड़ों के हिसाब से अब हम 39 फीसदी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। वहीं बीते पांच सालों में प्रति-व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में 0.1 टन की कमी आयी है तो बीते 25 सालों में वन क्षेत्रों में 7.5 फीसदी इजाफा हुआ है लेकिन फिर भी पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और जलवायु नियंत्रण की दिशा में और गंभीर प्रयासों की अनिवार्य आवश्यकता है।

मानव विकास सूचकांक के आधार पर दक्षिण एशियाई देशों में भारत का तीसरा स्थान है, श्रीलंका और मालदीव के बाद। भारत का एचडीआई (0.624) विश्व के एचडीआई औसत (0.717) से काफी कम जबकि दक्षिण एशिया के एचडीआई औसत (0.621) से बस थोड़ा अधिक है। सभी प्रकार के *औसत* की ही तरह मानव विकास सूचकांक भी आंकड़ों में व्याप्त असमानता को ढक देता है। इसलिए साल 2010 से असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई) को भी मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

भारत का वर्तमान एचडीआई स्कोर असमानता को समायोजित करने के बाद घट कर 0.454 रह जाता है। यह कुल 27.2 फीसदी नुकसान है। वर्ष 2014 भारत का

आईएचडीआई 0.434 था और कुल नुकसान 28.6 फीसदी स्पष्ट है कि असमानता घट तो रही है लेकिन इसके घटने की दर ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यदि आईएचडीआई स्कोर की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत भारत से भी खराब है। हालांकि असमानता से भारत को होने वाला नुकसान दक्षिण एशिया के औसत नुकसान (27.7 प्रतिशत) से थोड़ा कम जबकि विश्व के औसत नुकसान (22.3 प्रतिशत) से अधिक है। भारत में सर्वाधिक असमानता शिक्षा तथा आमदनी के क्षेत्र में व्याप्त है।

आरेख 2: भारत एवं पड़ोसी देशों की एचडीआई प्रवृत्ति

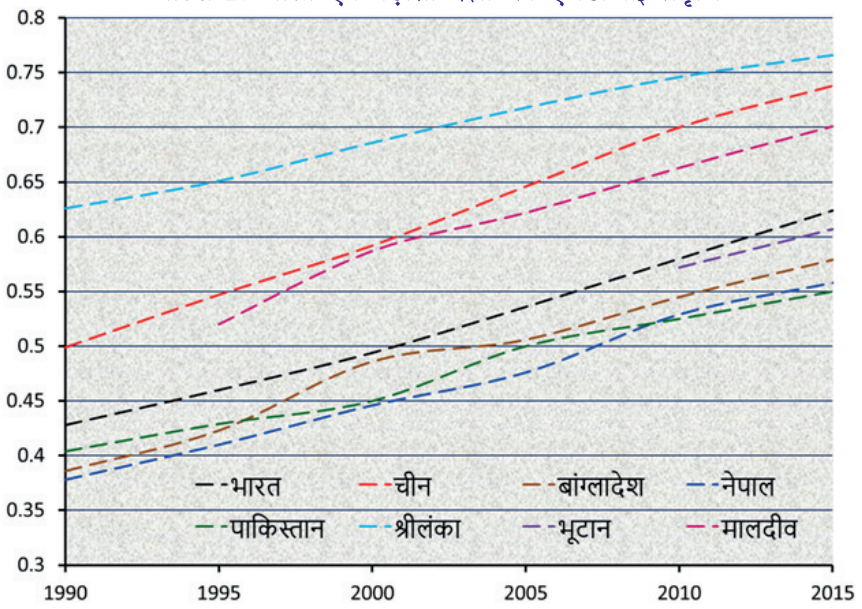

स्रोत: डाटा, मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी (http://hdr.undp.org/en/data)

तालिका 5 : भारत एवं पड़ोसी देशों की एच.डी.आई. सारणी

मानव विकास सूचक	वर्ष	भारत	पाकिस्तान	बांग्लादेश	नेपाल	श्रीलंका	चीन
एच.डी.आई स्कोर	1990	0.428	0.404	0.386	0.378	0.626	0.499
	2015	0.624	0.55	0.579	0.558	0.766	0.738
प्रति व्यक्ति आय (2011)	1990	1751	3193.3	1285.9	1168.4	3639.5	1486.6
	2015	5663	5031.2	3341.5	2337.1	10788.9	13345.5
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष में)	1990	57.9	60.1	58.4	54.3	69.5	69
	2015	68.3	66.4	72	70	75	76
नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)	1990	88.3	106.1	99.7	97.7	18.1	42.1
	2015	37.9	65.8	30.7	29.4	8.4	9.2
शिशु (1-5 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति हजार)	1990	125.8	138.6	143.7	140.7	21	53.8
	2015	47.7	81.1	37.6	35.8	9.8	10.7
स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष	1990	7.6	4.6	5.7	7.5	11.3	8.8
	2015	11.7	8.1	10.2	12.2	14	13.5
स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष	1990	3.0	2.3	2.8	2	8.3	4.8
	2015	6.3	5.1	5.2	4.1	10.9	7.6

स्रोत: डाटा, मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी (http://hdr.undp.org/en/data)

वर्ष 2010 से ही लैंगिक विकास और असमानता को दर्शाने के लिए मानव विकास रिपोर्ट में लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई) और लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) भी जोड़ा गया। वर्ष 2015 में भारत को जीआईआई में 159 देशों में 125वां स्थान मिला। लैंगिक विकास एवं समानता के मामले में बांग्लादेश (रैंक 119) का प्रदर्शन भारत और पाकिस्तान (रैंक 130) दोनों से बेहतर रहा है। हालांकि वर्ष 2014 की तुलना में भारत की जीआईआई रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार हुआ है। वहीं इस दौरान मातृ-मृत्यु दर में कमी आयी है और श्रम-बल में महिलाओं की भागीदारी में सामान्य बढ़ोतरी हुई है। जीआईआई की गणना तीन आधारों- जनन स्वास्थ्य, सशक्तीकारण और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर किया जाता है।

आज भारत मानव विकास के जिस पायदान पर खड़ा है, श्रीलंका 20 साल पूर्व वह हासिल कर चुका था। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारतीयों की प्रति-व्यक्ति आय श्रीलंका से आधी है, तो वहीं जीवन प्रत्याशा भी 7 साल कम। चीन ने मानव विकास के सभी पहलुओं पर भारत की तुलना में काफी तेजी से प्रगति की है। जबकि 25 साल पहले चीन की प्रतिव्यक्ति औसत आय भारत से कम थी जो आज भारतीयों से ढाई गुणी है। बांग्लादेश ने भी कुछ क्षेत्रों में बेहतर तरक्की की है। स्त्री शिक्षा, शिशु एवं मातृ-मृत्यु दर नियंत्रण आदि के मामले में हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में दक्षिण एशिया सर्वाधिक पिछड़े और असमानता वाले क्षेत्रों में से एक है। और भारत इसका अहम हिस्सा है। समय की मांग है कि अब हम विशुद्ध आर्थिक विकास के साथ-साथ मानव विकास और सतत विकास पर भी समान रूप से ध्यान दें। ❑

सन्दर्भ

- मानव विकास रिपोर्ट, 2014, 2015 और 2016
- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17
- प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- संयुक्त राष्ट्रसंघ और विश्व बैंक का आंकड़ा विभाग

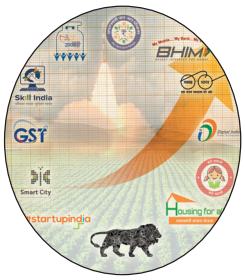

वंचित वर्गों के लिए खुला पिटारा

आशीष कुमार 'अंशु'

देश में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के लिए अच्छी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, कमी है उसके सही क्रियान्वयन की और मजबूत इच्छाशक्ति की। नई सरकार के कामकाज को देखकर उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि आने वाले समय में योजनाएं सिर्फ कागजों पर आकार नहीं लेंगी बल्कि उसका प्रतिफल जमीन पर भी नजर आएगा और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के जीवन पर भी

गत वर्ष अप्रैल महीने में *स्टैंड अप इंडिया* अभियान का उद्घाटन करते हुए नोएडा की एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह प्रधानमंत्री ने कहा था: ''दलित एवं जनजातीय भाइयों और बहनों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। उनके जीवन में समद्धि होगी और वे विकास करेंगे।''

उसी मंच से प्रधानमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि आसान शर्तों पर दलित और जनजातीय वर्ग से आने वालों को व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराएं। गत वर्ष डॉ. भीम राव अंबेडकर की जयंती 125वीं थी, इसे केंद्र सरकार ने देशभर में दलित-जनजातीय और वंचित समाज से आने वाले लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का साल बनाने का निर्णय लिया। इस मद में *स्टैंड अप इंडिया* कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। केंद्र की सरकार दलित और जनजातीय समाज को व्यवसाय के क्षेत्र में इस मंशा के साथ प्रोत्साहित करना चाहती है क्योंकि आने वाले समय में इस समाज से आने वाले लोग नौकरी देने वालों में शामिल रहें। मांगने वालों में नहीं।

बात बजट की की जाए तो इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिप्रेक्ष्य में देखने पर तो यहां अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (एसटीएसपी) में बड़े परिवर्तन का पता चलता है। जिसमें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए धन का आवंटन 10 ए के अंतर्गत एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए धन का आवंटन 10 बी में रखा गया है। यह कदम मुख्यमंत्रियों की समिति के सुझाव पर उठाया गया। यह समिति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के लिए तैयार की गई थी। वित्त मंत्रालय ने सभी सम्बद्ध मंत्रालयों को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय योजनाओं में धन का आवंटन करते समय *जाधव गाइडलाइन* का पालन किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों के लिए चल रही योजनाओं की संख्या 294 से घटाकर 256 कर दी गई हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए चल रही योजनाएं 307 से घटकर 261 हो गई है। अनुसूचित जातियों के लिए 11 नई योजनाएं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 08 नई योजनाएं वित्त वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई।

वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जातियों के लिए 52,393 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और अनुसूचित जनजातियों के लिए 31,920 करोड़ रुपए का। आवंटित राशि कुल बजट का ढाई प्रतिशत है। *जाधव गाइडलाइन* के अनुसार इसे सवाचार प्रतिशत के बराबर होना चाहिए था। यह महत्वपूर्ण है कि एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों से आने वाली महिलाओं को तीन स्तरों पर चुनौती का समाना एक साथ करना पड़ता है। पहला जाति/जनजातीय के स्तर पर, दूसरा वर्ग और तीसरा लिंग संबंधी भेदभाव। इसलिए संसाधनों का वितरण करते समय सरकार को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ग विशेष की महिलाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे मिलेगा? यह सिर्फ बजट में उनके नाम से धन आवंटित करने मात्र से कभी संभव नहीं होगा। साथ ही साथ

लेखक इंडिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टडीज से सम्बद्ध हैं। जनजातियों, वंचित वर्गों, ग्रामीण विकास आदि विषयों पर प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में अनवरत लेखन करते रहे हैं। इन विषयों पर अध्ययन, लेखन का लगभग एक दशक का अनुभव। ईमेल: ashishkumaranshu@gmail.com

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आवंटित धन का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजातिय समाज की महिलाओं को हासिल हुआ या नहीं? वैसे इस बार बजट में अनुसूचित जाति व जनजातिय महिलाओं के लिए धन का जो आवंटन हुआ है, उसका हिसाब जब किया गया तो परिणाम चौंकाने वाला था। यह हिस्सेदारी जेंडर बजटिंग के अनुसार महज 0.99 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति योजनाओं में महिलाओं के लिए 1.19 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातिय योजनाओं में 1.68 प्रतिशत।

वैसे स्थिति इतनी अधिक निराशाजनक नहीं है। केंद्र सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ वंचित समाज के लोग कर सकते हैं। मसलन विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) में प्रावधान है। इसके अंतर्गत पारिवारिक आय का स्रोत तैयार करने के लिए खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु पालन, लघु सिंचाई कार्यक्रम, मिट्टी का संरक्षण, जंगल, सहकारिता, शिक्षा, छोटे उद्योग जैसे कम संसाधन वाले कार्यक्रमों अथवा प्रयासों में जनजातिय विकास के लिए केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। जनजातीय विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो और उनके लिए आवासीय विद्यालय तैयार किए जाएं, इस उददेश्य पर भी संविधान के 275 (1) में अनुदान का प्रावधान है।

आदिम जनजातीय समूह (प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप) वाले 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 जनजातीय समूह की साक्षरता दर कम है। स्थिर आबादी के आधार पर इन समूह पहचान की गई। पीजीटी के नाम से इन सभी जनजातीय समूहों के विकास की योजना बनी। इसमें जनजातीय समूह का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशु-पालन, सामाजिक सुरक्षा, जीवन बीमा, जैसे कारकों को शामिल किया गया। यह योजना 1998-99 में प्रारंभ हुई। ग्यारहवे पंचवर्षीय योजना में 2007-08 में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर पीजीटी के लिए एक नई योजना संरक्षण एवं विकास (सीसीडी) योजना प्रारंभ की गई। सीसीडी के अंतर्गत आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए राज्य की सरकारों और एनजीओ के बीच समन्वय का काम महत्वपूर्ण रखा गया।

जनजातीय समाज के विकास की निगरानी और योजना के स्तर पर हो रही कमियों पर ध्यान रखने के लिए देशभर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का संजाल खड़ा किया गया। देश में एक दर्जन से अधिक जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं। यह संस्थान जनजातीय समाज के संबंध विभिन्न तरह के अध्ययन करता है, उनके बीच समय समय पर विभिन्न विषयों पर जागरुकता अभियान अथवा सेमिनार, परिचर्चा भी करता है। कई संस्थानों के पास अपना जनजातीय संग्रहालय भी है। इन संग्राहलयों में जनजातीय कला की प्रदर्शनी होती है।

जनजातीय समाज के विकास की निगरानी और योजना के स्तर पर हो रही कमियों पर ध्यान रखने के लिए देशभर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का संजाल खड़ा किया गया। देश में एक दर्जन से अधिक जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना से जनजातीय लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिए छात्रावास योजना प्रारंभ की गई। इस छात्रावास के निर्माण के लिए पचास फीसदी राशि केंद्र की तरफ से राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है और केंद्र शासित प्रदेश में यह राशि सौ प्रतिशत केंद्र की तरफ से दी जाती है। जनजातीय समाज से आने वाले लड़के और लड़कियों के लिए देशभर में बने छात्रावासों की वजह से उनकी शिक्षा में काफी सुधार आया है। वर्तमान सरकार में अनुसूचित जाति से आने वाले छात्राओं के लिए इसी तरह की एक नई योजना प्रधानमंत्री विद्या शक्ति योजना तैयार की गई है। जिसमें अनुसूचित जातियों से आने वाली लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत छठी से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। इसका लक्ष्य लड़कियों की बीच में पढ़ाई छूटने की दर को कम करना है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस छात्रावास में 70 फीसदी आवास अनुसूचित जाति से आने वाली छात्राओं के लिए आरक्षित रहेगा। बची हुई सीट पर अन्य छात्राएं आवेदन कर सकती हैं।

पिछले साल 18 अक्तूबर को अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के मेहनती कामगारों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री ने लुधियाना में एससी-एसटी हब की शुरुआत की। इसी मौके पर एक योजना जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट भी प्रारंभ की गई। इस योजना के लिए प्रारंभ में लगभग पांच सौ करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। यह योजना अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समुदाय की पहुंच बाजार तक बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई। यह योजना वित्तीय सहायता से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ एससी/एसटी समुदाय को अधिक से अधिक मिले। समय पर उन तक सूचना पहुंचे इसके लिए काम करेगा। अच्छी तकनीक और पद्धतियों को आपस में साझा करने में एससी/एसटी समुदाय से आने वाले कारोबारियों की मदद करेगा। सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के अंतर्गत मंत्रालयों एवं विभागों को अपनी कुल खरीद का 04 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज से आने वाले उद्यमियों से खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है।

जीरो इफेक्ट-जीरो डिफेक्ट योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस उदबोधन में ही कर दी थी। इस योजना के अंतर्गत गुणवत्ता पर एससी/एसटी समाज से आने वाले कारीगर विशेष ध्यान देंगे और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखा जाएगा।

देश में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के लिए अच्छी योजनाओं की कोई कमी नहीं है, कमी है उसके सही क्रियान्वयन की और मजबूत इच्छाशक्ति की। नई सरकार के कामकाज को देखकर उससे यह अपेक्षा की जा सकती है कि आने वाले समय में योजनाएं सिर्फ कागजों पर आकार नहीं लेंगी बल्कि उसका प्रतिफल जमीन पर भी नजर आएगा और अनुसूचित जाति एवं जनजातीय समाज के जीवन पर भी। ❑

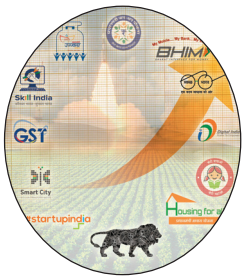

भारत सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं

रिज़वान रजा
वर्षा तिवारी

वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के निधि आवंटन को बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों व अन्य योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने का काम भी किया है। महिला सशक्तीकरण पर सरकार का प्रमुख जोर है। नया सवेरा नयी मंजिल, नयी उड़ान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से सरकार अल्पसंख्यकों में नया विश्वास पैदा कर उनके सशक्तीकरण पर विशेष जोर दे रही है। वहीं उनके हुनर और मेधा की पहचान व हौंसला अफजाही के लिए हुनर हॉट मेधा सह साधन और उस्ताद जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है

अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास के लिए वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। इसके तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार की ओर से कई सारी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने *स्किल इंडिया मिशन* और *मेक इन इंडिया मिशन* के अनुरूप मंत्रालय में नौकरी से जुड़ी अपनी *सीखो और कमाओ* योजना का सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया है साथ ही पारंपरिक कलाओं-शिल्पों के संरक्षण के लिए *उस्ताद* और अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा को कौशल से जोड़ने के लिए *नयी मंजिल* नामक नयी योजनाएं भी कार्यान्वित की है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाने के साथ ही बहु-जातीय, बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषायी एवं बहु-धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए वातावरण निर्माण का कार्य कर रहा है। सरकार का मिशन सकारात्मक कार्रवाई और समावेशी विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है, ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुग्राह्य बनाना और उनका उत्थान सुनिश्चित करना है। इस दिशा में हम प्रमुख अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का बिंदुवार अध्ययन आगे करेंगे।

निधि आवंटन में बढ़ोतरी

अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों के रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक बजट में हर साल बढ़ोतरी कर रहा है। वर्ष 2014-15 में 96 संस्थाओं को 3000 लाख रुपये आवंटित किए गए, जो वर्ष 2013-14 में 1900 लाख रुपये थे। वर्ष 2015-16 में निधि में और बढ़ोतरी कर 4500 लाख रुपये कर दिए गए। अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार नयी योजनाओं के साथ ही निधि आवंटन में भी इजाफा कर रही है।

महिलाओं सशक्तीकरण पर जोर

अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए *नयी रोशनी* योजना के तहत तीन विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शुरु की गई *नयी रोशनी* योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 14 करोड़ 13 लाख रुपये जारी किए गए हैं इसका फायदा 31 जनवरी तक 69,150 महिलाओं को लाभ मिला है। वर्ष 2015-16 के दौरान योजना के लिए 14 करोड़ 81 लाख रुपये जारी किए गए थे और 58,725 महिलाओं का इसका लाभ मिला था। इसी तरह 2014-15 में 13 करोड़ 78 लाख रुपये जारी किए गए थे और 71,075 महिलाओं को इसके दायरे में लाया गया था।

अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए *बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय योजना* मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा

रिज़वान रजा सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा *बुक ओ सांसद* में प्रोग्राम एसोसिएट हैं। ईमेल: riz.nun@gmail.com
वर्षा तिवारी युवा पत्रकार हैं। दैनिक भास्कर (नागपुर) में संवाददाता रहने के अलावा बीसीएन न्यूज चैनल में एंकर रही है। सोसायटी फॉर एक्शन इन कम्यूनिटि हेल्थ में मार्केटिंग मैनजर भी रही है। वर्तमान में *बुक ओ सांसद* में प्रोग्राम कार्डिनेटर हैं। ईमेल: varsha.tiwari7@gmail.com

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

15-सूत्री कार्यक्रम के तहत अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचे, नए कार्यक्रमों में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गयी है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कही संभव हो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों एवं परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

- एकीकृत बालविकास योजनाओं की समुचित उपलब्धता
- विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना
- सर्व शिक्षा अभियान
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
- उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन
- मदरसा शिक्षा का आधुनिकीरण
- अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति
- मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
- मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना उन्नत करना
- गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन
- आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता
- राज्य व केंद्र सेवाओं में भर्ती
- ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी
- अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार
- सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम
- सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन
- सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुर्नवास

अमल में लायी जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2015-16 में 57 करोड़ 60 लाख रुपये जारी किए गए और 48,000 लड़कियों को इसका लाभ दिया गया जबकि 2014-15 में 54 करोड़ 51 हजार रुपये जारी किए गए थे और 45,426 लड़कियों को इसका लाभ मिला था।

महिला समूहों को उनकी दिलचस्पी के मुताबिक व्यवसाय का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से महिला समृद्धि योजना अमल में लायी गयी है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक प्रशिक्षु का कच्ची सामग्री लागत के लिए 1500 रुपये और 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

छात्रवृत्तियों में पारदर्शिता

छात्रवृत्ति योजनाओं की पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक साझा *राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल* का नया एवं नवीकृत संस्करण शुरू किया गया है। इस मंत्रालय की सभी तीनों छात्रवृत्ति योजनाएं *एनएसपी* 2.0 पोर्टल पर है। छात्रवृत्तियां *प्रत्यक्ष लाभ अंतरण* (डीबीटी) तरीके से विद्यार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। जहां आधार नंबर उपलब्ध है, उन्हें विद्यार्थियों के बैंक खाते से जोड़ा जा रहा है और ऐसे खातों में राशि अंतरित की जा रही है।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय 1 लाख रुपये से ऊपर नहीं है वे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। इस योजना के तहत नवीनीकरण के साथ ही प्रतिवर्ष 30 लाख नयी छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी है। इनमें 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पारदर्शी रूप से चयनित और अधिसूचित आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज सहित सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज में प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसे अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिन्होंने पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत नवीकरण के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 5 लाख नयी छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं। इनमें भी 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं है तो ये छात्रवृत्तियां पात्र अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना

मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर की व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति का 100 प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नयी छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं। 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं हैं तो ये छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं। इस योजना के तहत व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने की मान्यता यह है कि छात्र का उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यवसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को बिना प्रतियोगी परीक्षा दिए प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पसंख्यक मंत्रालय अल्पसंख्यकों के रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक बजट में हर साल बढ़ोतरी कर रहा है। वर्ष 2014-15 में 96 संस्थाओं को 3000 लाख रुपये आवंटित किए गए, जो वर्ष 2013-14 में 1900 लाख रुपये थे। वर्ष 2015-16 में निधि में और बढ़ोतरी कर 4500 लाख रुपये कर दिए गए। अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार नयी योजनाओं के साथ ही निधि आवंटन में भी इजाफा कर रही है।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य उच्चतर अध्ययनों (एमफिल/पीएचडी) के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों/विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में पांच वर्ष की अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है। इसके अतंर्गत यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं। अध्येतावृत्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों के माता-पिता/अभिभावक की आय की उच्चतम सीमा प्रतिवर्ष ढाई लाख रुपये है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरण के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 756 नयी छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं। इनमें 30 प्रतिशत अध्येतावृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

नया सवेरा : नि:शुल्क कोंचिग

नया सवेरा: नि:शुल्क कोंचिग एवं संबद्ध योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्याति प्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें। योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चुनिंदा प्रतिष्ठित कोंचिग में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका लाभ पाने के लिए लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नयी उड़ान

संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों की सहायता के लिए नयी उड़ान योजना 2013-14 में शुरू की गयी। इसके तहत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो सके। ग्रुप 'ए' तथा ग्रुप 'बी' (संघ लोक सेवा आयोग), राज्य लोक सेवा आयोगों तथा कर्मचारी चयन आयोग आदि के राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित पद की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों की कुल पारिवारिक आय साढ़े चार लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा इस वित्तीय सहायता का लाभ केवल एकबार ही लिया जा सकता है। एकबार लाभ लेने के बाद अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 800 अभ्यर्थियों को पात्रता मापदंड पूरा करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।

नयी मंजिल

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एकीकृत शिक्षा और आजीविका एक नयी पहल है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त, 2015 को पटना, बिहार से की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूली पढ़ाई पूरी करने का प्रमाणपत्र नहीं है, यानि जो स्कूल ड्रापआउट की श्रेणी में आते हैं या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान किए जा सकें और वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाश करने में सक्षम हो सकें और इस प्रकार उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थ बनाया जा सके। लगभग 70 हज़ार अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए 2016-17 के लिए 155 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

उस्ताद

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए परंपरागत कलाओं-शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) की घोषणा 2014-15 के बजट भाषण में की गई। इसकी औपचारिक रूप से पहल वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शुरु की गयी। इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों-कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना और पारंपरिक कौशलों का उन्नयन करना, अल्पसंख्यकों की चिह्नित परंपरागत कलाओं-शिल्पों का प्रलेखन करना, परंपरागत कौशलों के लिए मानक निर्धारित करना, मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न पहचानी गयी परंपरागत कलाओं-शिल्पों में प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार लिंकेज विकसित करना है। मंत्रालय ने डिजाइन में सहायता, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियां, बिक्री बढ़ाने के लिए ई-मार्केटिंग पोर्टलों के साथ टाई-अप करना और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न कलेस्टरों (समूहों) में काम करने के लिए भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) को नियोजित किया है। मंत्रालय ने शिल्पों के बाजार लिंकेज और ई-कॉमर्स में अल्पसंख्यक शिल्पकारों के प्रशिक्षण में सुविधा के लिए एक ई-कॉमर्स पोर्टल http://shopclues.com

छात्रवृत्ति योजनाओं की पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए एक साझा *राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल* का नया एवं नवीकृत संस्करण शुरू किया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा इस्तेमाल की जा रही परंपरागत शिल्पों/कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड नाम उस्ताद के अधीन *राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम* के माध्यम से 14 से 27 नवंबर 2016 तक भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में *हुनर हाट* प्रदर्शनी का आयोजन किया था, ताकि हुनरमंद लोगों को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

हुनर हाट : हुनर को हौसला

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा इस्तेमाल की जा रही परंपरागत शिल्पों/कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड नाम उस्ताद के अधीन *राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम* के माध्यम से 14 से 27 नवंबर 2016 तक भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में *हुनर हाट* प्रदर्शनी का आयोजन किया था, ताकि हुनरमंद लोगों को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। इसका विषय था *हुनर को हौसला*। इसमें 100 से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों और खानसामें सम्मिलित हुए थे। हुनरमंदों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के आयोजन सरकार हर साल करना चाह रही है।

पढ़ो परदेस

पढ़ो परदेस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को केवल एक बार या तो स्नातकोत्तर या पीएचडी स्तर पर ही उपलब्ध है। इसके लिए छात्र ने विदेश में स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पीएचडी स्तर पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होना चाहिए। पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नयी रोशनी : आर्थिक सशक्तीकरण

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास के लिए नयी रोशनी योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने के लिए जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तीकरण करना और उनमें विश्वास जगाना है। इसके तहत संविधान और अन्य विधि के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा संबंधी रोजगार, आजीविका पर विशेष बल देता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल, सामाजिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन के लिए पक्ष समर्थन आदि से संबंधित सुविधाएं अवसर और सेवाएं उपलब्ध हैं।

पारसी जनसंख्या प्रोत्साहन योजना जियो पारसी

भारत में पारसियों की जनसंख्या 1941 में एक लाख चौदह हजार थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार कम होकर 57,264 रह गई है। जनसंख्या में कमी के महत्वपूर्ण कारणों में से कुछ कारण देर से विवाह करना और विवाह नहीं करना, प्रजनन क्षमता में कमी, उत्प्रवास, बाय-विवाह और संबंध विच्छेद/तलाक है। पारसी समुदाय की जनसंख्या के गिरते रूझान को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग थी, इसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 2013 को भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने के लिए महत्वपूर्ण योजना 'जियो पारसी' आरंभ की गयी। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेप अपनाकर पारसी आबादी का गिरता रूख उलटना और उनकी जनसंख्या को बनाए रखना और भारत में पारसियों की जनसंख्या बढ़ाना है। वर्ष 2016-17 के दौरान *जियो पारसी* योजना के अधीन चिकित्सा सहायता एवं पक्ष समर्थन तथा आउटरीच कार्यक्रम के लिए अलग से बजट रखा गया है। इस योजना की शुरूआत से चिकित्सा सहायता और आउटरीच एवं पक्ष समर्थन संघटक के अंतर्गत सहायता से कालाभ अब तक 77 शिशुओं को मिला है।

सीखो और कमाओ

सीखो और कमाओ योजना विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक व्यवसायों में अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक रूझान एवं बाजार की क्षमता के आधार पर अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल का उन्नयन कर रही है, जिससे उन्हें उचित रोजगार मिल सके या वे स्व-रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सके। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित माड्यूलर रोजगारपरक कौशलों (एमईएस) पर कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए जा रहे पारंपरिक कौशलों का भी विकास किए जाने पर जोर है और उसे बाजार से जोड़ा जाना है। यह योजना न्यूनतम 75 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिसमें से 50 प्रतिशत प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना है। *सीखो और कमाओ* योजना के तहत सरकार ने एक कौशल विकास पहल के रूप में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है।

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना

बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया था। यह अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में वर्ष 2008-09 में शुरू की गयी केंद्र

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 2013 को भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने के लिए महत्वपूर्ण योजना 'जियो पारसी' आरंभ की गयी। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेप अपनाकर पारसी आबादी का गिरता रूख उलटना और उनकी जनसंख्या को बनाए रखना और भारत में पारसियों की जनसंख्या बढ़ाना है।

प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इसके तहत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक आर्थिक अवसंचरना के सृजन एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सियों के माध्यम से करता है। ग्रामीण क्षेत्र में 81,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में एक लाख तीन हजार रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पात्र लाभार्थियों को स्व-रोजगार क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराता है। इसी के तहत एक विशेष पहल के रूप में सितंबर 2014 से 6 लाख रुपये तक की नयी वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता सीमा की शुरुआत की गयी है। राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सियां लाभार्थियों की पहचान, ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती है।

नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

अल्पसंख्यकों की शिकायत के निपटारे के लिए सरकार ने ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करायी है। इसके तहत नागरिक अल्पसंख्यक विभाग की वेबसाइट http://minorityaffairs.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हज प्रभाग

हज समिति अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संचालन सहित हज यात्रा के प्रबंधन से संबंधित कार्य 1 अक्तूबर, 2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। तदनुसार, हज मामलों की देख-रेख में मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) की अध्यक्षता में एक पृथक प्रभाग स्थापित किया गया है। हज प्रभाग में कार्मिकों की संख्या पूरी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर 24 पद भी अनुमोदित किए गए हैं। हज भारत सरकार द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर संचालित किया जाने वाला सबसे बड़ा क्रियाकलाप है। यद्यपि यह केवल पांच दिवसीय धार्मिक समागम होता है, वास्तव में यह एक वर्ष का लंबा प्रबंधकीय अभ्यास है। भारतीय हज यात्री हज करने वाले तीसरा विशालतम राष्ट्र समूह है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएइएफ) गैर-लाभकारी शिक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गयी। इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेषत: शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों को और सामान्यत: कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है। इसकी आय का मुख्य स्रोत एमएईएफ की निवेश की गयी समग्र निधि पर अर्जित ब्याज है। एमएईएफ ने भारत सरकार से संचित निधि के रूप में वर्ष 2016-17 तक कुल 1249 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जिन्हें बैंकों में सावधि जमा के रूप में रखा गया है और इससे मिलने वाले ब्याज का उपयोग एमएईएफ की शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है।

अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए *नयी रोशनी* योजना के तहत तीन विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए शुरु की गई *नयी रोशनी* योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 14 करोड़ 13 लाख रुपये जारी किए गए हैं इसका फायदा 31 जनवरी तक 69,150 महिलाओं को लाभ मिला है। वर्ष 2015-16 के दौरान योजना के लिए 14 करोड़ 81 लाख रुपये जारी किए गए थे और 58,725 महिलाओं का इसका लाभ मिला था।

ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध

सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के तहत अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सभी संगत सूचना जिसमें मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे, अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेज आदि की जानकारी आम जनता के लिए वेबसाइट http://www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। साथ ही मंत्रालय की योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। जनता तक सीधे पहुंचने और सरकारी योजनाओं की जागरुकता फैलाने के लिए जनता से सुझाव भी मंगाए जा रहे हैं।

हमारी धरोहर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध संस्कृति और विरासत का संरक्षण करने के लिए *हमारी धरोहर नामक नयी योजना शुरू करना* चाह रहा है। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के साहित्यों, दस्तावेजों, कैलिग्राफी, पांडुलिपि, मौखिक कला, विधाओं आदि का संरक्षण किया जाना है। साथ ही इसमें अनुसंधान को बढ़ावा देकर इनका विकास करना भी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इस क्षेत्र के राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय ज्ञान भागीदारों की सहायता से संस्कृति मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा करके इस योजना को क्रियान्वित करेगा।

राज्य वक्फ बोर्ड का कंप्यूटरीकरण

बिखरी और बेनामी वक्फ संपत्तियों का पता लगाकर उनका उपयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण योजनाओं में करने के लिए सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कर दिया है। इसके जरिए वक्फ संपत्तियों का रख-रखाव, उनका विकास संभव है। साथ ही इसके माध्यम से वक्फ कार्यप्रणाली/प्रक्रियाओं का भी पता आसानी से लगाया जा सकता है। कंप्यूटीकरण के माध्यम से परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंधन, वाद निस्तारण प्रबंधन, प्रलेख आदान-प्रदान प्रबंधन, परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधित प्रबंधन, शहरी वक्फ संपत्तियों के लिए ऋण प्रबंधन आदि इसके माध्यम से संभव है। ❑

संदर्भ

- http://newsloose.com / 2016/07/06 modi.government.allocates.funds.minorities/
- http://minorityaffairs.gov.in/reports/annual.reports
- http://hindi.webdunia.com/national.hindi.news/mukhtar.abbas.naqvi.117031600060_1.html

Mc Graw Hill Education

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका

UPSC सिविल सेवा परीक्षा

की तैयारी के लिए आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

शीघ्र प्रकाशित

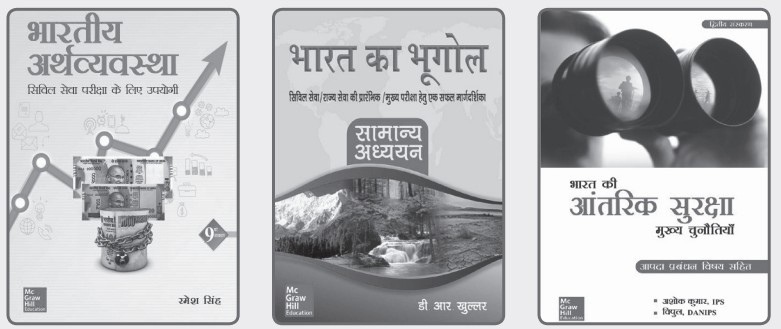

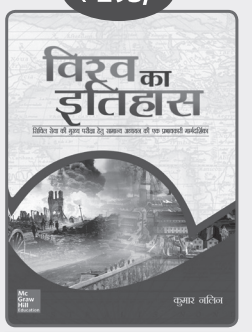

Prices are subject to change without prior notice.

मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-4, सैक्टर 63, जनपद गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201 301

SHIPPING FREE Above ₹ 500/-

टोल फ्री नं०: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें@ /McGrawHillEducationIN /MHEducationIN /company/mcgraw-hill-education-india /McGrawHillEducationIndia

क्या आप जानते हैं?

ई-संपर्क

'ई-संपर्क' मेलर, आउटबाउंड डायलिंग और एसएमएस अभियान के संचालन के जरिये सरकार का नागरिकों से सीधे जुड़ने का एक तंत्र है। भारत सरकार ने ई-संपर्क पोर्टल को मई 2016 में शुरू किया था। यह लोगों तक संदेश भेजने और लोगों से संदेश प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल नागरिकों के साथ सरकारी संचार को बेहतर करने के लिए कार्य करता है। अब तक 404 अभियान आयोजित किए जा चुके हैं और ई-संपर्क के माध्यम से 230 करोड़ से अधिक ई-मेल भी भेजे गए हैं। ई-संपर्क की अवधारणा अभियान के डिजिटलीकरण द्वारा सक्रिय संचार स्थापित करने के लिए पेश किया गया है। यह बहुआयामी मंच सरकार और नागरिकों के बीच, केवल सहज संचार की सुविधा ही नहीं देता है, बल्कि नोडल अधिकारी, प्रतिनिधियों और नागरिकों के संपर्क के बारे में एक डेटाबेस भी रखता है। इसके अलावा, उपयोगकर्ता आयोजित पिछले अभियानों को भी देख सकते हैं। ई-संपर्क डिजिटल इंडिया के सार का प्रतीक है। यह सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के बारे में नागरिकों से संवाद करने के लिए सक्षम बनाता है। हालिया अभियान जोखिम प्रबंधन के माध्यम से देश में बदलाव और नागरिकों को सप्ताह में एक दिन के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों से बचने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। यह, रेडियो पर लोकप्रिय कार्यक्रम *मन की बात* में प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी यहां उपलब्ध करता है।

ई-संपर्क पोर्टल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों को अनुकूलित उपयोगकर्ता सूचियों के माध्यम से सूचनापरक और सार्वजनिक सेवा संदेशों (डाक ई-मेल), एसएमएस और आउटबाउंड डायलिंग के रूप में संदेश भेजने का प्रावधान।
- इसी प्रकार से, एप्लिकेशन का उपयोग करके एक अनुकूलित उपयोगकर्ता-आधार को एसएमएस भेजा जा सकता है।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के विस्तृत डेटाबेस समय-समय पर अद्यतन होते हैं।
- डेटाबेस को या तो व्यक्तिगत रूप से या थोक अपलोड के माध्यम से अद्यतन करने का प्रावधान।
- एक डैशबोर्ड का प्रावधान जो नोडल अधिकारी को अभियान के विश्लेषण संबंधी जैसे भेजे गए मेल्स और एसएमएस, प्रदर्शित प्रतिशत, भेजे जाने का प्रतिशत, यूआरएल क्लिक आदि दर्शाते हैं।
- व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए 'ई-संपर्क' डेटाबेस की सदस्यता लेने का प्रावधान। एक सूची की सदस्यता लेकर उपयोगकर्ता सरकार से मेल और एसएमएस प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता है।
- उपयोगकर्ता किसी भी समय सूची से सदस्यता समाप्त कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति इस ई-संपर्क के माध्यम से निम्नलिखित लाभ सुनिश्चित कर सकता है:

- सरकारी अधिकारियों (केंद्र और राज्य सरकारों दोनों) को सरकारी जानकारी भेजने के लिए विस्तृत संरचित डेटाबेस।
- मौजूदा नीतियों या प्रस्तावित नीतियों के बारे में सूचना, चेतावनी, सरकार के निर्णय और शुरू की जाने वाली नई योजनाओं को अनुकूलित उपयोगकर्ता आधार के साथ साझा किया जा सकता है। इससे संचार की दक्षता में सुधार होगा।
- राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित और सरकार के अपडेट पर नागरिकों के बीच जागरुकता में वृद्धि के लिए तत्काल अलर्ट को साझा करना ताकि वे योजनाओं और कार्यक्रमों का समय-समय पर लाभ ले सकें। ❑

योजना
आगामी अंक

जून 2017

भारतीय युवा: एक उदीयमान शक्ति

आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है।

IAS/PCS
2017-18

ICS

www.
icsias.com

- ✓ क्लासरूम प्रोग्राम
- ✓ व्यक्तिगत मार्गदर्शन
- ✓ प्रतिदिन समाचार पत्र विश्लेषण
- ✓ ऑनलाईन सपोर्ट
- ✓ करेंट अफेयर्स क्लासेज़
- ✓ अपडेटेड स्टडी मैटेरियल
- ✓ UPSC/PCS कार्यक्रम
- ✓ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच-2017-18

10th MAY
6:30 PM

GENERAL STUDIES

OPTIONAL SUBJECTS

INTERVIEW GUIDANCE

PT TEST SERIES

MAINS TEST SERIES

CSAT
ESSAY

HEAD OFFICE: 625, 1st Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
PH.: 011-45094922 Mob.: 8750908822/55/77

डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की शुरुआत

नागपुर में बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल, 2017 को डिजिटल भुगतान के लिए बड़े पैमाने पर पहलों की एक शृंखला शुरू करते हुए व्यापारियों के लिए भीम आधार प्लेटफॉर्म, भीम एप उपयोगकर्ताओं के लिए कैशबैक और रेफरल बोनस योजनाओं की शुरुआत की।

भीम एप का कारोबारी इंटरफेस 'भीम-आधार' आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल भुगतान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कोई भी भारतीय नागरिक अपने बायोमीट्रिक डाटा का उपयोग करके डिजिटल रूप से भुगतान कर सकता है, जैसे कि व्यापारियों के बायोमेट्रिक सक्षम डिवाइस पर अपने अंगूठे की छाप देकर, जो कि बॉयोमीट्रिक रीडर की सुविधा से युक्त एक स्मार्टफोन भी हो सकता है। स्मार्ट फोन, इंटरनेट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड तक पहुंच से वंचित कोई भी नागरिक भीम आधार प्लेटफार्म के जरिये डिजिटल रूप से लेनदेन करने में सक्षम होगा। पहले से ही, 27 प्रमुख बैंक 7.15 लाख व्यापारियों के साथ इस बोर्ड में शामिल हैं ताकि वे भीम आधार से भुगतान स्वीकार करना शुरू कर सकें।

भीम के लिए अन्य दो नई प्रोत्साहन योजनाओं में कैशबैक और रेफरल बोनस शामिल हैं जिसके लिए छह महीने की अवधि के लिए 495 करोड़ का परिव्यय निर्धारित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल भुगतान की संस्कृति जमीनी स्तर तक पहुंचे। रेफरल बोनस योजना के अंतर्गत भीम का मौजूदा उपयोगकर्ता जो नए उपयोगकर्ता को इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भीम को अपनाने वाले नए उपयोगकर्ता दोनों को सीधे उनके खाते में नकद बोनस जमा किया जाएगा। कैशबैक योजना के अंतर्गत व्यापारियों को भीम के माध्यम से हर लेनदेन पर उन्हें एक कैशबैक मिलेगा। दोनों योजनाएं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटी) द्वारा संचालित की जाती हैं और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा लागू की जाती हैं।

भारत में डिजिटल भुगतान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए नीती आयोग के नेतृत्व में शुरुआती दो प्रोत्साहन योजनाएं- लकी ग्राहक योजना और डीजीधन व्यापार योजना के लिए 100 दिन की जानकारी, शिक्षा और संचार का एक सशक्त अभियान चलाने के बाद इन्हें रोक दिया गया। इस योजना के तहत् देश के विभिन्न कोनों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ग्राहकों और व्यापारियों सहित 16 लाख विजेताओं के बीच 258 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाले दोनों प्रमुख प्रोत्साहन योजनाओं- लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना के मेगा ड्रा के विजेताओं का अभिनंदन किया।

देशभर के 100 शहरों में नीति आयोग के नेतृत्व में 100 दिनों के डीजीधन मेला का डिजिटल भुगतान पद्धतियों के उपयोग में वृद्धि पर भारी प्रभाव पड़ा। 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम इन 100 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 15,000 संस्थान कैशलेस हो चुके हैं। शहरों, छोटे शहरों और गांवों से मेले में शामिल हुए 15 लाख से अधिक लोगों में से लाखों लोगों को बैंक खाते खोलने के साथ-साथ आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया गया है।

भीम एप ने दिसंबर 2016 में लॉन्च होने के बाद से सिर्फ चार महीनों में ही 1.9 करोड़ डाउनलोड दर्ज करके एक नया विश्व रिकार्ड बनाया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कई उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करते हुए लेनदेन की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। नवंबर 2016 तक कुल 1.1 करोड़ रुपये मूल्य की सभी डिजिटल लेन-देन की संख्या 2,80,000 थी। सिर्फ चार महीनों में ही, इस साल मार्च तक, विभिन्न डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग कर भुगतान करने की संख्या 23 गुना बढ़कर कुल 2,425 करोड़ रुपये मूल्य के 63,80,000 डिजिटल लेनदेन पर पहुंच गई। आधार सक्षम भुगतान नवंबर 2016 में 2.5 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 में 5 करोड़ पर पहुंच गया है। इसी अवधि में तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन भी 3.6 करोड़ से बढ़ाकर 6.7 करोड़ हो गई है।

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 2500 करोड़ रुपये के डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, प्रधानमंत्री भी भारत देशभर में लगभग 75 बस्तियों को 'कम नकदी वाले बस्ती' के रूप में घोषित करेंगे। कम नकदी वाला बस्ती वह होता है जहां भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती पूरी हो चुकी हो, बस्ती के सभी परिवारों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया हो। लॉन्च के लिए चुने जाने वाले बस्ती को स्वतंत्र रूप तीसरे पक्ष के रूप में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के मूल्यांकन के अधीन किया गया है और केवल उन बस्तियों को जिनकी समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि वहां कुल लेनदेन का 80 प्रतिशत से अधिक भुगतान डिजिटल तरीके से हुआ है, को इस सूची में जगह मिली है। इन बस्तियों में प्रतिदिन 1.5 लाख डिजिटल लेनदेन होने की संभावना है, जिसके आधार पर एक साल में लगभग 5.5 करोड़ डिजिटल लेनदेन हो सकते हैं। ❑

पुस्तक परिचय

रोमां रोलां एंड गांधी कॉरेपोंडेंस

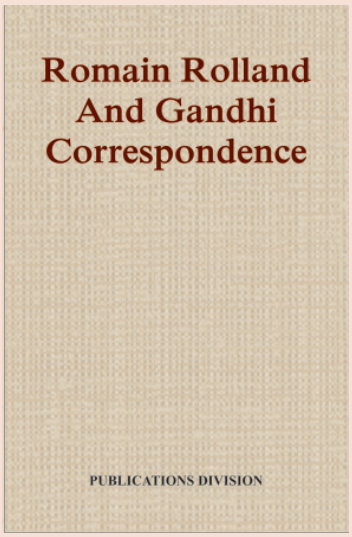

यह पुस्तक रोमां रोलां के महात्मा गांधी को लिखे पत्रों व उनके बारे में लिखे गए डायरी के अंशों, लेखों आदि समेत अन्य लेखों का संकलन है। सभी महत्वपूर्ण तत्वों सहित संवर्द्धित अक्षरों के साथ यह 1976 के संस्करण से तैयार किया गया है।

यह उत्कृष्ट प्रकाशन पिछली सदी के दो महान व्यक्तित्वों महात्मा गांधी व नोबेल विजेता रोमां रोलां के मस्तिष्कों की झलक देता है और उनके संबंधों को भी बताता है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्रों के जरिए गांधी जी व फ्रांसीसी लेखक रोमां रोलां के बीच हुए बौद्धिक विमर्श से गांधीवादी विचारधारा के पश्चिमी जगत में प्रचार में मदद मिली। ❑

गांधी इन चंपारण

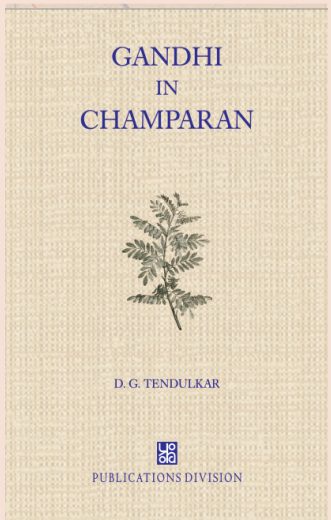

चंपारण संघर्ष भारत की स्वतंत्रता की अहिंसात्मक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। डॉ. डी.जी.तेंदुलकर की यह किताब हमें उस संघर्ष के शुरुआती चरण के करीब ले जाती है। दृश्य उत्तरी बिहार के चंपारण जिले का है और अवसर था, नील की खेती करने वालों, जिन्हें अंग्रेजों से प्राय: सहयोग प्राप्त था, द्वारा सामान्य किसानों के शोषण व दुखों को सत्यवादिता व अहिंसात्मक तरीके से समाप्त करने का गांधीजी का पहला प्रयास।

पुस्तक का पहला संस्करण 1957 में प्रकाशित हुआ था। चंपारण संघर्ष के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में इस संग्रहणीय धरोहर का नया संस्करण प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से तैयार किया है। ❑

स्वच्छ रसोई ईंधन की ओर

प्रधानमंत्री ने 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* शुरू की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्हें स्वच्छ रसोई ईंधन–एलपीजी प्रदान करना है ताकि उन्हें धुएं से भरी रसोई में खाना पकाने को लेकर अपने स्वास्थ्य में समझौता नहीं करना पड़े और असुरक्षित क्षेत्रों में जलावन इकट्टा करने के लिए भटकना न पड़े। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को तीन साल के भीतर 1600 रुपये प्रति कनेक्शन के समर्थन के साथ 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने थे। विशेषकर ग्रामीण भारत में, महिला सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए घरों की महिलाओं के नाम पर कनेक्शन जारी किए जाते हैं। योजना को लागू करने के लिए 8000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक/आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों के माध्यम से की गयी थी। सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के माध्यम से चिह्नित बीपीएल परिवारों की एक वयस्क महिला सदस्य को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसके लिए भारत सरकार 1600 रुपये प्रति कनेक्शन की सहायता देती है।

पीएमयूवाई के अनुमान के मुताबिक इस योजना के परिणामस्वरूप 3 वर्षों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त रोजगार और भारतीय उद्योगों के लिए कम से कम 10,000 करोड़ रुपये के व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। इस योजना का शुभारंभ होने से *मेक इन इंडिया* अभियान को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इससे जुड़े सिलेंडर, गैस स्टोव, रेगुलेटर, और गैस नली के सभी निर्माता स्थानीय हैं। 14 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एलपीजी कवरेज का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है। पहाड़ी राज्यों जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना को लागू करने के लिए प्राथमिकता वाले राज्यों के रूप में पहचाना गया है।

अधिकतम कनेक्शन वाले पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश (46 लाख), पश्चिम बंगाल (19 लाख), बिहार (19 लाख), मध्य प्रदेश (17 लाख) और राजस्थान (14 लाख) हैं। इन राज्यों में जारी किए कुल कनेक्शन का करीब 75 प्रतिशत हिस्सा वितरित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत कनेक्शन जारी हुए हैं। भारत में 24 करोड़ से अधिक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 10 करोड़ परिवार अभी भी रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी के उपयोग से वंचित हैं और उन्हें खाना पकाने के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी, कोयले, गोबर के कंडे आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। ❑

चंपारण सत्याग्रह शताब्दी महोत्सव

गांधी इन चंपारण तथा दो अन्य पुस्तकों का विमोचन

चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने गांधीवादी विचारों और साहित्य पर आधारित प्रकाशन विभाग के तीन धरोहर प्रकाशनों के नवीनतम संस्करणों का विमोचन किया। 'गांधी इन चंपारण', 'रोमां रोलां एंड गांधी कॉरेस्पोंडेंस' और 8 खंडों की शृंखला 'महात्मा' का विमोचन मंत्री महोदय द्वारा गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के लिए बिहार आगमन के ठीक 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 10 अप्रैल को किया गया।

प्रकाशन विभाग द्वारा 1960 और 70 के दशक में प्रकाशित इन पुस्तकों का नवीन संस्करण राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नयी दिल्ली के सहयोग से तैयार किया गया है, क्योंकि इनमें से अधिकांश, वर्षों से बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थी।

इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि युवा पीढ़ी महात्मा गांधी के मूलभूत संदेशों को पुस्तकों, लेखों और मीडिया के माध्यम से समझे। श्री नायडू ने कहा कि गांधी जी ने युवाओं को मानवता, दया और दृढ़ संकल्प का बहुमूल्य सबक प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पुस्तकें आने वाली पीढ़ी को उनके दर्शन *मेरा जीवन ही मेरा संदेश* के सार को समझने का अवसर देगी। मंत्री महोदय ने जोर दिया कि युवा पीढ़ी को देश के विभिन्न प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किये गये महान बलिदानों के भाव को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधीजी के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनके विचारों और शिक्षाओं पर आधारित पुस्तकें पाठकों की प्रेरणा के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

संग्रहणीय तथा धरोहर साहित्य के नवीकरण एवं पुनर्प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने हमेशा निर्धनतम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हुए महात्मा गांधी के आदर्शों को मुख्यधारा में रखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि प्रकाशन विभाग को गांधी जी सहित देश के विभिन्न प्रांतों के स्वतंत्रता संग्राम के अन्य वीर सेनानियों पर आधारित साहित्य के पुनर्संग्रहण व प्रकाशन के लिए प्रयास करने चाहिए। उपरोक्त तीन शीर्षकों को प्रकाशन विभाग 1960 और 70 के दशक में प्रकाशित किया गया था और इनमें गौरवपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रमाणित वर्णन दिया गया था। ये पुस्तकें 1960 के दशक के प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लाई गई थी, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को सर्वाधिक महत्व दिया। तीनों पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

गांधी इन चंपारण (डी.जी. तेंदुलकर): चंपारण संघर्ष की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मुख्य भूमिका है। डी.जी. तेंदुलकर द्वारा लिखित यह पुस्तक प्रथम अहिंसा संघर्ष की झलक दिखाता है। लेखक ने 1917 में उत्तरी बिहार के चंपारण जिले के दृश्य का अत्यंत सहज ओर तथ्यपरक ढंग से वर्णन किया है, क्योंकि गांधीजी ने सत्य व अहिंसा के मार्ग द्वारा सर्वप्रथम उन भारतीय किसानों के दु:खों और शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया जो ब्रिटिश भारतीय नील की खेती करने वाले जमींदारों के अधीन थे। इस धरोहर पुस्तक का नया संस्करण 1957 में प्रकाशित प्रथम संस्करण पर आधारित है।

रोमां रोलां एंड गांधी कॉरेस्पोंडेंस: यह पुस्तक रोमां रोलां द्वारा गांधी जी को लिखे गये पत्रों और डायरी के अंशों तथा लेखों आदि का संग्रह है और इसमें उनके अन्य लेखों तथा उनकी डायरी ने कुछ उद्धरणों को भी सम्मिलित किया गया है। 1976 के संस्करण से नवीकृत यह उत्कृष्ट प्रकाशन, पाठ के आकार में सुधार के साथ प्रकाशित किया गया। इसके बावजूद इसमें पिछले सदी के दो महान व्यक्तियों महात्मा गांधी और नोबेल पुरस्कार विजेता रोमां रोलां के रिश्तों की स्पष्ट झलक दिखायी देती है। यह माना जाता है कि फ्रांसीसी लेखक और गांधीजी के मध्य इस बौद्धिक बंधन ने पत्रों के माध्यम से गांधीवादी सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचने में मदद मिली।

महात्मा (8 खंड) (डी.जी. तेंदुलकर): यह 8 खंडों में नवीकृत महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवनवृत है, जो डी.जी. तेंदुलकर द्वारा लिखी गयी। इसका प्रकाशन, प्रकाशन विभाग द्वारा 60 के दशक की शुरुआत में किया गया था। यह शृंखला शास्त्रीय गांधीवाद में सबसे अव्वल दर्जे का है और राष्ट्र के विकास की असाधारण अवधारणा को समाहित करती है। लेखक के शब्दों में 'यह कार्य उन घटनाओं की साधारण प्रस्तुति है। यह गांधी जी के साथ सरजमीं पर बिताये पिछले 50 वर्षों का इतिहास है।'

ये धरोहर पुस्तकें प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्रों पर और सूचना भवन (सीजीओ काम्पलेक्स) स्थित नयी सुसज्जित पुस्तक दीर्घा में उपलब्ध है तथा भारत कोष ई-पेमेंट गेटवे के जरिए, ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती हैं। ये पुस्तकें ई-बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं। ❑

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2015-17
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2015-17 at RMS, Delhi
24 अप्रैल 2017 को प्रकाशित • 28-29 अप्रैल, 2017 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2015-17
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

Just Released

नवम् संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 2017

नवीनतम आँकड़ों एवं तथ्यों का समावेश

सिविल, बैंकिंग एवं डिफेंस सेवाओं के लिए उपयोगी

वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सहित

आर्थिक समीक्षा : 2016-17

केन्द्रीय बजट : 2017-18

Code No. 811 Price ₹ 125.00

- राष्ट्रीय आय : 2016-17
- विदेशी व्यापार : 2016-17 (अप्रैल-जनवरी)
- विदेशी ऋण : 30 सितम्बर, 2016
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : अप्रैल-दिसम्बर 2016
- नीतिगत पहलें
- विकास कार्यक्रम
- वैश्विक सूचकांकों में भारत
- नवीन मौद्रिक एवं साख नीति 2017
- नीति आयोग
- विदेशी व्यापार नीति : 2015-20
- भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं
- मानव विकास रिपोर्ट-2015
- कृषि, उद्योग, मुद्रा-बैंकिंग, परिवहन, खाद्यान्न उत्पादन, संचार, विदेशी व्यापार एवं ऋण, बेरोजगारी के अद्यतन आँकड़े

विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी

English Edition
Code No. 799 ₹ 135.00

प्रतियोगिता दर्पण | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता मो. 07439359515 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088